हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

22 मार्च, 2007

खण्ड–1,अंक–10

अधिकृत विवरण

विषय सची

वीरवार, 22 मार्च, 2007

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(10) 1
अति विशिष्ट ब्यक्ति का अभिनन्दन	(10)19
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(10)19
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(10)20
शोक प्रस्ताव	(10)21
अनुपस्थिति की अनुमति	(10)22
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(10)23
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(10)23
सदन की मेज पर. रखे गये कागज–पत्र	(10)24
विधान सभा समितियों की रिपार्ट्स प्रस्तुत करना	(10) 24
(1) अधीनस्थ विधान समिति की 36वीं रिपोर्ट	(10) 24
(2) सरकारी आश्वासनों बारे में समिति की 36वीं रिपोर्ट	(10) 24

(3) (क) लोक लेखा समिति की 59 वीं रिपोर्ट	(10) 25
(ख) लोक लेखा समिति की 60वीं रिपोर्ट	(10) 25
(4) लोक उपक्रमों सम्बन्धी समिति की 53वीं रिपोर्ट	(10) 25
(5) प्राक्कलन समिति की 36वीं रिपोर्ट	(10) 25
(6) अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों की समिति की 30वीं रिपोर्ट	(10) 26
विधान कार्य–	(10) 26
दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 1) बिल, 2007	(10) 26
नियम 64 के अधीन वक्तव्य/सदस्यों द्वारा धन्यवाद	(10) 28
अतिविशिष्ट व्यक्तियों का अभिनन्दन	(10) 39
नियम 64 के अधीन वक्तव्य/सदस्यों द्वारा धन्यवाद (पुनरारम्भ)	(10) 39
विधान कार्य (पुनरारम्भ)	(1) 43
दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं ० 2) बिल, 2007	(10) 43
नव निर्वाचित राज्य सभा सदस्य को बधाई	(10) 87
दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं ० 2) बिल, 2007	(10) 88

(पुनरारम्भ)	
दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेशन (अमैंडमैंट) बिल, 2007	(10) 90
दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 2007	(10) 92
दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (एलगिसज एण्ड पैशन ऑफ मैंबर्ज) अमैंडमैंट बिल, 2007	(10) 93
दि पंजाब एक्साइज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2007	(10) 96
सरकारों संकल्प–	(10) 97
(1) मैट्रो रेल के निर्माण कायं को विनियमित करने सबंधी	(10) 97
(2) मैट्रो रेल के परिचालन तथा अनुरक्षण को विनियमित करने संबंधी	(10) 99
अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद	(10)104

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 22 मार्च, 2007

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (डा० रघुबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now Questions Hour.

तारांकित प्रश्न संख्या 643

(इस समय माननीय सदस्य डा० सुशील इन्दौरा सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया।)

Report of De-Limitation Commission

***671. Shri S.S. Surjewala:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether De-Limitation Commission has finalized its report for the de-limitation of Assembly and Parliamentary Constituencies falling in the State of Haryana;

(b) whether Government of Haryana has received any list of Constituencies from the De-Limitation Commission ; and

(c) if so, the time by which the aforesaid report is

likely to be implemented?

Revenue Minister (Capt. A jay Singh Yadav):

(a) Yes Sir.

(b) Yes Sir.

(c) The report shall take effect from such date, as the President of India may, by order, specify.

श्री एस०एस० सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, यह जो डी–लिमिटेशन आयोग ने हरियाणा की पार्लियामैंट सीट्स का परिसीमन किया है इसमें असैम्बली की सीट्स का आधार क्या है। क्या स्टेट गवर्नमैंट ने अपनी तरफ से इसके लिए कोई प्रपोजल भेजी थी और अगर भेजी थी तो इसकी कौन सी गवर्नमैंट ने भेजा था और कब भेजा था ?

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी जी को बताना चाहूंगा कि यह जो डी–लिमिटेशन का सब्जैक्ट है यह सैन्ट्रल गर्वनमैंट का सब्जैक्ट है। इसमें स्टेट का कुछ लेना देना नहीं है। स्पीकर सर, यह 1972 का एक्ट था इसको रिपील करके डी– लिमिटेशन एक्ट, 2002 बनाया गया और यह under the article 82 of the constitution of India के तहत बना था। यह पार्लियामैंट की अथौरिटी होती है, वह किसको काम दे यह उन पर ही निर्भर होता है। यह जो डी–लिमिटेशन कमिशन बनाया गया हे इसकी जो रिपोर्ट है वह केवल इफैक्टिव होगी after the dissolution of the present house

of Lok Sabha. स्पीकर सर, 2009 के बाद डी–लिमिटेशन कमिशन की रिपोर्ट एफैक्टिव होगी।

श्री अध्यक्ष यह 2009 के बाद इफैक्टिव होगा या 2009 में पार्लियामैंट के इलेक्शन के बाद इफेस्टिव होगा।

कैप्टन अजय सिंह यादवः सर, 2009 के बाद इफैक्टिव होगा। यह जो प्रेजैन्ट पार्लियामैंट है उसकी डिजोलुशन के बाद होगा। अगर इलैक्शन पहले हो जाते हैं तो वह इफैक्टिव नही होगा। स्पीकर सर, यह 2001 के सैंसस के अनुसार डि–लिमिटेशन हुआ है। इसमें एक जज सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया, चीफ इलैक्शन कमिशनर, इलैक्शन कमिशनर आफ इंडिया और स्टेट इलैक्शन कमिशनर होते हैं और जो 2001 का सैंसस हुआ था उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था उसमें पार्लियामैंट और असैम्बली कांस्टीचुएंसी के लिए, पटवार सर्कल, कानूनगो सर्कल, म्युनिसपल कमेटी, तहसील और डिस्ट्रिक्ट्स जो 15 फरवरी, 2004 को एग्जिस्ट करते थे उनके अनुसार कंस्टीच्यूएंसीज बनेगी। जैसे मेवात 15 फरवरी, 2004 के बाद बना है इसलिए उसको कन्सीडर नहीं किया गया है। इसकी 170 कापियां हरियाणा विधान सभा के सैक्रिटेरिएट को भेज दी गई हैं। इसके ड्राफ्ट की फाईनल नोटिफिकेशन सैन्ट्रल गवर्नमैंट की 30 अक्तूबर, 2006 को हुई थी और स्टेट गजट 15 फरवरी, 2007 को हुआ। यह जो रिपोर्ट है it will take effect from such date, as the President of India may, by order, specify under the Article of the constitution of India.

इसमे स्टेट गवर्नमैंट के 5 एम०पीज० और 5 एम०एल०एज० ऐसोसिएट मैम्बज होते हैं लेकिन उनका इसमें रोल सुजैस्टिव होता है। इसमें फाईनल अथौरिटी चीफ इलैक्शन कमिशनर और श्री कुलदीप सिंह, एक्स जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया थे। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का रोल तो उसमे सिर्फ सुजैस्टिव होता है, उनसे जो इन्फरमेशन कमीशन मांगता है, वे उनको प्रोवाईड कर देते हैं। स्पीकर सर, जहां तक ड्राफ्ट की बात इन्होंने कही है तो इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि उसको बनाने में हमारा कोई रोल नहीं होता है। स्पीकर सर, सदन में जो प्रश्न पूछा गया हे इस बारे मे मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सैन्ट्रल एक्ट के तहत बना है। हमारी स्टेट का इसमें कोई लेना देना नहीं हे। स्पीकर सर, मैं समझता हूं कि इस बारे मे कोई ज्यादा सप्लीमेटरी बनती नहीं हैं।

श्री एस०एस० सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, यह बात तो मंत्री जी आप पहले सवाल के जबाव में भी बता चुके हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से दरयाफ्त करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार की नॉलेज में यह बात है कि जब ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने बेसिक ड्राफ्ट भिजवाया था कि पार्लियामैंट की और असेम्बली की कांस्टीच्यूएंसीज कैसे कैसे बननी चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, उस समय उन्होंने राजनैतिक घोटाला किया और बेईमानी की क्योकि उन्होंने अपने विरोधियों की सीटें रिजर्व करवा दी। इस तरह से

ही यह सारा का सारा ड्राफ्ट बनवाया गया था। डि–लिमिटेशन कमीशन ने बाद में यह बेसिक ढांचा बदलने से इन्कार कर दिया था हालांकि कहीं न कहीं उन्होने इसमें सुधार तो किया है लेकिन अधिकतर जगह उन्होंने कोई सुधार नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मंत्री जी यह कहते हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन मैं इनसे कहना चाहूंगा कि स्टेट का जो इलैक्शन कमिशनर है वह इस कमीशन का रैगुलर मैम्बर है इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि जब हरियाणा सुना जाएगा तो हरियाणा वाला मैम्बर होगा और जब पंजाब सुना जाएगा तो पंजाब वाला मैम्बर होगा, जो बाकी दस मैम्बर है यह ठीक है कि वे ऐसोसिएट मैम्बर हैं लेकिन स्टेट के इलैक्शन कमिश्नर को इस बारे में पूरी बात का ज्ञान होता है तो क्या मंत्री जी पता करके बताएंगे कि कौन से साल में यह ड्राफ्ट ओम प्रकाश चौटाला ने भेजा और क्या यह सच है कि इसमें उन्होंने बड़ी भारी राजनैतिक बेईमानी की और भेदभाव किया?

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, डि–लिमिटेशन कमीशन कांस्टीच्यूशनल बॉडी है इसमें स्टेट गवर्नमैंट का कोई दखल नहीं है। वहां क्या हुआ और क्या नहीं हुआ उसकी हमें कोई भी इफोमेशन नहीं है। क्या इसमें कोई राजनैतिक बात थी या नहीं इस बारे में भी हमे कोई जानकारी नहीं है क्योकि न तो विधान सभा का और न ही हमारा किसी बात

के लिए इसमें कोई डायरैक्ट दखल है। अध्यक्ष महोदय, हम उनसे कोई जानकारी पता नहीं कर सकते।

श्री एस०एस० सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, स्टेट इलैक्शन कमिश्नर को इस बात की पूरी जानकारी होती है उससे कोई बात छिपी हुई नहीं है। वह स्टेट का इम्पलायी भी है इसलिए मंत्री जी इस बारे मे उससे पता कर सकते हैं।

श्री अध्यक्षः सुरजेवाला साहब, वह स्टेट का इम्पलायी नही है। स्टेट इलैक्शन कमीशन आटोनोमस बॉडी है और वह इलैक्शन कमीशन का इम्पलायी है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, हालांकि मेरे पास इलैक्शन महकमा भी है लेकिन स्टेट इलैक्शन कमिश्नर से हम कोई इफोर्मेशन नहीं ले सकते क्योकि Election Commission is an autonomous body and State Election Commissioner is not answerable to me. He is answerable to the Chief Election Commissioner of India.

श्री एस०एस० सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, ये ले तो सब कुछ सकते हैं पर इन्होंने कुछ लिया नहीं वह दूसरी बात है।

श्री सुखबीर सिंह जोनपुरियाः अध्यक्ष महोदय, मेरे डिस्ट्रिक्ट की सोहना विधान सभा कास्टीच्यूएंसी में तावडू का एरिया भी जोड़ा गया है जबकि तावडु मेवात जिले में आता है। मेवात 2004 के बाद डिस्ट्रिक्ट बना था लेकिन आज सोहना

हरियाणा विधान सभा की एक ऐसी कांस्टीच्युएंसी बन गयी हे जो दिल्ली से लेकर राजस्थान बोर्डर तक हो गयी है और यह दो डिस्ट्रिक्टस में आता है सर, यह तो स्टेट लैवल की बात है तो क्या मंत्री महोदय तावडू क्षेत्र को भी गुड़गांव जिले में लाने की कोशिश करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा न हो पाया तो यह ऐसा विधान सभा क्षेत्र होगा जिसमें दो डी०सी० होंगे और दो एस०पी० होगे यानी हर चीज डबल बन जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि तावडू क्षेत्र जोकि मेवात से अलग भी है, अगर इसको गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में दे दिया जाए तो यह भी एक ही डिस्ट्रिक्ट का विधान सभा क्षेत्र बन जाएगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव. स्पीकर सर, जब तक डि–लिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम पहले कुछ भी चेंजिज नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस प्रकार की कोई डिमांड आती है तो उसके बारे में सरकार विचार कर सकती है। स्पीकर सर, जहां तक इसे मोडीफाई करने की बात है, अगर इस तरह की डिमांड सरपचों से या जन प्रतिनिधियो से आती हैं तो सरकार समय समय पर उस पर विचार करती रहती हे।

श्री सुखबीर सिंह जौनपुरियाः स्पीकर सर, उन लोगो की बहुत भारी डिमांड है। मंत्री महोदय से भी वहां के लोगो ने इस बारे में डिमांड की थी और मंत्री जी ने उनको आश्वासन भी दिया था। वहां के लोग हरियाणा के सभी जन प्रतिनिधियो से मिलकर भी गए हें। अध्यक्ष महोदय, तावडू हिन्दू बाहुल्य क्षेत्र हे

इसीलिए भी वहां के लोग चाहते हैं कि उनको गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में शामिल कर लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, इसके इलावा भी यह भी दुर्भाग्य की बात है कि डिवैल्पमैंट में भी तावडू को अलग रखा जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या हिन्दु बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते तावडू क्षेत्र को भी गुड़गांव जिले मे शामिल किया जाएगा ?

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, अगर वहां के लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं और यदि बाकायदा उनकी तरफ से कोई इस बारे मे रिप्रैजेंटेशन आती है तो सरकार उस पर विचार कर सकती है। लेकिन डि–लिमिटेशन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसको हम किसी भी प्रकार से मोडीफाई नहीं कर सकते। हम यह नहीं कर सकते किस हल्के को कहां लगाया जाए, यह काम डि–लिमिटेशन कमीशन का है लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर एरियाज के लोग दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं तो उस पर सरकार समय–समय पर विचार करती रहती है।

श्री सुखबीर सिह जौनपुरियाः स्पीकर सर, यह तो स्टेट गवर्नमैंट लेवल की ही बात है किसी भी एरिया को इधर–उधर किया जा सकता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इस बारे मे विचार किया जाएगा?

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर सर, मैंने पहले ही कहा हे कि अगर वहां के लोग दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं तो विचार किया जा सकता है।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, अखबारों में भी बार–बार खबर आ रही है कि कुछ लोग कोर्ट में जाने की बात करते हैं या कुछ लोग पंचायतें करके उसमे किसी न किसी प्रकार से उस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या इस ऐक्ट के तहत जो लिस्ट फाइनल हुई है उसको किसी कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चौलेंज किया जा सकता है या नहीं?

श्री अध्यक्षः ये तो आपको भी पता ही है। आप काफी सीनियर ऐडवोकेट हो। आपके पास उसकी फाइंडिग्स की कॉपी है रूल्ज की कॉपी हैं व ऐक्ट आदि सब कॉपीज आपके पास हैं।

Ch. Dharam Pal Singh Malik: But Sir, I want to bring it on the record of the House. These things are coming in the press daily कि वो कोर्ट में जा रहे हैं, वो जा रहे हैं।

श्री अध्यक्षः यह तो डैमोक्रेसी है। कोई भी जा सकता है। आप 20 आदमी लेकर बैठ जाओ।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिकः सर, दूसरी बात यह है कि जो लिस्ट फाइनल हो गई है लेकिन राष्ट्रपति साहब जब तक इसको लोकसभा के पटल पर रखने की इजाजत नहीं देंगे, तब

तक ये इंप्लीमैंट नहीं हो सकती। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या किसी अकेले प्रदेश की लिस्ट को लोकसभा के पटल पर रखा जा सकता है या इस स्टेज पर राष्ट्रपति महोदय उसमें कोई इंटरफेरेंस कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्षः यह कॉपी है कांस्टीच्यूशन ऑफ इंडिया की और इसके आर्टिकल 329 में यह दिया है –

"329 Bar to interference buy courts in electoral matters-[Notwithstanding anything in this Constitution]

(a) the validity of any law relating to the delimitation of

constituencies or the allotment of seats to such constituencies, made or purporting to be made under article 327 or article 328 shall not be called in question in any court;"

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यही बता रहा था कि यह मैटर किसी भी कोर्ट में चौलेंज नहीं किया जा सकता है जैसा कि आर्टिकल 329 में बताया गया है। जैसा इन्होंने पूछा है कि क्या अकेले हरियाणा की कॉपी लोकसभा के पटल पर रखी जाएगी तो मैं बताना चाहूंगा कि पूरी कंट्री की कॉपी एक साथ लोकसभा के पटल पर रखी जाएगी उसके बाद ही यह इफैक्टिव होगी।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से इस सवाल के परिपेक्ष्य में कुछ जानना चाहूंगा वैसे तो आपने क्लीयर कर ही दिया है कि इसको चौलेंज नहीं किया जा सकता है।

श्री अध्यक्षः ऐसा मैंने नहीं किया है यह तो कांस्टीच्यूशन ऑफ इंडिया में दिया द्या है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, इसके जो भी मापदण्ड हैं चाहे पटवार सर्कल है, कानूनगो सर्कल है या वार्डो का है, अगर कहीं भी उसकी अवहेलना हुई है या किसी तरह से उसको पूरा नहीं किया गया तो उनको दुरस्त करने के लिए या सही करने के लिए कौन सी स्टेज है? अगर कांस्टीच्यूशन यह कहता हे कि उसके लिए मापदंड फिक्स किए हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उनमें कैसे सुधार किया जा सकता है? क्या यह कोर्ट के माध्यम से या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किया जा सकता है, यह मैं जानना चाहता हूं ?

Mr. Speaker: The Chairman of De-Limitation Commission and three Members of the Commission are of powerful Commission.

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह ऑटोनोमस बॉडी है। इसमें किसी प्रकार का इटरफेरेंस हम नहीं कर सकते हैं। जहां तक पटवार

सर्कल आदि को तोड़ने की बात माननीय सदस्य ने कही है तो उसको तोड़ने का तो कहीं भी सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री अध्यक्षः इसमें ड्राफ्ट प्रपोजल्म समिट होती हैं। स्टेट इलैक्शन कमीशन उनको देखता है। उसमें 10 एसोसिएट मैम्बर्ज होते हैं, five from State Assembly and five from Parliament. सारी ड्राफ्ट प्रपोजज्ज' कांर्स्टाव्यूएंसीवाइज डिसकस होती है। उसमें चार पांच क्राइटेरियाज होते हैं। एक तो कनैक्टिविटी है, द्रासंपोर्टेशन है, कल्वर है, जियोग्राफिकली कम्पैक्टनैस है। यह देखा जाता है कि यह सब मीटआउट होती हैं या नहीं होती हैं। उसके बाद वे ऐसोसिएट्ज मैंबर्ज सजैस्टिव मैनर में अपनी बात कह देते हैं। उसके बाद यह रिपोर्ट पब्लिश होती है। रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद पब्लिक से या जो कमीशन का मैंबर नहीं है या पूरे प्रदेश से किसी आदमी को कोई ऑब्जैक्शज हों तो इसके लिए ऑब्जैक्शंज इनवाइट किए जाते हैं। वे खुले दरबार में ऑब्जैक्शंज भेजें या स्वयं आएं या उनकीं कोर्ट में ऑब्लैक्शंज भेजें या स्वयं आएं यह उनकी मर्जी। पूरे प्रदेश में इसके लिए अलग–अलग जगह डेट रखी जाती है, उनमें लोग अपने आब्लैक्शंज सबमिट करते हैं। उसके बाद ऐसोसिएट मैंबर्ज की मीटिंग बुलाई जाती हे, उसमें यह सारा मैटर डिसकस होता है कि महेन्द्र प्रताप जी ने यह कहा, फलाने ने यह कहा और उसने यह कहा। हर जगह और हर कान्सटीच्यूशी में अगर कोई बात आती है

तो फिर उसमें करैक्शन की जाती है। This is the methodology. इसमें मेरे ख्याल में कोई बात नहीं रहती।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो आपने बताया और अगर सारा प्रोसैस इसके मुताबिक हुआ हो उसके बाद भी अगर कोई एतराज दिए हों या कहीं पर कमी रह गई हो मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि ऐसा हुआ है कई जगह पर।

श्री अध्यक्षः महेन्द्र प्रताप जी, ये कम्पैक्टनैस और क्राईटेरिया हैं वह मैन दू मैन वैरी करता है। There are political considerations. There are so many criterias लेकिन ब्रोडली अगर कोई बात होती है उसका फिर कमीशन फैसला करता है।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मानः स्पीकर सर, यह बात सही है कि पहले उन्होने लिस्ट पब्लिक की उसके बाद 90 की 90 कान्सीच्यूशीज में और आब्जैक्शज मांगे और तीन जगह के आब्लैक्शज की सुनवाई भी की गई। उसके बावजूद भी डिलिमिटेशन कमीशन ने कुछ कान्सटीचूयैशीज का टोटल कान्सैप्शन बदल दिया without any objections received from the public. जैसे करनाल में घरौंडा विधान सभा क्षेत्र के 5–6 गांव निकाल कर असन्ध विधानसभा क्षेत्र में मिला दिए जबकि उन गावों की तरफ से कोई कम्पलेंट नहीं थी न कोई मांग की गई थी।

Mr. Speaker: Mann Sahib, it is not the subject of

this House.

Shri Tejender Pal Singh Mann: Sir, I am saying so since this is being discussed in the House.

Capt. A jay Singh Yadav: It cannot be discussed here. **I** have already told tha it is an autonomous body. जैसा मैंने पहले बताया कि यह एक ऑटोनोमैस बॉडी है इसके काम में स्टेट गवर्नमेंट का कोई इन्टरफिरियंस नहीं है। जो डिलिमिटेशन कमीशन ने कर दिया वह फाईनल है।

श्री अध्यक्षः वैसे मान साहब. आप कैप्टन साहब से क्या कहलवाना चाहते हो।

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय .....

Mr. Speaker: Nothing is to be recorded

Purchase of Medicines

***706. Shri Tejender Pal Singh Mann:** Will the Minister for Health be pleased to state:-

(a) the details of the amount spent by the Health Department on the purchase of medicines in the State during the financial year 2006-2007 till 28-2-2007;

(b) whether the purchase of medicines is done at the State Head Quarters or at the district level ; and

(c) whether the medicines are being purchased from reputed manufacturers or through floating of tenders ?

स्वास्थ्य मंत्री (बहन करतार देवी) श्री मान जी,

(क) वित्त वर्ष 2006–2007 के दौरान 28–2–2007 तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा 862.01 लाख रुपये की राशि दवाईयों की खरीद पर खर्च की गई है। (ख) दवाईयों की खरीद राज्य मुख्यालय तथा जिला स्तर दोनों पर की जाती

(ग) दवाईयों की खरीद प्रसिद्ध निर्माताओं से खुली निविदाओं द्वारा की जाती है।

श्री तेर्जेन्द्र पाल सिंह मानः स्पीकर सर, यह जो दवाईयां खरीदी गई हैं इनका वितरण पी०एच०सीज, सी०एडच०सीज, सिविल अस्पताल और डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर किस तरह से होता है और इन दवाईयों के बैनीफिशरीज कितने लोग हैं क्योंकि हमारे अस्पतालों में जहां पर डाक्टर्ज हैं वहां पर पैरा मैडीकल स्टाफ नहीं है ओर जहां पैरा मैडीकल स्टाफ है वहां पर डाक्टर्ज नहीं हैं। क्या मंत्री महोदया यह बतायेंगी कि इन दवाईयों के वितरण के बारे में विभाग ने कभी कोई इन्क्वायरी करवाई है कि क्या इन दवाईयों का दुरूपयोग तो नहीं हो रहा है ?

बहन करतार देवीः स्पीकर सर, जब कभी भी दवाईयां खरीदी जाती 'हैं तो उससे पहले डायरेक्टर जनरल हैल्थ सर्विसिज की अध्यक्षता में एक मीटिंग होती है जिसमें सभी सिविल सर्जन्ज, एस०एम०ओज० और विशेषज्ञ बुलाये जाते हैं और वे अपनी–अपनी

डिमाण्ड उस मीटिंग में रखते हैं कि हमें इतनी इतनी दवाईयां चाहिएं। उसके बाद सप्लाई एण्ड डिसपोजल्ज विभाग के पास वह डिमाण्ड भेजते हैं जो इन दवाईयों की खरीद के लिए टैण्डर इन्वाईट करते हैं जिनके साथ उस विभाग का रेट कान्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद आवश्यकता के हिसाब से ये दवाईयां खरीदी जाती हैं और अस्पतालों, सी०एच०सीज०, और पी०एच०सीज०, में उनकी डिमाण्ड के हिसाब से बांट दी जाती हैं। इसके इलावा इमरजैंसी के समय सिविल सर्जन, एस०एम०ओज० तथा किसी पी०एच०सी० में यदि कोई अकेला डाक्टर है तो उसको भी दवाईयां खरीदने की पावर दे रखी हैं। लेकिन वे दवाईयां उन्ही फर्मो से खरीदेंगे जिनके साथ हमारा रेट कंट्रैक्ट हो रखा है।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मानः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने सही जवाब दिया। मेरे हल्के में पांच पी०एच०सीज हैं और मेरे को उनका अनुभव है। मैं गुजारिश करूंगा कि वहां पर गरीब आदमियों को दवाईयां दी जायें। कई बार तो वहां समय पर डाक्टर ही नहीं मिलते। क्या मंत्री महोदया इस बात के लिए इन्क्वायरी करवायेगी कि जो पी०एच०सीज० और सी०एच०सीज० हैं उनमें सिविल हास्पिटल से कितनी दवाईयां जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि सारी की सारी दवाईयां जिला हैड क्वार्टर पर क्रीमीलेयर ही यूज कर रहे हैं।

बहन करतार देवी अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगी कि अबकी बार किसी भी पी०एच०सी० और

सी०एच०सी० में दवाईयों की कमी नहीं रही। लेकिन यदि किसी पी०एच०सी० या सी०एच०सी० में डाक्टर ही नहीं होगा तो दवाईयां कौन प्रिस्काईब करेगा। यह बात हम मानते हैं कि अभी भी 171 पद डाक्टर्ज के खाली हैं। कुछ डाक्टर्ज की अभी भर्ती की गई है उनका जल्दी ही करैक्टर वैरीफिकेशन करवाकर उनकी एप्वाईटमैंट करेंगे। जहा तक दवाईयों का सवाल है, इस बारे में माननीय साथी के पास यदि किसी पर्टिकुलर पी०एच०सी० या सी०एच०सी० की शिकायत है कि वहां पर किसी डाक्टर ने दवाईयां न दी हों उसके बारे में माननीय सदस्य हमें बता दें उसकी जांच करवा लेंगे।

श्री एस०एस० सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि पिछले साल प्रदेश में दवाईयों के लिए टोटल कितना फंड रखा गया था और इस साल कितना रखा गया है तथा पर कैपिटा कितना पैसा एक आदमी के हिस्से आता है। 50 पैसे आते हैं, एक रूपया आता है या डेढ़ रुपये आते है।

बहन करतार देवी अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि वर्ष 2005–06 में 962.06 लाख रुपये का बजट दवाईयों के लिए था और अभी 1270 लाख रुपये का है। यह मैंने फरवरी तक का विवरण दिया है।

Sale of Rehabilitation Land

***707. Shri Tejender Pal Singh Mann:** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) district wise total areas of rehabilitation land still lying undisposed with the department in the State ;

(b) the criteria adopted by the State for fixing the price of the said land for disposal/sale in different areas of the State; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to sell the remaining undisposed rehabilitation lands and wind up the Department, if so, the time by which the said proposal is likely to be materialized ?

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav): Sir, a statement is placed on the table of the House.

Statement

(a) The total district wise rehabilitation land lying undisposed with the Rehabilitation Department in the State is as follows:—

Sr. No.	Name of Distt.	Rural land in A K M	Urban land in A K M	Rural House / Sites	Urban House/ Sites
1	2	3	4	5	6
1.	Ambala	1144-2-03	29-3-02	13	45
2.	Bhiwani	748-2-14	78-6-12	76	53

3.	Faridabad	187-3-00	276-6-10	300	385
4.	Fatehabad	1232-1-19	35-1-09	117	172
5.	Gurgaon	102-1-09	20-5-03	29	20
6.	Hisar	243-4-03	11-1-02	45	97
7.	Jhajjar	62-0-13	16-0-04	6	1
8.	Jind	45-6-02	0-4-00	-	-
9.	Kaithal	743-5-12	00-5-19	50	18
10.	Kurukshetra	332-2-07	14-2-11	-	37
11.	Karnal	1248-1-13	97-3-04	51	25
12.	Mewat	470-1-09	33-4-14	739	03
13.	Narnaul	245-5-06	85-7-15	33	25
14.	Panipat	214-4-03	224-6-14	20	25
15.	Panchkula	575-3-00	17-6-02	-	17
16.	Rohtak	100-3-06	13-2-13	162	295
17.	Rewari	580-7-05	2-1-03	18	17
18.	Sirsa	271-0-00	0-7-02	423	6
19.	Sonepat	192-6-01	14-0-00	28	12
20.	Yamuna Nagar	1217-6-02	1-3-13	-	14
	Total:	9958-4-07	974-7-12	2110	1267

(b) The criteria for fixing the price of the land to be transferred to the Government departments, institutions etc. is the rates fixed by High Powered Committee chaired by Divisional Commissioners and the criteria for sale by public auction is 5% annually increased rates fixed by High Powered Committee or collector rates, whichever is higher.

(c) At present the Government is disposing of the Rehabilitation land as per "Rules for Sale of Surplus Rural Properties" and there is no proposal under consideration of the Govt. to wind up the department.

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मानः अध्यक्ष महोदय, रिहेबिलीटेशन का महकमा ज्वाइंट पंजाब के समय से चला आ रहा है और अब 40 साल हरियाणा को भी बने हुए हो गये हैं। जितनी भी प्रोपर्टी सरकार की हैं उनसे कई गुणा ज्यादा पैसा इस महकमें के कर्मचारियों की तनख्वाह आदि पर खर्च किए जा चुके हैं। हर जिले में कमिशनर हैं और तहसीलदार हैं। इन सारी छोटी–छोटी प्रोपर्टीज को मेन तहसीलदार को दिया जा सकता है। सरकार इस विभाग को वाइड अप क्यों नहीं करती क्योंकि इस महकमें के इसटैबलिमैंट पर बहुत खर्चा हो रहा है। बिना वजह एक महकमा चला आ रहा है जिसके ऊपर बहुत खर्चा होता है। मेरे ख्याल से सारे साल में मुखतलिफ कारणों से किसी भी जिले में कोई बिक्री नहीं होती होगी।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जहां तक रिहेबिलीटेशन विभाग को खत्म करने के बारे

में प्रश्न किया है इस बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सरकार इस विभाग को खत्म करने पर कोई विचार नहीं कर रही। लेकिन सरकार इस विभाग को रैवेन्यू विभाग के साथ मर्ज करने बारे विचार कर रही है। इस बारे में 30– 11 –2005 को चीफ सैक्रेटरी की चेयरमैनशिप में एक मीटिंग भी हुई थी। इसकी जो मोडेलिटीज हें उनके ऊपर कार्यवाही चल रही है। जहां तक माननीय सदस्य ने महकमें के पास काम न होने के बारे में कहा है। में इनको बताना चाहूंगा कि अभी इस विभाग के पास बहुत काम है। इस समय काफी जमीन ऐसी है जो अभी अलाट नहीं हो पाई है, वो है 9958 एकड़, मैं कनाल और ओं मरले जो रूरल ऐरिया में है। इसके इलावा 974 एकड, कनाल और 12 मरले जमीन अर्बन ऐरिया में है। इसके अलावा रूरल हाऊस और अर्बन हाऊस की भी मैंने स्टेटमैंट लगा रखी है। यह बात सही है कि इसको मर्ज करना चाहिए और इसके बारे में सरकार विचार कर रही है।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मानः अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि 2005 में चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई जिसमें यह प्रयास किया गया कि इनको मर्ज किया जाये। आज 2007 का साल चल रहा है, इसको 2 साल हो गये हैं। 2 साल के अन्दर तो इस पर कार्यवाही हो जानी चाहिए थी। इसी से अन्दाजा लगता है कि कहीं न कहीं इसमें बाधा है। कुछ लोग ऐसे इंट्रैस्टिड होंगे जो इसे नहीं करना चाहते हों। ये सारी विवादित

प्रोपर्टी हैं जो रखी हुई हैं और शायद सरकार बहुत ज्यादा बेच भी नहीं सकती।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, विधायक महोदय ने अपना जो विचार यहां पर रखा है उसके बारे में हम जरूर विचार करेंगे और सरकार जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्यवाही करवायेगी।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, जो प्रोपर्टी खाली पड़ी है उसके बारे में मान साहब ने भी सवाल किया कि यह बहुत लम्बे अर्से से खाली पड़ी है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस जमीन पर क्या कुछ लोगों ने नाजायज कब्जा किया हुआ है जिसकी वजह से इसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा पा रहा है या कोई और कारण है जिस वजह से यह प्रोपर्टी यूं की यूं पड़ी है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय यह बिलकुल सही है कि काफी जमीन पर नाजायज कब्जे हैं इसके बारे में एक मीटिंग नवम्बर 2001 में हुई थी जिसमें यह पॉलिसी बनाई गई कि जिनके पास 1947 से कब्जे हैं उनको 20 परसेंट की उस वक्त जो मार्केट वैन्यू थी यानी कलैक्टर रेट है उसका 20 परसेंट जमा करवाना होगा। जो 1985 से काबिज हैं उनको 40 परसेंट और जो 1995 से उस पर काबिज हैं उनको मार्किट वैल्यू का 60 परसेंट के हिसाब से दे दी जाये। अध्यक्ष महोदय इसके बाद इसका स्टे हो

गया और कुछ लैंड ट्रांसफर की गई। उसके बाद एज पर पॉलिसी ऑफ दा गवर्नमैंट कुछ तो लैंड ट्रांसफर कर दी गई लेकिन फिर हाईकोर्ट ने इसको 11 –2–2003 को स्टे कर दिया है। अभी यह मामला कोर्ट के पास लम्बित है, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते बाकि हम कोशिश कर रहे हैं कि यह स्टे जल्दी से जल्दी वैकेट हो सके। माननीय हाई कोर्ट में इस केस का नं० 2272 ऑफ 2003 है जिसका टाईटल Dalmer Singh V/s State है। यह कोर्ट के विचाराधीन है जैसे ही वो स्टे वैकेट होगा उसके बारे में सरकार निर्णय लेगी।

श्री एस०एस० सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इतने साल हो गये यह जमीन न किसी को अलाट कर सके, न किसी को बेच सके हैं और अभी इन्होंने बताया है कि 9 या 10 हजार एकड़ जमीन है जो अलाट नहीं हो पाई हे तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि इस जमीन पर जो नाजायज कब्जे हैं उसको खाली करवा कर उसे दलित और लैंडलैस लोगों को अलाट कर दें ताकि उसका अच्छा उपयोग हो सके।

कैप्टन अजय सिह यादव: अध्यक्ष महोदय, जमीन के कलेमज की टोटल 5896 एप्लीकेशनज हैं जो पैंडिंग हैं। उसके अलावा और 1604 एप्लीकेशंज अर्बन ऐरियाज के अन्दर हैं। इसके अलावा जो इन्होंने बात रखी कि इसका डिस्पोजल कैसे किया जाये उसका एक तरीका यह है कि ऑक्शन के द्वारा इसको बेचा

जाये। अभी भी जो एक एकड़ से फालतू जमीन जो है वो 1/8 of the price. Scheduled caste के जो लोग हैं उनको ऑक्यान के जो नियम हैं उसी हिसाब से दे दी जाये और इसमें जो हाईऐस्ट बिडर है उसके द्वारा 1.8% प्राईस उसी समय जमा की जाती है और बाकी की जो रकम है वह सादे सात साल में इन्ट्रस्ट फ्री 15 इंस्टॉलमैंट्स मे जमा करवानी होती है। शैडयूलड कास्टस के जो लोग हैं वे 10 साल तक इसको ऐलिनेट नहीं कर सकते। अप दु फाईव एकड़ जो लैंड ओनर्ज है या जिनके पास पांच एकड़ से कम लैंड होल्डिंग है केवल वही लोग इसको ले सकते हैं। इसके ऊपर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं होती है और यह केवल हरियाणा स्टेट के शैडयूल्ड कास्टस के लोग ही इसको ले सकते हैं। जो रिजर्व प्राईस है या कलैक्टर रेट हो, यह रेट कलैक्टर रेट से कम नहीं होना चाहिए। स्पीकर सर, दूसरे जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर भी इसकी ऑक्शन की जाती है। One -fourth amount is recoverable at the time of auction or within one month of the confirmation of the auction. जो रिजर्व प्राईस है वह मिनिमम ऑफ दि कलैक्टर रेट होती है। स्पीकर सर, मेरे नोटिस में यह बात आई थी कि कुछ लैंड ऑक्शन की गई है। इसके बारे में डिवीजनल कमिश्नर इसके रेट निर्धारित करता है और 5% के हिसाब से हर साल रेट बडाने की बात भी इसके अन्दर दी हुई है। डिवीजनल कमिश्नर को मैंने कल ही निर्देश दिये हैं कि आगे से अगर किसी जमीन की कोई ऑक्शन होती हे तो उसकी इन्फ्रर्मेशन एफ०सी०आर० को

तथा गवर्नमैंट के लैवल तक भी आनी चाहिए ताकि इस बात का पता रहे कि कितनी जमीन ऑक्शन हो चुकी है।

श्री एस०एस० सुरजेवालाः स्पीकर सर, मेरा जो सवाल था मन्त्री महोदय ने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने यह प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार इस बात पर गौर करेगी कि दलितों और जो भूमिहीन लोग है, वह जमीन उनको दे दी जाए ?

श्री अध्यक्षः इस बात का जवाब उन्होंने दे तो दिया है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को बताया है कि अलॉटमैंट हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि कोर्ट से स्टे हो चुका हे और हम कोशिश कर रहे हैं कि वह स्टे वैकेट हो जाए। जब तक वह स्टे नहीं हटता है हम अलॉटमैंट नहीं कर सकते। लेकिन ऑक्शन हमने की हैं और अभी भी कर रहे हैं। शैडयूल्ड कास्ट के लोगों को बाकायदा हम रियायतें दे रहे हैं। वे इन जमीनों को ऑक्शन में ले सकते हैं लेकिन जहां तक अलॉटमैंट की बात है, जब तक स्टे बैकेट नहीं होता हम अलॉटमैंट नहीं कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि यह स्टे जल्दी वैकेंट हो।

श्री शादी लाल बत्तराः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि यह जो लैंड है क्या यह रिहैब्लीटेशन की लैंड है। मेरे हिसाब से इस लैंड पर उन लोगों का हक था जो माईग्रैंट होकर 1947 में भारत आए थे। स्पीकर सर, क्या माननीय मन्त्री

महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उन माईग्रैट्स के कितने क्लेम पैंडिंग हैं और इन पैंडिंग क्लेम्स की डिस्पोजल के लिए सरकार क्या रही है। स्पीकर सर, मेरा सैकंड क्यैश्चन यह है कि वह लैंड जिसके बारे में मन्त्री जी कह रहे हैं कि यह अनऐथोराईल्ड पोजैशन में है तो क्या सरकार फॉर यूज एंड आकुपैशन उनसे कुछ चार्ज कर रही है और यदि नहीं कर रहे हैं तो उसके क्या कारण हैं?

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर सर, वैसे तो बाहर से जो माईग्रैटस आए थे उन्होंने जो डाकुमैंटस दिए थे उसके हिसाब से उनको जमीन दे दी गई थी लेकिन जो सैंट्रल ऐक्ट है वह रिपील हो गया और गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया ने 6 सितम्बर, 2005 को इस ऐक्ट को रिपील कर दिया जिस की वजह से हमें अलौटमैंट में दिक्कत आ रही है। उसके लिए हमने सब–कमेटी कांस्टीच्यूट की है। इस कमेटी की दो मीटिंगज हो चुकी हैं और उसका जो ड्राफट बिल है वह हमने एल०आर० के पास भेज दिया है जैसे ही यह हमारे पास आएगा हम स्टेट ऐक्ट बना लेंगे और उसके बाद सरकार अलॉटमैंट के बारे में विचार करेगी।

श्री शादी लाल बतराः अध्यक्ष महोदय, मैं जो जानना चाहता था उसके बारे में मन्त्री जी ने नहीं बताया कि कितने क्लेम आज पैंडिंग हैं, उनकी डिस्पोजल क्या होगी और ये क्लेमज कब से पैंडिंग हैं ?

केप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को पहले बताया था कि कितनी ऐप्लीकेशन्ज पैंडिंग हैं। स्पीकर सर, इसमें केवल माईग्रैटस की बात नहीं है जो टोटल ऐप्लीकेशन्ज हैं उसके बारे में मैंने बताया है

श्री शादी लाल बतराः स्पीकर सर, इसमें ..... शब्द का कोई मतलब नहीं है इस शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर सर, ... शब्द इसमें लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्षः इसमें इस ..... शब्द की जगह पर माईग्रैट शब्द होना चाहिए और यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

Capt. Ajay Singh Yadav: Mr. Speaker Sir, in total 5896 claim applications are pending involving the area of 480 acres in respect of the urban areas and 1604 applications involving an area of 3597 acres are pending in rural areas due to the above stay. सर, हम स्टे की वजह से यह जमीन अलाट नहीं कर सकते हैं। स्पीकर सर, माननीय सदस्य को मेरे जिन शब्दों की वजह से तकलीफ हुई है, वह सब मेरे रीटन जवाब में लिखा हुआ है मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है। उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं।

श्री शादी लाल बतराः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो स्टे हुआ है यह कब

हुआ है और कलेम की एप्लीकेशंज कब से पैण्डिंग हैं? स्पीकर सर, स्टे बाद में हुआ है और एप्लीकेशंज पहले ही पैण्डिंग थी, इस बारे में मैं यह पूछना चाहता हूं कि उनको डिसपोज आफ न करने के क्या कारण रहे हैं ?

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर सर, आज की तारीख में कोई भी कलेम पैण्डिंग नहीं है। अगर अब माईग्रैट पर्सनज की एप्लीकेशंज आई हैं तो मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहूंगा कि अब सरकार ने अलाटमैंट बैद कर दी हे। स्पीकर सर, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि यह सैन्ट्रल एक्ट रिपील हो गया है। हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए एल०आर० को भेजा हुआ है। स्पीकर सर, इसके अलावा ये जो पूछ रहे हैं कि पहले क्या हुआ था या क्या नहीं हुआ था इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है क्योकि यह प्रश्न मेन प्रश्न से सैप्रेट है।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मानः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि कलैक्टर ने जो नए रेट तय किए हैं, क्या ये जमीन कलैक्टर रेट से देंगे या जो पुराने रेट तय थे उसके अनुसार ही जमीन अलाटं करेंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर सर, हम जो नए कलैक्टर रेट्स हैं उसके मुताबिक ही जमीन देंगे।

श्री ए०सी० चौधरीः स्पीकर सर, सदन में जिस विषय पर चर्चा चल रही है इस बारे में मैं भी प्रश्न पूछना चाहता हूं।

लेकिन इससे पहले मंत्री जी जो बार–बार बाहर से आए हुए लोग कह रहे हैं, यह ठीक नहीं है। उस बारे में प्रोटैस्ट करता हूं। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से कहूंगा कि ये शब्द दोबारा से न दोहराए जाएं।

Mr. Speaker: Don't make it a controversy. Once the words have been expunged, the matter is over.

श्री ए०सी० चौधरी: स्पीकर सर, सन् 1982 से हर सैशन में किसी न किसी वजह से यह ईशु उठता है। अब यहां पर फरीदाबाद के लिए फीगर दी है कि कुल 300 मकान हैं जिनके लिए इतनी–इतनी जमीन फालतू पड़ी हुई है। सच यह है कि रिहैबिलिटेशन डिपार्टमैंट देश के बंटवारे के वक्त माईग्रैटस को अपने देश में रि–सैटल करने के लिए बनाया गया और उन्होंने साईज ऑफ प्लाट मुकर्रर किया था लेकिन हर प्लाट के साथ कुछ न कुछ एडशिनल लैंड रह गई। जिसे एडजेसैंट एरिया के तौर पर मान्यता प्राप्त हुई और 1982 और 1985 के बीच में उसका रेट तय हुआ वह ओं०इ रुपये प्रति गज है। उस वक्त 233 गज में जो मकान बनाए गए थे उनकी टोटल कॉस्ट इन्कलूडिंग कन्स्ट्रकशन 2615 रुपए थी। उस समय 40 पैसे या 50 पैसे प्रति गज के हिसाब से एक्वायर की गई जमीन का रेट 75 रुपए प्रति गज तय किया गया था। स्पीकर सर, पिछली सरकार के वक्त में मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन दुर्भाग्य है कि जब जब वे सत्ता में आए हैं उन्होंने कुछ न कुछ ऐसे गुल खिलाए कि मुझे उस बारे

में कहना पड़ेगा कि सिवाय बवाल पैदा करने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। जब वे पहले सत्ता में आए थे तो उन्होंने इसका रेट 75 रुपए प्रति गज के रेट को बढ़ाकर 250 रुपए प्रति गज किया और जब वे दोबारा से सत्ता में आए तो उन्होने उस रेट को 750 रुपए प्रति गज कर दिया। स्पीकर सर, हम अपना सब कुछ छोड़ कर यहां पर आए थे। हमारी सारी जायदाद के बदले में 2600 रुपए का मकान ''फिर बसाओं'' ' स्कीम के तहत मिला था और उस समय जमीन का रेट 50 पैसे प्रति गज था उसका रेट बढ़ाने का किसी को क्या अधिकार है। दूसरे स्पीकर सर, यह जो फीगर सदन में बताई गई है मैं रिस्पैक्टफूली कॉन्टैस्ट करता हूं क्योंकि मेरे हिसाब से फरीदाबाद में कम से कम 5000 से ज्यादा ऐसे केसिज हैं जिनकी ऐडजेसैंट लैंड भी है और एडिशनल लैंड भी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्यों न ऐसी इसकी इन्क्वायरी मुकर्रर कर दी जाए ताकि इस सिस्टम को भी सम्भाल लिया जाए और यह जो विवाद हे इसको खत्म किया जाए। इस विवाद से सम्बन्धित सभी समस्याओं का एकटूक निदान हो जाए ताकि आगे से लोगों को कोई असुविधा न हो।

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर सर, इन्होंने जो बात रखी हे। उस बारे में विचार कर लिया जाएगा। अभी हम स्टेट एक्ट बना रहे हैं जब वह बन जाएगा तो उसके अनुसार ही इस बारे में विचार किया जाएगा। अब ये इस तरीके से एक एक चीज पूछने लग जाएंगे तो मैं उसका जबाव नहीं बता सकता हूं। ये

लैंड के बारे में. पूछें कि कितनी लैंड अबेलेवल है लेकिन अगर ये और कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके लिए सैपरेट नोटिस दें, मैं उसका जबाव दे दूंगा।

श्री ए० सी० चौधरीः स्पीकर सर, मैं इसमें थोड़ी सी करैक्शन करना चाहूंगा। जहां तक इसके रैलेवैन्स का ताल्लुक है जब जमीन के बारे में कहा गया तो मैंने कहा कि तीन सौ नहीं बल्कि पांच हजार के करीब ऐसे इफैक्टेड लोग हैं जिनके मकानों से जमीन लगती है। सर, इन फिगर्ज को करेक्ट करने के लिए मैं रिस्पेस्ट कर रहा था। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आप एक इंक्वायरी कमेटी बनाएं और जो लोग इससे इफैक्टेड हैं उनको भी इसमें रिप्रैजेंटेशन दी जाए ताकि सरकार के सामने सही तस्वीर आ जाए और एक ही बार में सारी चीजों का निदान हो जाए।

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर साहब, इस बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस वक्त जो इस तरह जमीन के ऑकुपैंटस हैं उनको वह जमीन देने का फैसला हमने ले लिया था लेकिन इसमें कोर्ट का स्टे है। दलमेर सिंह एंड अदर्ज वर्सिज स्टेट केस के कारण 11 फरवरी, 2003 को इसमे स्टे हो गया था। स्पीकर सर, हम कोशिश करेगे कि जल्दी ही यह स्टे वेकेट हो जाए ताकि जो जमीन के आकुपैंट्स हैं और जो जमीन उनके मकानों के साथ लगती हुई है तथा जो जमीन हमारे काम की नहीं

है वह उनको दे दी जाए। स्पीकर सर, सरकार इस बारे में विचार कर रही है।

श्री आनन्द सिंह दागी: अध्यक्ष महोदय, मैं मुक्त भोगी हूं इसलिए मुझे पता है कि सरकार इस तरह से उनको जमीन नहीं दे सकती। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह किस टाईप की जमीन है और इसमें क्या होना चाहिए। जो माइग्रेट पर्सनज हैं उनकी जो प्रोपर्टी पाकिस्तान में थी उसकी ऐवज में जहां जहां पर वे सैट्रल हुए हैं वहां वहां पर उनके नाम यह जमीन देने की बात है। इसका बाकायदा रिकार्ड होता है, फर्द होती है, जमाबन्दी होती है यानी सब तरह के रिकार्ड चौक करने के बाद और वेरीफिकेशन के बाद जमीन अलाट की जाती है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि इस बारे में सरकार के पास ऐप्लीकेशंज पैंडिंग पड़ी हैं। अगर माइग्रेट पर्सज की ऐप्लीकेशंज पैंडिंग पड़ी हैं तो और आप उनको डिसपोज ऑफ नहीं करेंगे तब तक आप किसी और के नाम जमीन अलीट नहीं कर सकते। किसी और को तब तक यह जमीन नहीं दी जा सकती। अध्यक्ष महोदय, जब सरकार के पास उनकी ऐप्लीकेशंज पैंडिंग हैं तो पहले आप उनको वैरीफाई करवाओ कि उनका हक बनता है या नहीं। अगर हक बनता है तो उनके नाम वह जमीन अलौट करो और यदि उनका हक नहीं बनता है तो उसके बाद ही दूसरी बात सोची जा सकती है। अगर आपके पास ऐप्लीकेशंज पैंडिंग हें तो पहले आपको उन पर विचार करना

पड़ेगा और यदि उनका हक बनता है तो आपको पहले उनको जमीन देनी पड़ेगी।

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर साहब, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि 1 – 11 –2001 को फैसला ले लिया गया था कि जो इस तरह की लैंड है जिस पर अनअथोराइज्ड आकुपैंट्स हैं और जिसका कब्जा हम नहीं ले पा रहे हैं तथा जिसके बारे में कई कोर्टस में भी केसिज पैंडिंग है तो ऐसी लैंड पर 1947 से जो लोग काबिज हैं उनको बीस परसैंट मार्किट रेट के हिसाब से दे दी जाए, जो 1985 से काबिज हैं उनको 40 परसेंट मार्किट रेट के हिसाब से दे दी जाए और जो 1995 से काबिज हैं उनको 60 परसैंट मार्किट रेट के हिसाब से दे दी जाए। इस बारे में सरकार ने फैसला ले लिया था। इसके बाद उनको दोबारा से ऐप्लाई करने के लिए मौका दिया गया और यह कहा गया था कि 28–2 –2002 तक ऐप्लाई कर दें। स्पीकर साहब, टोटल दस इक्विल इंस्टालमैंट्स देने की बात की गयी थी और कहा गया था कि यदि वे डिफाल्टर रहते हैं तो 18 परसेंट प्रति वर्ष के हिसाब इंट्रस्ट लगा दिया जाए। स्पीकर साहब, 11 फरवरी, 2003 को यह स्टे आ गया इसलिए उसके बाद हम आगे इस जमीन को अलॉट नहीं कर पा रहे हैं।

श्री आनन्द सिंह दागीः अध्यक्ष महोदय, जो प्राइस फिक्स करके जमीन देने वाली बात है यह भी बड़ा भारी फ्राड है। ओम प्रकाश चौटाला ने अपने लोगों को उस जमीन पर काबिज करके

औने पीने दामों पर यह जमीन दे दी। 20 परसैंट, 25 परसैंट कीमत का क्या मतलब हुआ? उसने उस समय सारे अपने लोगों को काबिज करवाकर इस तरह की प्राइस फिक्स कर दी और उन लोगों को जमीन देने की बात कह दी। अध्यक्ष महोदय, रिहैबीलिटेशन डिपार्टमैंट की जहां भी यह जमीन पड़ी है वहां सभी जगहों पर उन्होंने ऐसा किया है। उन्होंने औने पीने दामों पर यह जमीन डिसपोज ऑफ करने की बात की है जोकि नहीं की जा सकती है, यह सारा गलत है। सरकार इस बारे में कोई जवाइंटली डिसीजन तो ले सकती हे लेकिन यह तो एक ही आदमी का डिसीजन हे और केवल अपने लोगों को फायदा देने की बात करके गैर कानूनी तरीके की जो बात की गयी थी वह गलत है।

केप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने पिछली गवर्नमैंट की बात की है तो उसके बारे में जैसा मैंने पहले ही कहा है कि इस मामले की हम जांच करवा लेंगे कि कितनी जमीन अलाट की गई है?

श्री आनन्द सिंह दागीः अध्यक्ष महोदय, मैं एक साल तक मैं इस मामले मे जेल में रहा हूं। मैं इस मामले का भुक्तभोगी हूं। मुझे इस बारे में पता हे।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बारे में मी बताया है कि मैंने अपने विभाग को इस तरह के निर्देश दे दिए हैं कि आगे से कोई ऑक्शन की बात होगी या अलॉटमैट की

बात होगी तो उसके बारे में बाकायदा गवर्नमैंट से परमीशन लेकर करें।

प्रो० छतर पाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पिछली जो लोकदल की सरकार थी जिसके बारे में अभी दागी साहब ने भी बात कही है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने क्लेम सैटल किए गए हैं और कितनी जमीन पिछली सरकार में किन–किन लोगों को अलाट की गई है क्या मंत्री जी इस बारे में कोई फिग्गर्ज बता सकते हैं और क्या उनके नाम बता सकते हैं ?

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, जो इन्क्रर्मेशन इन्होंने मांगी है उस बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस समय टोटल 490 अनअथोराज्ड ऑक्यूपैंट्स हैं और 929 एकड़ लैंड ट्रांसफर हुई है जिसमें से गवर्नमैंट इंस्टीच्यूशंज को 94 एकड़ मिली है, अपने डिपार्टमैंट को 94 एकड़ लैंड दी है और टोटल 593 एकड़ एरिया ट्रांसफर हुआ है। अर्बन एरिया में गवर्नमैंट इंस्टीच्यूशंज में 6 एकड़ और टोटल 45 एकड़ लैंड ट्रांसफर हुई है। जैसा डांगी साहब ने कहा हे कि इसकी जांच होनी चाहिए तो इसकी जांच भी करवाएंगे और जो 593 एकड़ जमीन उस वक्त 2003 में ट्रांसफर हुई थी और उसका बाद में स्टे हो गया था उस बारे में जांच करवाएंगे और जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी।

प्रो० छतर पाल सिंहः यह जमीन किन–किन लोगों के नाम हुई थी यह भी बताएं?

कैप्टन अजय सिंह यादव सर, उसके बारे में मेरे पास अभी डिटेल नहीं है। टोटल कितने एकड़ लैंड है उसके बारे में मैंने बता दिया है।

श्री आनन्द सिंह दागीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जो ये इंक्वायरी करेंगे उसमें यह भी देखें कि जो जमीन उनको दे दी गई थी उस जमीन पर वे लोग कब से काबिज थे?

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, में आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हम जो इंक्वायरी करवाएंगे उसमें सारे फैक्टस आ जाएंगे। मैंने इस बारे में ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस ऐश्योरैंस दे दी है। हम यह भी इंक्वायरी करवाएंगे वे लोग इस जमीन पर कब से काबिज थे।

श्री एस०एस० सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ये जो बार–बार अपने जवाब में कह रहे हैं कि जिनके कब्जे में यह जमीन है और उन्होंने दर्खास्त दी है, उनको जमीन अलीट करुने के बारे में विचार करेंगे। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि इनकी यह बात बिलकुल अनप्रिंसिपल्ड है और इनकी यह गलत बात है I think they should be thrown out अगर उन्होंने स्टे ले लिया है

तो स्टे वैंकेट हो जाएगा। एक बात और जो मैं पूछ रहा हूं उसके बारे में इन्होंने कमिट नहीं किया है। ऐसी जमीन का कब्जा छुड़ाने के बाद अगर हमारे दूसरे भाई जो जमीन के हकदार हैं उनको जमीन पिछली बार मिलनी रह गई थी, उनको जमीन अलीट होने के बाद बचती हुई जमीन क्या वे ऐसे दलितों को जो कि भूमिहीन हैं और जो लोकल लोग हे, उनको अलीट करने के बाद में विचार करेंगे

श्री अध्यक्षः उसके बारे में जवाब आ चुका है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में हम ऐक्ट बना रहे हैं १ जो ऐसे भूमिहीन लोग हैं उनके बारे में भी सरकार विचार करेगी।

श्री एस०एस० सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि नाजायज कब्जे छुडवाएं हैं या नहीं?

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, नाजायज कब्जे छुड़ाने की जहां तक बात है उसके बारे में कोर्ट में ऐप्लीकेशन पैंडिंग पड़ी हुई हैं।

श्री ए०सी० चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से फिर एक बार इस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो मकान सरकार ने माइग्रैट्स को बनाकर दिये थे उनका स्टैडर्ड साइज 233 गज था। मकान के दोनों तरफ नालियां

व मकान के दोनों तरफ सड़कें बनाकर दी थी। उस जगह किसी की छह इंच की चौड़ाई की नाली है, किसी की आठ इंच है और किसी की 12 इंच है और सड़कों की चौड़ाई 30–35 फुट की तय थी तकरीबन हर मकान के साथ 25 गज से लेकर 75 गज तक ऐडजेसेंट लैंड है। जैसा मैंने पहले कहा उस समय 1948 में इस जमीन की अक्वायर्ड प्राइस 40 पैसे प्रति गज थी और लोगों ने इस जमीन के लिए प्रिसक्राईब फार्म भरकर एप्लाई किया था और यह कहा था कि हमसे टोकन मनी ले ली जाए। एडजेसैंट लैण्ड का जो पहले फैसला हुआ है जैसे बाद में चौटाला साहब ओर देवीलाल सरकारों ने दो बार निरस्त करके उसे अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए जोड़ा गया क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि उस जमीन को पुराने रेटों पर उसी तरीके से उसी हिसाब से सरकार पैसे लेगी।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही एक बात कही थी कि सरकार ने यह फैसला लिया कि वर्ष 1947 के दौरान जो लोग काबिज थे उनके पास अगर कोई ऐसी जमीन है जिसको वे आकूपाई कर रहे हैं उनसे उस जमीन कि फिलहाल जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से 20 प्रतिशत राशि ले ली जाए या कलैक्टर रेट के हिसाब से पैसा लिया जाए।

श्री ए०सी० चौधरीः कब की मार्कट वैन्यू।

कैप्टन अजय सिंह यादवः इस समय की मार्केट वैन्यू।

श्री ए०सी० चौधरीः स्पीकर सर, उस समय 233 गज कान्सट्रक्टिड प्लाट का 40 पैसे प्रति गज के हिसाब से 2615 रुपये बनता है। अगर आज की मार्किट वैन्यू के हिसाब से उसका हिसाब लगाया जाए तो जो जमीन उस समय 2600 रुपये की थी अगर आज की मार्किट वैल्यू की स्ट्रिप वैन्यू लगायें तो उसकी 20 प्रतिशत राशि ही 50000 रुपये से ऊपर बनती है। यह तो वही बात हुई टके की गोली और आना सेर बुलाई। 2600 रुपये का मकान और उसकी स्ट्रीप की कीमत 50000 रुपये लेने के ये कैसे हकदार बन सकते हें। मैं चाहूंगा कि जिस रेट पर यह जमीन अलाट की गई थी उसी रेट पर जमीन दी जाए।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह फैसला वर्ष 2001 में लिया था उस समय प्रदेश में चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी की सरकार थी। जब यह एक्ट बन जायेगा उसके बाद सरकार इसके बारे में दोबारा से फैसला करेगी।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मानः अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने बताया कि इनके पास उस जमीन की एलॉटमेंट की एप्लीकेशंज आई हैं क्या उनके पास जो नै 947 में डिसट्रैस आदमी थे उनकी दरखास्तें आई हैं या उन आदमियों की भी एप्लीकेशंज हैं जिन्होंने उसके बाद उस जमीन पर कब्जा किया है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मेरे पास टोटल एप्लीकेशंज पड़ी हैं लेकिन इस समय मैं उनकी डिटेल नहीं

बता सकता कि कितनी एप्लीकेशंज किन–किन आदमियों की हैं। इसके बारे में मैं डिटेल बाद में बता दूंगा।

शिक्षा मन्त्री (श्री फूल चन्द मुलाना): अध्यक्ष महोदय, इस विषय में एक बार एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में मैं भी हाजिर था। अध्यक्ष महोदय, उस जमीन को नाजायज पोजैशन के आधार पर ट्रांसफर करने की जो ऐप्लीकेशंज हैं वे एग्रीकल्चरल लैण्ड की नहीं हैं वे दरख्वास्तें तो प्लीटस के लिए हैं या जिन लोगों ने अपने मकान बना लिए हैं उनकी हैं कि वे सरकारी कीमत पर दे दी जाए। लेकिन यह मामला सरकार के विचाराधीन कमेटी के सामने कभी नहीं आया। एग्रीकल्चरल लैण्ड को रिजर्व प्राइस पर दे दिया जाए। उसमे ऑक्शन का है या ओपन ऑक्शन का है या रिजर्व प्राइस की जो जमीन है उसकी ऑक्शन के लिए है।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, इसमें ऐसा नहीं है। टोटल एप्लीकेशंज लगभग 5800 या 5900 आई हैं जो अर्बन एरिया की 400 एकड़ जमीन के लिए पैंडिंग हैं। इसके इलावा 1604 एप्लीकेशंज हैं जो रूरल एरिया की 3597 एकड़ जमीन के लिए बाकी हैं। इसलिए इसमें अर्बन और रूरल दोनों एरियाज की एप्लीकेशंज हैं।

श्री आनन्द सिंह दागी: अध्यक्ष महोदय, ये जो एप्लीकेशंज हैं वे माईग्रेटिड परसन्ज की हैं या जनरल परसन्ज ने दे रखी हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादवः इसमे दोनों तरह की हैं।

श्री आनन्द सिंह दागीः दूसरे का कोई आधार नहीं है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर सर, यह फैसला वर्ष 2001 का है और वर्ष 2003 में इस बारे में कोर्ट से स्टे मिल गया था। इस प्रकार की कोई जमीन न तो अलीट की गई है और न ट्रांसफर की गई है।

श्री आनन्द सिंह दागीः जो स्टे की बात कह रहे हैं मंत्री जी वह स्टे उस आदमी का नहीं है जिसने कब्जा कर रखा है। कैप्टन साहब, जो स्टे ले रखा है।.. .....

Mr. Speaker: Dangi Sahib, address to the chair, मंत्री जी आपकी बात सुन रहे हैं अगर आपका जवाब नहीं आये तो आप कहना Please address to the chair.

श्री आनन्द सिंह दागीः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जो स्टे की बात कह रहे हैं वह स्टे उन लोगों ने ले रखा है जिनको यह जमीन अलॉट की गई थी लेकिन चौटाला साहब ने उस अलॉटमँट को कैन्सिल करने का काम किया है। यह सारे का सारा मामला गलत कर रखा है। मैं गुजारिश करता हूं कि इस पर सारे तथ्यों की जांच करवाकर इन्क्वायरी करवाई जाये। जहां तक मंत्री जी ने उनके नाम जमीन करने की बात कही है जिन लोगों का जमीन पर कब्जा है यह बिलकुल गलत बात है ओर किसी ने स्टे नहीं लिया हुआ है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, हमने एडवोकेट जनरल को रिकवैस्ट की है कि इस स्टे को जल्दी से जल्दी वैकेंट करवाया जाये और जो जमीन पहले किसी को दी गई है उसके बारे में मैं जवाब दे चुका हूं कि उसकी हमारी सरकार जांच करवायेगी।

अतिविशिष्ट व्यक्ति का अभिनन्दन

श्री अध्यक्षः चौधरी रणबीर सिंह जी, जो हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुडा जी के पिता जी हैं, ये बहुत बड़े फ्रीडम फाईटर रहे हैं ओर कान्स्टीचूयैट असैम्बली के अकेले alive मैंबर हैं, ये आज इस समय हमारे वी०आई०पी० गैलरी में हाजिर हैं। मैं सदन की तरफ से और अपनी तरफ से उनका स्वागत करता हूं।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य तेजेन्द्र पाल सिंह मान जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सदन में उठाया है। अध्यक्ष महोदय, पुनर्वास विभाग देश के सैंट्रल एक्ट की मर्यादाओं में आता था और अब सैंट्रल एक्ट खत्म हो चुका हे। मेंने विधायक दल की मीटिंग में भी यह बात रखी थी कि जितनी भी प्रदेश के अंदर इस विभाग की जमीने हैं और गैरकानूनी तरीके से पड़ी हुई हैं, मुझे पता चला है कि उस बारे में विभाग ने बिल तैयार किया है, उसके प्रोविजंस तैयार किए हैं लेकिन यह बिल किसी वजह से विधान सभा में नहीं आ सका। मैं मंत्री जी से

जानना चाहूंगा कि जब सैंट्रल एक्ट ही खत्म हो चुका है तो पुनर्वास विभाग की जमीनें आज हरियाणा में कौन से एक्ट के तहत आती हैं,. जबकि हरियाणा ने अपना कानून इस बारे में नहीं बनाया है?

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं। इसकी कैबीनेट सब कमेटी बनी थी। उन्होंने एक स्टेट एक्ट फरेम करके एल०आर० को भेज दिया है। इस पर अभी एल०आर० की आब्जर्वेशन आनी है। जब यह एक्ट बन जायेगा उसके बाद ही हम आगे कार्यवाही कर सकते हैं। उससे पहलें कोई कार्यवाही नहीं हो सकती।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाह रहा था कि जो हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई है यह जमीन हरियाणा में कौन से एक्ट के तहत मानी जायेगी।

श्री शादी लाल बत्तराः अध्यक्ष महोदय, हम यही जानना चाहते हैं कि सैंट्रल एक्ट खत्म हो गया हे और एक्ट तो जब बनेगा तब बनेगा लेकिन अब उन जमीनों का मालिक कौन है ?

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में पुनर्वास विभाग है यही उन जमीनों का मालिक है।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, पुनर्वास विभाग का कोई कानून नहीं है। हम यह जानना चाहते हैं कि किस कानून के तहत वे जमीनें आती हैं और उनका मालिक कौन है।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बड़ी स्पष्टता से माननीय सदस्य के सवाल का जवाब दे दिया है। मेरे काबिल दोस्त को मालूम होना चाहिए कि all lands which does not vest with any individual, vest with the State. यह एक बेसिक प्रिंसीपल है कि जो जमीन किसी में वैस्ट नहीं करती, वह जमीन सरकार के साथ वैस्ट करती है। मेरे काबिल दोस्त को कानून मालूम है और वे काबिल वकील भी हैं लेकिन पता नहीं वे फिर भी इस प्रकार का प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जवाब दिया कि वे जमीनें स्टेट में वैस्ट करती हैं, लेकिन स्टेट के तो बहुत से विभाग हैं। इसलिए यह बताया जाये कि ये जमीनें स्टेट के कौन से विभाग में वैस्ट करती हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, पुनर्वास विभाग हरियाणा में है और इसी के तहत ये जमीनें आती हैं।

श्री आनंद सिह दांगी: अध्यक्ष महोदय, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज भी ये जमीनें सैंट्रल गवर्नमैंट के अंदर आती हों।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि 1961 में ये जमीने सैंट्रल गवर्नमैंट ने स्टेट गवर्नमैंटस को ट्रांसफर कर दी थी।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता हे।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Auction of Land of Farmers

57. Shri Karan Singh Dalal: Will the Chief Minister be pleased to state the total number of cases of farmers whose lands have been auctioned or notice for auction lands have been issued in default of payment of loans granted by the Cooperative Primary Agriculture Rural Development Banks in the State during the year 2003-04, 2004-05, 2005-06 and 2006-07 till date ?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): सूचना निम्न प्रकार दी जाती है: –

वर्ष	किसानों की संख्या जिनकी भूमि नीलाम की गई है	किसानों की संख्या जिनकी भूमि की नीलामी के लिए नोटिस दिए गए है।
2003-04	37	2739
2004-05	शून्य	1335
2005-06	शून्य	1636

2006-07 (अब तक)	1	4219

Loan Granted to Farmers

69. Dr. Sita Ram: Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) The details of year wise amount of loan granted to farmers alongwith, its recovery from them by the Haryana Cooperative Land & Rural Development Bank during the period from 2000 to date, alongwith the year wise profit. and loss suffered by the said bank ; and

(b) The amount of loan granted to the Haryana Cooperative Land & Rural Development Bank by the NABARD during the year 2006-07 ?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): (क) सूचना निम्न प्रकार दी जाती है: –

(राशि करोड़ों मे)

वर्ष	किसानों को दिये गये ऋण की राशि	किसानों से वसूल की गई राशि	लाभ	हानि
2000-01	276.34	334.60	7.01	-
2001-02	366.02	401.24	7.74	-

2002-03	406.70	480.28	9.11	-
2003-04	427.25	633.00	10.17	-
2004-05	495.11	414.43	-	2.92
2005-06	302.68	488.67	-	48.15
2006-07	180.56 (28–2–07 तक)	225.82 (31–12–06 तक)	वित्त वर्ष की समाप्ति पर की जाएगी	
कुल जोड	2454.66	2978.04		

(ख) नाबार्ड ने हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को वर्ष 2006–07 मे 218.15 करोड़ रुपये 31 –01 –07 तक के ऋण/पुनर्वित की राशि प्रदान की है।

शोक प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने शोक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। यह सदन हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री ओमप्रकाश चौटाला के दामाद एवं विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री टेकराम के सुपुत्र कैप्टन जसवन्त सिंह तथा स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती शकुन्तला सुखन, करनाल के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है और यह सदन

शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो शोक प्रस्ताव सदन में रखा है और दिवंगत आत्मा के प्रति जो इन्होंने विचार प्रकट किये हैं मैं भी अपने आपको इनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं। कैप्टन जसवन्त सिंह, जो श्री टेक राम, भूतपूर्व सदस्य हरियाणा विधान सभा के सुपुत्र और उस इलाके में बहुत जाने माने व्यक्ति चौधरी राजमल के सुपोत्र थे तथा श्री ओमप्रकाश चौटाला, सदस्य हरियाणा विधानसभा के दामाद थे एक अच्छे व्यक्ति थे। मेरे भी उनके साथ तकरीबन 35–40 साल से बड़ी अच्छी तरह से सम्बन्ध रहे हैं। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं कि वह बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उनके परिवार में मेरी भी एक बहन उनके चाचा के लड़के के साथ शादीशुदा है बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उनका व्यवहार बहुत शालीनतापूर्वक था। उनके निधन पर मुझे गहरा शोक है।

मैं श्रीमती शकुन्तला सुखन, करनाल के दुखद निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूं। श्रीमती शकुन्तला सुखन ने देश और समाज की बड़े अच्छे ढंग से सेवा की। इन दोनों द्वारा और समाज के लिए की गई सेवा के योगदान को हम भुला नहीं सकते। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। मैं परमपिता परमात्मा से इनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं और शोक

संतप्त परिवारों तक इस सदन की संवेदना पहुंचा दी जायेगी। अब मैं दिवंगत आत्माओं के सम्मान में उनको श्रद्धांजली देने के लिए दो मिनट का मौन धारण करने के लिए इस सदन के सभी सदस्यों से खड़ा होने का अनुरोध करता हूं।

(इस समय सदन ने दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया)

अनुपस्थिति की अनुमति

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I am to inform the House that **I** have received a letter from Shri Ramesh Kumar Gupta, M.L.A. dated 21st March, 2007, vide which he has expressed his inability to attend the Session of Haryana Vidhan Sabha on 22nd March, 2007 due to his ill health.

Mr. Speaker: Question is—

That the permission for leave of absence for 22nd March, 2007 be granted.

Voices: Yes yes.

The motion was carried.

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 15.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the proceedings on the items of businees fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule `Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the proceedings on the items of businees fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule `Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker: Question is—

That the proceedings on the items of businees fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule `Sittings of the Assembly', indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 16.

Transport Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala): Sir, **I** beg to move—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine die.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine die.

Mr. Speaker: Question is—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now, the Parliamentary Affairs Minister will lay papers on the Table of the House.

Transport Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to lay on the Table—

The Audit Report of Haryana State Pollution Control Board for the year ending 31st March, 1997, as required under section 40 (7) of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

The Audit Report of Haryana State Pollution Control Board for the year ending 31st March, 1998, as required under section 40 (7) of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

The Audit Report of Haryana State Pollution Control Board for the year ending 31st March, 1999, as required under section 40 (7) of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

The Audit Report of Haryana State Pollution Control Board for the year ending 31st March, 2000, as required under section 40 (7) of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

The Audit Report of Haryana State Pollution Control Board for the year ending 31st March, 2001, as required under section 40 (7) of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

The Annual Report of Haryana Police Housing Corporation Limited for the year 2003-2004, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

विधान सभा समितियों की रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना

(1) अधीनस्थ विधान समिति की 36वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now, Shri Ramesh Chander Kaushik, Chairperson, Committee on Subordinate Legislation will present the Thirty Sixth Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 2006-07.

Chairperson, Committee on Surbordinate Legislaltion (Sh. Ramesh Chander Kaushik): Sir, **I** beg to present the Thirty Sixth Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 2006-07.

(2) सरकारी आश्वासनों के बारे में समिति के 36वें रिपोर्ट

Mr. Speaker: Hon'ble Members now, Shri Naresh Sharma, Chairperson, Committee on Government Assurances will present the Thirty Sixth Report of the Committee on Government Assurances for the year 2006-07.

चेयरपर्सन, सरकारी आश्वासन समिति (श्री नरेश प्रधान). अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2006–07 के लिए सरकारी आश्वासनों के बारे में समिति की 36वीं रिपोर्ट सादर प्रस्तुत करता हूं।

(3) (क) लोक लेखा समिति के 50वी रिपोर्ट

(ख) लोक लेखा समिति की 60वी रिपोर्ट

Mr. Speaker: Hon'ble Members now, Smt. Parsanni Devi, Chairperson, Committee on Public Accounts will present the Fifty Ninth Report of the Committee on Public Accounts for the year 2006-07 on the Appropriation Accounts/Finance Accounts of the Haryana Government for the year 2004-05. She will also present the Sixtieth Report of the Committee on Public Accounts for the year 2006-07 on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2001 (Civil and Revenue Receipts).

चेयरपर्सन, लोक लेखा समिति (श्रीमती प्रसन्नी देवी): स्पीकर साहब, मैं वर्ष 2004–2005 के लिए हरियाणा सरकार के विनियोग लेखों/वित्त लेखों पर वर्ष 2006–2007 के लिए लोक लेखा समिति की 59वीं रिपोर्ट सादर प्रस्तुत करती हूं

स्पीकर सर, मैं 31 मार्च, 2001 (सिविल तथा राजस्व प्राप्तियों) को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियन्त्रक तथा महा–लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर वर्ष 2006–2007 के लिए लोक लेखा समिति की 60वी रिपोर्ट भी सादर प्रस्तुत करती हूं।

(4) लोक उपक्रमों संबंधी समिति की 53वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now, Shri Shamsher Singh Surjewala, Chairperson, Committee on Public Undertakings will present the Fifty Third Report of the Committee on Public Undertakings for the year 2006-07 on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the years 2000-2001 to 2003-04 (Commercial).

Chairperson, Committee on Public Undertakings (Shri Shamsher Singh Surjewala): Sir, I beg to present the Fifty Third Report of the Committee on Public Undertakings for the year 2006-07 on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the years 2000-2001 to 2003-04 (Commercial).

(5) प्राक्कलन समिति की 36वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now, I.G. Sher Singh, Chairperson, Committee on Estimates will present the Thirty Sixth Report of the Committee on Estimates for the year 2006-07 on the Budget Estimates for the year 2006-07 Development and Panchayats Department.

Chairperson, Committee on Estimates (I.G. Sher Singh): Sir, I beg to present the Thirty Sixth Report of the Committee on Estimates for the year 2006-07 on the Budget Estimates for the year 2006-07 Development and Panchayats Department.

(6) अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा पिछड़े वर्गो के कल्याण की समिति की 30वी रिपोर्ट

Mr. Speaker: Hon ' ble Members, now, Smt. Raj Rani Poonam, Chairperson, Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes will present the Thirtieth Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes for the year 2006-07.

(सदस्य, अनूसूचित जातियों, जनं–जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण की समिति) श्री बचन सिंह आर्यः स्पीकर सर, मैं वर्ष 2006–07 के लिए अनुसूचित जातियों, जन–जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण की समिति की 30वीं रिपोर्ट सादर प्रस्तुत करता हूं।

विधान कार्य–

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 1ऐ) बिल, 2007

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 2007 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Shri Birender Singh): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 2007.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be

taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is—

That Clause'3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will move that the Bill be

passed.

Finance Minister (Shri Birender Singh): Sir, **I** beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

नियम 64 के अधीन वक्तव्य सदस्यों द्वारा धन्यवाद

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से सदन में एक स्टैटमैंट देना चाहता हूं। जैसा आपको मालूम है कि पिछले दिनों पूरे प्रदेश में ओलावृष्टि से फसलों का काफी नुक्सान हुआ है। मैं स्वयं भीं इफैक्टिव एरियाज के दौरे पर गया था और हमने वहां पर दौरा करने के लिए ओर मुआवजा देने के लिए भी केन्द्र सरकार से मांग कर रखी है। केन्द्र की टीम जल्दी ही स्टेट में आने वाली है ताकि हमारे किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा जो फसलों के हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए निर्धारित नार्मज हैं हम उसके अनुसार ही मुआवजा देंगे। इसी तरह से उन किसानों के लिए राहत देने का काम किया है जिनकी फसलों का 25 प्रतिशत से ज्यादा नुक्सान हुआ है। उस बारे में हमने फैसला लिया है कि रबी 2007 का जो आबियाना है उसको 6 महीने के लिए डैफर कर दिया है। राज्य के सहकारी लेंको के अल्पावधि के क्रोप लोन को मध्यावधि टर्म लोन में बदल दिया जाएगा। अगले साल 2007 की फसल के बीज के लिए हमारी सरकार की तरफ से सबसीडी दी जाएगी। प्रभावित इलाकों मे रोजगार बदाने के लिए अतिरिक्त स्कीमें लागू की जाएंगी जिससे कृषि आधारित श्रमिकों को रोजगार का मौका मिलेगा। इसके साथ ही फसलों के नुकसान

की भरपाई राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नार्मज के आधार पर दी जाएगी जो भारत सरकार के नार्मज से कहीं ज्यादा हैं। स्पीकर सर, जब हमारी सरकार आई थी तो मैंने इस बारे में पहले भी बताया था कि हरियाणा में एक एक्सप्रैस हाई–वे दिल्ली के तीनों तरफ बनाना था। हमारे से पहले जो सरकार थी उन्होंने उस वक्त दो लाख रुपए एक्वीजीशन का रेट रखा था। यह रोड 135 किलोमीटर बनना था और उसका टोटल कम्पनसिएशन 167 करोड़ रुपए आका गया था। हमारी सरकार के आने के बाद हमने उसका फ्लोर रेट बढ़ाया है उसमें हमने कहा है कि फ्लोर रेट कम से कम इतना होना चाहिए ताकि जिनकी जमीन इसमें आए उनको अच्छे दाम मिले। इसमें दिल्ली ने भी और उत्तरप्रदेश ने भी मेसा देना है। हमने उस रेट को 167 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अब 650 करोड़ रुपए किया है जो कि किसानों को मिलेगा। इसी प्रकार से एन०सी०आर० के बाहर का जो इलाका है उसके लिए भी पहले हमने फ्लोर रेट निर्धारित किए थे लेकिन जैसा आपको मालूम हे कि अब भी किसानों की तरफ से बहुत सी रिप्रैजेंटेशनज हमारे पास आती हैं कि जो दिल्ली के भाव हैं वह हमारे से कुछ ज्यादा हैं। डौल से इस तरफ कम रेट हैं और डील से दूसरी तरफ ज्यादा रेट हैं। इस बात को देखते हुए हमने फैसला किया कि पूरे प्रदेश का फ्लोर रेट फिर से फिक्स किया जाए। अध्यक्ष महोदय, जो गुड़गांव का अर्बेनाइज एरिया है जिसको हाई पौटेंशियल एरिया भी कहते हैं उसमें पहले हमने फ्लोर रेट 15 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से फिक्स किया था तथा सोलेशियम

मिलाकर यह 19.50 लाख रुपये पड़ता था। लेकिन अब हमने फैसला किया है इसका फ्लोर रेट 20 लाख रुपये प्रति एकड़ होगा और सोलेशियम मिलाकर यह 26 लाख बन जाएगा। इसमें इंट्रेस्ट अलग है। इसी प्रकार से बकाया जो एन०सी०आर० का एरिया है उसमें पहले 12.50 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से फ्लोर रेट था और सोलेशियम मिलाकर यह 16 लाख 25 हजार रुपये किसान को मिलते थे। इसमें व्याज अलग था। लेकिन अब हमने फैसला किया है कि यह फ्लोर रेट 16 लाख रुपये हम करेंगे और सोलेशियम यह 4 लाख 80 हजार रुपये होगा। इस तरह से 20 लाख 80 हजार प्रति एकड़ से कम किसी को नहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ इंट्रैस्ट भी किसानों को मिलेगा। पंचकुला में भी एन०सी०आर० वाले फ्लोर रेट लागू होंगे। अध्यक्ष महोदय, जो बाकी प्रदेश का एरिया है उसमें पहले जमीन ऐक्यायर कैरने पर किसान को पांच लाख रुपये प्रति एकड़ फ्लोर रेट के हिसाब से पैसा मिलता था और सोलेशियम मिलाकर. यह 6.50 लाख रुपये पड़ता था लेकिन अब हमने फैसला किया है कि यह फ्लोर रेट 8 लाख रुपये प्रति एकड़ करेंगे और सोलेशियम इसमें 2 लाख 4० हजार रुपये होगा। इस तरह से 10 लाख 40 हजार रुपये प्रति एकड़ से यह किसी को भी कम नहीं मिलेगा। इसमें ब्याज अतिरिक्त होगा। स्पीकर सर, सरकार ने यह भी फैसला किया है कि जिस तरह से हमने पहले कोओपरेटिव बैंकों के लोन जमा करवाने में लोगों को सुविधा दी थी तो उसी तरह से हरियाणा शिडयुल्ड कास्टस फाईनेंस एण्ड डिवैल्पमैंट कोरपोरेशन और

हरियाणा बैकवर्ड कलासिज एण्ड इकनोमिकल वीकर सैक्यान कल्याण निगम से जिन व्यक्तियों ने लोन ले रखा है अगर अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी 31 –3–2006 तक वे लोन देने में असमर्थ रहे तो उनको वन टाइम सैटलमैंट देने का फैसला हमने किया है। 30–6–2007 को यदि कोई अपने मूलधन राशि की अदायगी करेगा तो उसको सारा ब्याज व पैनल रैंट माफ कर दिया जाएगा।

श्री एस०एस० सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा के तमाम किसानों की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा के लिए स्वागत करता हूं, इनका धन्यवाद करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। असल में जिन किसानों की जमीनें दिल्ली से दूर हैं, एन०सी०आर० से दूर हैं, पंचकुला से दूर हैं, उनकी कीमतें पांच–पांच लाख रुपये प्रति एकड़ से ज्यादा बढ गयी थी। हालांकि इस सरकार ने एन०सी०आर० को छोड़कर जो ओम प्रकाश चौटाला ने दो लाख, तीन, लाख या डेढ़ लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से रेट दिए थे, उसे बढाकर पांच लाख रुपये प्रति एकड़ कर दिए थे। दिल्ली से दूर और पंचकुला से दूर जो जमीन थीं उनका रेट बढ़ाकर सरकार ने पहले ही पांच लाख रुपये प्रति एकड़ मिनीमम किया था और अब यह 9 लाख रुपये प्रति एकड़ कर दिया है यानी कुल मिलाकर अब यह 10 लाख या 10.00 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। इस तरह से उनकी जमीनों की कीमतों को दोगुणा या डयोढा कर दिया गया है।

स्पीकर सर, जो फ्लोर रेट डिकलेयर किया गया है इसी रेशो से बाजार के आम भाव भी निर्धारित होते हैं। अब यदि एक प्राईवेट आदमी जमीन खरीदेगा तो दस लाख रुपये प्रति एकड़ से ख्य की कोई भी जमीन नहीं बिकेगी। इसी प्रकार से जिस जमीन के पहले नं 6 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से रेट दिए जाते थे उसके अब 20 लाख रुपये प्रति एकड़ रेट कर दिए हैं। ये सारी घोषणाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह बात किसान की, गरीब की जिंदगी में एक नयी रोशनी लेकर आएगी और एक नयी करवट लेकर आएगी। अब उसकी रोशनी और उजागर होगी। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि कोई भी सरकार इससे फालतू और क्या कर सकती है अब हर' आदमी जिसके पास आधा एकड़ या एक एकड़ जमीन है, उसकी जमीन की भी सरकार ने इतनी वैल्यू ऐड कर दी है कि अब यदि कोई भी किसान अपनी जमीन बेचना चाहता है तो अब ऐसा नहीं है कि उसकी जमीन कोड़ियों के भाव बिके। आज एक किल्ला जमीन के दस लाख रुपये मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। इसी प्रकार से मैं यह कहूंगा कि इस सरकार ने बहुत सी घोषणाये इस सैशन में भी की हैं जो किसानों, गरीबों और दलित लोगों के लिए लाभकारी हैं। इससे पहले सिरसा की रेली में भी हजारों रुपये के ब्याज और दूसरी रकमो को माफ करके राहत प्रदान की थी। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार से हरियाणा का किसान और गरीब जो हैं, वह कांग्रेस पार्टी की सरकार के प्रति जिस तरह से बहुत भारी समर्थन दे रहा है, उससे

यह तय हो गया है कि ओम प्रकाश चौटाला जो समझते थे कि उनका आधार किसान हैं, खेती करने वाले है या गांव के लोग उनके साथ हैं आज उनके साथ कोई वर्ग नहीं है। कुछ वे लोग जो एंटी सोशल ऐलीमैट्स थे या शराब के ठेकेदार थे या जो लोग जमीनो पर कब्जे करते थे या जो अपराधी थे सिवाय उन लोगों के चौटाला का कोई जनाधार नहीं रहा। कांग्रेस का जनाधार किसी जमाने में इतना व्यापक था। इस सरकार को कार्य करते अभी दो साल हुए हैं दो साल में ही इतने कंसैशन सरकार ने दिए हैं आने वाले तीन सालों में भी सरकार इसी तरह से कसैशन देजी रही तो यह जनाधार कहां से कहां पहुंच जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। इससे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की हमेशा के लिए हरियाणा में गहरी जड़ें होंगी। एक बार फिर मैं मुख्यमंत्री जी ओर उनके मंत्री मंडल का इस उपलब्धि के लिए आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

श्री राम किशन फौजीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारी सरकार के दो साल के समय में जितने जनहित के फैसले हुए हें उतने जनहित के फैसले आज तक किसी सरकार ने नहीं लिए। इन फैसलों में किसान, मजदूर, गरीब और हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। लैंड का जो रेट आज के दिन 20 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ रुपये तक है वह मुख्यमंत्री जी की देन है। हम जब देहात में जाते हैं तो लोगों से पूछते हैं कि हमारी सरकार का क्या कोई

गलत फैसला है तो वे कहते हें कि कोई गलत फैसला नहीं है। इससे बढ़िया मुख्यमंत्री क्या कभी कोई और भी हो सकता है? सी०एल०पी० की जो मीटिंग थी उसमें लैंड मैनेजमैंट और व्याज माफी का फैसला किया गया था तब मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि हरिजनो के छोटे–छोटे ऋण हैं उनके भी आप ब्याज माफ करें तो इन्होंने उसी समय इस बात के लिए हां कह दी थी। इन्होंने जो गरीबों के और दलितों के आसू पोंछे हैं उसके लिए में अपने समाज की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूं और आपने मुझे जो बोलने के लिए समय दिया है उसके लिए आपका भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो दरियादिली है वह सारे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस प्रदेश में 17 साल से मैं भी इस विधान सभा में देख रहा हूं और आप मी इस विधान सभा में हें। कोई भी राजनीतिक दल हो, वे जनता से तरह–तरह के लुभावने वायदे करते हैं। राजनीतिक फायदा उठाने के लिए लोगों का राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उनका शोषण करते हैं और जब सरकारें बन जाती हैं तो अपने किए हुए वायदों को भूल जाते हैं। उससे प्रदेश में सरकार और जनता के बीच अविश्वास खड़ा होता है और उस अविश्वास के बाद में बड़े भयंकर परिणाम होते हैं। पहली बार प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने राज धर्म की पालना की हे। उनकी यह बात प्रशंसा के योग्य है। चुनाव से पहले बिना कोई

वायदे किए और बिना कोई आश्वासन दिए मुख्यमंत्री बनने के बाद ये जनता की दुख तकलीफों को हर रहे हैं। उनको भारी राहत प्रदान कर रहे हैं। जब ओलावृष्टि प्रदेश में हुई तो उसमें हमारा जिला फरीदाबाद भी उसकी चपेट में था। सत्र समाप्त होते ही मुख्यमंत्री और मंत्री जी वहां गए और इन्होंने प्रभावित लोगों के आसू पोंछे। इतनी बड़ी राहत प्रदान की। प्रदेश के लोग इस बात पर यकीन भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पिछली सरकार के मुख्यमंत्री लोगों को बहकाने का काम करते थे। स्वयं लोगों ने चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी से पूछा कि जब आपकी सरकार थी तब आपने सूखे की वजह से किसानों को जो मुआवजा दिया था वह डेढ–डेढ या दो–दो रुपये दिया था और उस वक्त लोगों ने अपनी बहन बेटियों को बुला लिया था कि सूखे का मुआवजा दिया जा रहा है। लेकिन जब डेढ दो रुपये दिए गये तो लोगों ने अपनी बहन बेटियों को बस का किराया भी अपनी जेबों से देना पडा था। जितनी भी किसानों को राहत पहुंचाई हैं वह माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपिन्द्र सिंह हुड्डा जी ने पहुंचाई हैं। इससे बेहतर मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि उन बेचारे गरीब मजदूरों का क्या होगा जो फसल की कटाई करके सारे साल के लिए अपने घरों में दाने डालते हैं। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया जिसका सुखद परिणाम यह हुआ कि आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि किसानों के साथ गरीब मजदूरों के घरों में खाने के लिए राशन का पूरा इन्तजाम किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और

अपने समस्त इलाके की तरफ से इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। आज हाउस टैक्स की बात करें। आज हरियाणा को बने हुए कितने ही साल हो गये। आज हाउस टैक्स अगर किसी परिवार ने किसी कारण से नहीं भरा तो सालों साल इतना ज्यादा ब्याज हो जाता है कि म्यूनिसिपल कमेटी और म्यूनिसिपल काउंसिल में बहुत भारी मुकदमें हाउस टैक्स के कारण बने रहते हैं। हमने इस बारे में मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया तो मुख्यमंत्री जी ने ही कल प्रदेश के लोगों को हाउस टैक्स की राहत देने के बारे में घोषणा की। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कामना करता हूं कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य और प्रदेश के लोगों के दुखों को मुख्यमंत्री जी हर रहे हैं जिस तरीके से लोगों के साथ उनके दुख तकलीफों में शामिल हो रहे हैं आने वाले समय में यह प्रदेश की जनता इस सरकार के कामों को याद रखेगी। इन्होंने ऐसा रास्ता बनाया हे कि कोई भी सरकार इस रास्ते को पार नहीं कर पायेगी। पिछली सरकार ने बुराईयां और गुस्ताखियां की और प्रजातंत्र का मखौल उड़ाया परन्तु इस सरकार ने प्रजातंत्र की मर्यादाओं को जिस प्रकार लोगों के सामने आदर्श के रूप में रखा है, मैं समझता हूं कि प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है। थैंक यू।

शिक्षा मंत्री (श्री फूलचन्द मुलाना): आदरणीय अध्यक्ष जी, हम तो हैरान हैं कि मुख्यमंत्री जी न तो कोई कर लगाते हैं और सुविधाओं की घोषणा हर रोज करते हें ओर आम जनता के

लिए कितने चिन्तित रहते हैं। जबकि एक समय था, अध्यक्ष महोदय, जब इनैलो पार्टी का हरियाणा में राज था और लोगों ने अपने खेतों में गन्ने की फसल को आग लगाई थी और यह नारे लगाये गये थे कि गन्ना चार पाती छः, बोलो चरणसिंह की जय लेकिन हमारी सरकार ने हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा गन्ने का भाव किसानों को दिया हे। इसी प्रकार से पिछली सरकार के समय में यमुनानगर में जो प्लाईबुड की फैक्टरी हैं जिनमें प्लाई बनती हैं उनका रेट 80 रुपये प्रति क्विंटल से भी कम था जोकि आज कि सरकार के समय में 200 रुपये प्रति क्विंटल हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब लोगों के लिए जो एल०आई०जी० और एम०आई०जी० के मकान हैं उनकी कीमत को जो अदा नहीं कर सके उनका ब्याज माफ करने का काम किया है जो कई गुणा बढ़ गया था। उनको काफी राहत देने का काम किया है। आज हमारे दलित विधायक मुख्यमंत्री जी से मिले और मुख्यमंत्री जी ने हरिजन कल्याण निगम और बैकवर्ड क्लास निगम से जो पैसा दिया जाता है उस पर ब्याज का काफी पैसा जमा हो गया था उसका ब्याज भी माफ करने की घोषणा की हे। मैं मुख्यमंत्री जी का दलित समाज की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हरिजन कल्याण निगम और बैकवर्ड क्लास निगम से जो ऋण लिया हुआ हे उस का व्याज माफ कर दिया है। मुख्यमन्त्री जी ने बहुत सारी सुविधाएं दलित समाज के भाईयों को दी हैं जबकि पिछली सरकार में दलित समाज के बारे में कोई बात ही नहीं की जाती थी। पिछली

सरकार के समय में दलितों को घरों से बाहर निकाल दिया जाता था हरसौला में 200 दलित परिवारों को निकाल दिया गया था और दुलीना में जो कुछ हुआ था उसके बारे में भी आप सभी जानते हैं लेकिन हमारी सरकार आने के बाद यदि कहीं पर दलितों के साथ किसी तरह का अन्याय होता है तो उसका तुरंत समाधान निकाला जाता है और पीड़ित परिवारों को मुआवजा भी दिया जाता है। हमारी सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाकर रखा है जिसके कारण हर वर्ग शांति से अपना जीवन यापन कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त जहां पहले लड़कियों की शादी पर 5000 रुपये कन्यादान के रूप में दिये जाते थे उसे हमारी सरकार ने बढ़ाकर 15000 रुपये कर दिया है। इसी तरह से जहां गरीब हरिजनों को पहले 15000 रुपये मकान बनाने के लिए दिये जाते थे वह राशि अब इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत बढ़ाकर 50000 रुपये कर दी है। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार हरिजनों को मारने वाली सरकार थी और आज की सरकार उनको जीवन देने वाली सरकार है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अंत में हरिजन भाईयों की तरफ से, पिछड़े वर्ग के भाईयों की तरफ से मुख्यमंत्री जी का हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं कि वे इसी तरह से गरीब भाईयों के लिए बिना टैक्स लगाये विकास के कार्य करते रहें और अच्छी–अच्छी योजनाएं लेकर आते रहें। धन्यवाद।

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, आज सदन में जो घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है यह अपने आप में एक कीर्तिमान है और हरियाणा के लोगों को इससे बड़ा तोहफा सरकार के दो साल पूरे होने पर नहीं मिल सकता था। कल जब मैं अपने बजट अभिभाषण पर जवाब दे रहा था तो मैंने यह कहा था कि हरियाणा की प्रगति इस बात से तय नही होती कि बाम्बे का सैनसैक्स कितना बढ़ा और कितना गिरा। हरियाणा की प्रगति इस बात से भी तय नहीं होती कि 10.50 प्रतिशत ग्रोथ रेट हमारा रहा है क्योंकि उस ग्रोथ मे यदि सबसे बड़ा योगदान दिल्ली के चारों तरफ विशेषकर गुड़गांव आदि क्षेत्रों का हो और बाकी हरियाणा उससे वंचित रहे तो यह ठीक बात नहीं है। हमारे बजट का रूझान इस बात की तरफ था कि जो फायदा हमे आर्थिक विकास से हुआ है वह फायदा हम जन साधारण को, कॉमन आदमी को, गरीब आदमी को, दलित समाज को, पिछड़े वर्ग को और किसान को नहीं दे सकते तो उस आर्थिक विकास का कोई महत्व और मतलब नहीं है। यही कारण थे कि पिछली सरकार ने शायद चार कि०मी० जमीन का टुकड़ा सुपर एक्सप्रैस हाई वे के लिए एक्वायर किया था और तीन और सवा–तीन लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उसका मुआवजा दिया था। स्पीकर सर, हमारी सरकार ने आते ही यह तय किया था कि जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण हो उसका पूरा फायदा यदि किसानों को नहीं मिला तो आर्थिक विकास का कोई औचित्य नहीं है। यही कारण है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने दोबारा से फ्लोर रेट तय किये हैं। श्रीमती

सोनिया गांधी ने किसानों के बारे में एक आवाज उठाई थी जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यू०पी०ए० का है उसमें भी यह बात रखी थी कि किसानों का भला कैसे हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, तीन–चार महीने पहले मैं टी०वी० देख रहा था। उसमें यह चर्चा हो रही थी कि देश में सबसे ज्यादा करोड़पति हरियाणा में हैं। आज से 15 साल पहले करोड़पतियों की जो लिस्ट बनती थी तो यह होता था कि मेर्सडीज गाडिया कौन–कौन से शहर में सबसे ज्यादा हैं। बाम्बे के बाद लुधियाना दूसरे नम्बर पर होता था। स्पीकर सर, मैं चर्चा कर रहा था कि टी०वी० के अंदर यह चर्चा हो रही थी कि हरियाणा में सबसे ज्यादा करोड़पति हैं और उनमें सबसे ज्यादा किसान हैं। जो दिल्ली के 50–60 कि०मी० के दायरे में रहने वाले हैं और जिनके पास एक या दो एकड़ जमीन भी है वे अब अपने आपको करोडपति कह सकते हैं क्योंकि जमीनों के जब से हमने फ्लोर रेट तय किए हैं तब से पांच से दस गुणा जमीनों के रेट बढ़े हैं और एक–एक एकड़ जमीन का भाव ही करोड़ों रुपये हो गया है। अध्यक्ष महोदय, किसानों ने मोर्चे भी लगाये इसके लिए हमने उनका स्वागत किया, विरोध नहीं किया और न ही उनको ऐसा करने के लिए मना किया। हमने उनको यह कहा कि आज आप मोर्चे लगाकर यह कहते हैं कि हमारी जमीन दो करोड़ रुपये की है तो हम खुश हैं क्योंकि इसे दो करोड़ की बनाने में हमारे मुख्यमंत्री की अहम भूमिका रही है। उनकी सोच और जो हमारे साथियों का समर्थन है वह इस बात का प्रतीक है कि कल आप 3 लाख से 20 लाख बनाने के लिए तरसते थे

लेकिन आज उस 20 लाख से तुम 2 करोड़ बना सकते हो। आपको अगर यह सुविधा दी है तो सिर्फ हमारी सरकार ने दी है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो हमने फ्लोर रेट तय किये हैं इससे किसानों की जो आर्थिक प्रगति हे उसमे उसको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। एस०ई०जैड० के मामले में मेरा अपना विचार है। मैं अपने विचार की अभिव्यक्ति करता भी रहा हूं लेकिन मुख्यमंत्री के एक विचार से मैं हमेशा सहमत रहा हूं। ये मुझे कहते थे कि आधा एकड़, या एक एकड़ से कम का जो किसान है वह कब तक इस पर बैठकर अपनी आजीविका कमायेगा क्योंकि उसके लिए वह लाभकारी नहीं है आधा एकड़, एक बीघा या दो बीघा से उसको लाभ होने वाला नहीं है इसलिए उसको कोई न कोई रोजगार ढूंढना पड़ेगा। ये जो बातें है ये इस बात का प्रतीक हैं कि जो हमारी कृषि है उसको लाभकारी बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो भूमि का मालिक हे उसको भी इस बात का गौरव हो, अहसास हो कि मेरी जो जमीन है यह आज किसी छोटी मोटी स्माल इण्डस्ट्री से कम नहीं। आज इसकी कीमत कोई आकेगा तो कोई लाखो मे नहीं बल्कि करोड़ों मे उसको हिसाब देखना पड़ेगा। यह एक ऐसा कदम है जो बहुत लम्बे समय तक एक नई आर्थिक सोच किसान के मन मे पैदा करेगा। उसको इन्टरप्रोन्योर करेगा जो अपने आपको इन्ट्रोवर्ट समझता है, जो दूसरी तरफ ध्यान नहीं देता उसके अन्दर एक नई सोच पैदा करेगा। जो यह फैसला है हमारी सरकार का और मुख्यमंत्री जी का वो हमारे किसान में नई सोच पैदा करेगा। इसके साथ–साथ

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इरा बात को इस तरह भी नहीं लिया जा सकता कि हम सिर्फ किसान की बात सोचते दे। हमारे गरीब भाईयों के लिए हमारे दलित भाईयों के लिए भी अभिव्यक्ति हमने की है और हरियाणा शिडयूल्ड कास्टस फाईनैंस एण्ड डिवैल्पमैंट कोरपोरेशन में से उनके टोटल ब्याज की माफी करके हमने एक और परिपाटी डाली है। सर, 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ ही नहीं किये गये बल्कि हमने उपभोक्ता के दिमाग में एक नई सोच पैदा की कि तुम आगे से अगर बिलों की अदायगी ठीक रखोगे तो आपके पीछे कितने ही बिल खड़े हों आपके माफ होंगे। उससे हमारे को 95 प्रतिशत जो टयूबवैल धारक हैं उनका बड़ा पोजैटिव रिस्पोंश रहा हे और जो दूसरे डोमैस्टिक में थे उनका भी पोजैटिव रिस्पोंश रहा है। इसी प्रकार से हम अपने दलित भाईयों के लिए, समाज में पिछड़ी जातियो के भाईयों के लिए किसी का ब्याज का पैसा चाहे 50 हजार, चाहे 60 हजार हो चाहे 1 लाख हो गया हो अगर वह एक जो तिथि हमने निर्धारित की है के पहले अगर वह सिर्फ मुल की अदायगी कर देगा तो उसको कोई व्याज नहीं देना पड़ेगा। इससे भी उसको एक नया प्रोत्साहन मिलेगा। स्पीकर सर, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन लोगों ने सियासत की है किसान के नाम पर और जो लोग आज भी सियासत करते हैं गरीब के नाम पर उन्होंने तो कुछ नहीं किया बल्कि हमेशा धोखा दिया है। उन धोखेबाज लोगों की पोल आहिस्ता–आहिस्ता खुल रही है। जैसा भी शमशेर सिंह जी ने कहा कि एक विश्वास किसान के मन में कांग्रेस पार्टी के प्रति,

हमारी सरकार के प्रति और हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी के प्रति पैदा हुआ है कि किसान की हितैषी सरकार अगर कोई है तो कांग्रेस की सरकार हो सकती है और दूसरा कोई उनका हितैषी नहीं हो सकता, यह बिलकुल ठीक कहा है। गरीबों के बारे में जो मुख्य मन्त्री. जी की सोच है उस से मैं वाकिफ हूं। हमें भी इस बात की चिन्ता है।

Mr. Speaker: You are also a part of the Government. Goverment is one and you have the collective responsibility to look after the interests of the common people.

Shri Birender Singh: Sir, don't put me into that debate. फिर मैं कुछ और बोल दूंगा।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, बोलने की बात नहीं है आप अपने आपको सैपरेट यूनिट मान रहे हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर क्या मैं यह कह रहा हूं कि फैसला मैंने किया ?

श्री अध्यक्षः यह कलैक्टिव रिस्पोसिब्लिटी है। आप गवर्नमैंट के फैसले की ही बात कहें जो कि सही है।

Shri Birender Singh: Sir, this decision is the brain-child of our Chief Minister and there is no doubt about it: स्पीकर सर, हमारे दिमाग में यह भी चलता है कि गरीब को मकान बनाने के लिए प्लॉट की कोई व्यवस्था नहीं है। सही तौर पर जो व्यक्ति गरीबी में जीवनयापन कर रहा है उसको गुलाबी कार्ड नहीं

मिला हुआ है जिसके कारण पिछले सालों में गरीब आदमी की पैंशन निर्धारित नहीं की गई। स्पीकर सर, ये सारी बातें हमारे दिमाग में हैं और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इन बातों पर भी हम खरे उतरेंगे और किसी भी प्रकार से पीछे नहीं रहेंगे। धन्यवाद।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मानः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सूओ–मोटो यहां विधान सभा मे आज जो घोषणा की है सच पूछो तो हम सब लोगों को भी बड़ा भारी ताज्जुब हुआ है। हर व्यक्ति को, अपने मित्र को, एक–आध किसान को, गांव में रहने वाले को, मुखालिफ को, हरेक को इन्होंने उसकी जायदाद का कई गुणा इजाफा दिया है। मेरे ख्याल में ऐसे शब्द ही नहीं हैं जिनसे इनका धन्यवाद किया जा सके। स्पीकर सर, ऐसी सोच रखना, ऐसी पोजीटिव सोच रखना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। पिछले अरसे में अगर किसी संगठन को, किसी एक ध्रुप ऑफ पर्सन्न को कोई छोटी–मोटी राहत सरकार से हासिल करनी होती थी तो मुख्य मन्त्री जी को बुलाना पड़ता था, बहुत से पैसे देने पड़ते थे और वे जितने पैसे देते थे, उससे कुछ थोड़ी ज्यादा करके उनको अदायगी कर दिया करते थे। स्पीकर सर, मुख्य मन्त्री जी का इस इजाफे के लिए और हर चीज के बारे में किन शब्दों के साथ धन्यवाद किया जाए। हमारे एम०एल०एज० की मीटिंग हुई उसमें यह जिक्र आया। मुलाना जी ने यह कहा कि कुछ दलित भाई कई माननीय मन्त्रियों और माननीय मुख्य मन्त्री

जी से भी मिले। उस वक्त भी उन्होंने वही सरलता दिखाई। बाकी सारी चीजो के अन्दर जहां विकास के काम हैं, बिजली में, पानी में इस प्रकार की पोजीटिव सोच रखना अपने आप में एक मिसाल है। मेरा ख्याल हे कि प्रदेश के लिए और खासतौर पर काश्तकारों के लिए यह बहुत ही सराहनीय काम है। गांव के गरीब लोग काश्तकारी से जुड़े हुए हैं और मैं समझता हूं कि उनका भविष्य बहुत सुरक्षित है और सुरक्षित ही नहीं उज्जवल भी है। मुख्य मन्त्री जी सरकार की आय के लिए मेरे नोटिस में एक बात है जिसके बारे में मैं श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की भी शरकियत चाहूंगा। हमारे' यहां दिल्ली के अराउंड गुडगांव और फरीदाबाद में दो–तीन हजार ऐसी बसिज हैं जो एम०एन०सीज० में चलती हैं मालूम नहीं किन्हीं कारणों से उनकी रजिस्ट्रेशन हरियाणा में नहीं होती है।

श्री अध्यक्षः मान साहब, किसानों के हित में इतनी बड़ी अनांउसमैंट हुई है आप इस वक्त इसी विषय पर बोले। जो बात आप कह रहे हैं यह बात आप एप्रोप्रिऐशन बिल पर बोलना। इस समय आप केवल अनाउसमैंट के बारे में ही बोलें कि what is your opinion on it. मुख्य मन्त्री जी ने इतनी बड़ी एनाउसमैंट की है यह हिस्टोरिकल एनाउसमैंट है जो पूरे देश में बहुत–बड़ी इक्नोमिक ट्रांसफोरमेशन करेगी। यह छोटी बात नहीं है आप इस एनाउसमैट के बारे में अपना ओपीनियन रखें. दो–दो मिनट का टाईम सभी

को बोलने के लिए दिया जाएगा इसलिए बाकी सब बातें आप एप्रोप्रिऐशन बिल पर बोल लें।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मानः स्पीकर सर, मैं मुख्य मन्त्री जी की घोषणा के बारे में ही बोल रहा था ओर बीच में यह बात आ गई। मैं मुख्य मन्त्री जी से एक आग्रह करना चाहूंगा। मैंने कल भी जिक्र किया था कि बहुत उदारता के साथ ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ हे उसमें आपने गेहूं और दूसरी फसलों पर राहत दी है। मेरा आग्रह है कि आलू की फसल को एक स्पैशल फसल समझ कर अगर आप मुनासिब समझें तो इसके लिए भी कुछ कम्पनसेशन का प्रावधान करने की कृपा करें। आलू की फसल में कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन बहुत ज्यादा है। करनाल, कुरुक्षेत्र के ऐरिया में 15 हजार रुपये के आलू के बीज को जमीन के नीचे दबा दिया जाता है और इस पर किसान का काफी पैसा खर्च होता है। वहां पर 100ः आलू ओलावृष्टि से नष्ट हुआ है इसलिए इसको एक विशेष क्रॉप समझ कर अगर आप इसके अन्दर कुछ सोच सकें तो आपका बहुत धन्यवाद होगा। जिन गांवों में ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है मुख्य मन्त्री जी से मेरा आग्रह है कि उनको मुआविजा दें। धन्यवाद।

श्री नरेश कुमार प्रधानः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहता हूं कि सुपर हाई–वे के बनने में सबसे ज्यादा जमीन हमारे क्षेत्र की गई है। पहले जो किसानों की जमीन एक्वायर की गई थी उसके रेट 2 लाख 60 हजार रुपए प्रति एकड़

के दिए गए थे। मुख्य मंत्री जी ने उन रेट्स के बारे में किसानों के हितों में फैसला करके उनको पुनर्जीवन देने का काम किया हे। स्पीकर सर, हम भी दिल की गहराईयों से मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं और धन्यवाद करते हैं। स्पीकर सर, जब पिछले शुक्रवार को मैं अपने हल्के में गया था तो वहां पर चार–पांच किसान पैसे बांधे बैठे थे और बोले ''भाया एम०एल०ए० कोटे से चार गाड़ी दिवा के ला' '। मैंने कहा, 'कौन सी गाडी लोगे' ' तो कहने लगे, 'सफारी' '। मैं बोल्या, ''एम०एल०ए० कोटा तो नहीं होता है, चलो एजैंसी वाले के हाथ पांव जोडूंगा।' ' वहां गया तो सफारी गाड़ियां पसंद कर ली ओर निकलवा दी। अब समस्या आई नम्बर लगाने की। एजेंसी वालों ने गैरेज नम्बर तो लगा दिया था। मैं बोल्या, ''भाई, नम्बर लगवा लो,'। तो कहने लगे 'न'। नम्बर वम्बर के है, हुड्डा साहब की देन हैं। '' वे पेटर ने लाए और 'जय हुड्डा बाबा' लिखवा दिया। साहब आज देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप सीकर की तरफ सर्वे करवाएं। आप मध्यप्रदेश की तरफ सर्व करवाएं। किसी न किसी होटल पर 5– 10 मिनट चाय पीए। वहां पर कोई न कोई सूमों आएगी उस पर 'जय बाबा हुडा' लिखा मिलेगा। स्पीकर सर, मेरे एक दोस्त ने दादरी की तरफ जमीन ली तो हम सीकर बैठे हुए थे वहां एक सुमों बड़ी स्पीड से आई। वैसे तो वह गलत तरीके से चला रहा था। मैं उससे बात करने लगा कि भई इतनी तेज क्यों चला रहे हो तो वह बोला, ''भई, मौज हो रही है।'' मैंने बोला, ''मौज कैसे हो रही है? तो वह कहने लगा, '' हुड्डा बाबा की वजह से। ''मैंने कहा

कि यह हुड्डा बाबा तो हमारे वाला हरियाणे का है। नू बताओ आड़े कुकर आया। वे बोला यो भी बतांवांगे चा पी लै। जब चा पीकर बात पूछी तो न्यू बोला भाई साहब 60 से 70 हजार रुपए हमारे वर्ष पर पहले किल्ले का रेट था और यो हुड्डा बाबा न हमें देखया न हम जानते लेकिन लोग बतावें के हरियाणा के अन्दर डेढ करोड़ रुपए किल्ले के हिसाब से किसानों को मिले हैं। हरियाणा वाले रोज यहां पैसों की गठरी बांध बांध के लुटाने लग रहे हैं। हमारी जो जमीन 60 से 70 हजार रुपए किल्ले की थी वह 10 से 12 लाख रुपए की हो गई है। तो जय हुड्डा बाबा नहीं है तो और कौन से बाबा की जय करें। सर, जय हुडा बाबा।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मानः अध्यक्ष महोदय, अब ये किस बात पर बोल रहे है ई

श्री अध्यक्षः मान साहब, वे जो बोलें हैं, रैलेवैंट बोले हें। उनकी बात में वे बोलें हैं कि एक फैसले से पूरी कंट्री में इकोनोमिक ट्रांसफोरमेशन हुई है and it's not a small thing. 10 करोड़ की आबादी के मुला में अगर एक फैसले से इक्नोमिक ट्रांसफार्मेशन होती है। then it is a big decision and the House should be unanimous on it. This is the question. आप तो बोलते हुए कच्चे रास्ते पर चले गए थे।

प्रो० छत्तरपाल सिंहः स्पीकर सर, प्रजातन्त्र में चुनी हुई सरकार लोक हित बाते करके सत्ता में आती हैं। उसके बाद

लोकहित में वे कितना खरी उतरती है इसक आंकलन चुनने के बाद ही किया जा सकता है। स्पीकर सर, पिछले कई सानें से हरियाणा में माहौल बना हुआ था कि मतदाता वोट डालने के बाद अपने आपको ठगा सा महसूस करता था और प्रजातान्त्रिक प्रणाली से उसका विश्वास उठता जा रहा था कि किस प्रकार से ऐसा रास्ता निकले जिससे जो पोलिटिकल पार्टी बात कहकर जाती है उसके उपर वह किस प्रकार से खरी उतरे। स्पीकर साहब, काफी सालों से जैद्दोजहद के बाद 2 साल से जो यह सरकार चुनकर आई है, उसने उन सारे जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। उस अविश्वास को विश्वास में परिवर्तित किया है। यह विश्वास हर गरीब व्यक्ति, हर मजदूर और हर उस व्यक्ति का हे जो बड़ी माली हालत से पीड़ित था और उसकी आर्थिक हालात में इजाफे की आवश्यकता थी। स्पीकर सर, देहातों में किसान को और मजदूरों को अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट था, उन्हें अपने बच्चों के तन पर भी कपड़ा देना बहुत डिफिकल्ट था। हुड्डा साहब ने इस कांग्रेस पार्टी की सरकार का नेतृत्व करते हुए कलेक्टिवली अपने साथियों को साथ लेकर के बढ़िया फैसले किए हैं। मान साहब ने बढ़िया बात कही है कि आपको इन घोषणाओं को करने के लिए कोई रैली करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आपको किसानों 'को बुलाकर उनसे माला डलवाकर उन पर दबाव डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती हे इनके जहन के अंदर जो बातें हैं, जो इनको पिछले इतिहास की समझ है, जो इनकी पार्टी के संस्कार हैं, जो विचार हैं, उनके आधार पर सुओ मोटो तरीके

से आज इनके द्वारा फैसले लिए जा रहे हैं और अनेक रियायते दी जा रही हैं। लोक कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इस किस्म की सरकार भी हरियाणा के अंदर आ सकती थी। एक तरफ तो वह अंधेरा था एक तरफ आज है लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस अंधरे से निजात दिलवाकर रोशनी और प्रकाश का रास्ता दिखाया है। जो लाखों हजारों रुपयों के कर्जा से किसान दबा हुआ था आज उससे उन्होंने उनको मुक्ति दिलवायी है। आज यदि कोई किसान एक कनाल जमीन, एक बीघा जमीन भी बेच दें तो उस कर्जे से अपना पीछा छुड़वा सकता है और साहुकार की तरह बैठ सकता है और उससे यदि कोई जमीन बेचने के लिए पूछने आएगा तो वह भी करोड़ों रुपयों की बात कर सकता है। स्पीकर सर, यह भी देखने की बात हे कि आज केवल जमीन बेचने की ही बात नहीं है मुख्यमंत्री जी ने किसानी के अंदर भी बहुत ज्यादा इजाफा किया है। गन्ने के रेट, गेहूं के रेट, दूसरी जीन्स के रेट किसानों को अच्छे दिए हैं। इसी प्रकार से उन्होंने किसानों को पानी देने की व्यवस्था भी करके दी है। साथ ही उन्होंने बिजली का भी एक स्कोप उनको दिया है ओर कहा है कि आने वाले समय में किसानों को बिजली की कमी नहीं रहेगी। इस तरह से उन्होंने आज किसान की माली हालत में बहुत ज्यादा सुधार कर दिया है। स्पीकर सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आज जो ये सामने वाली सीट्स खाली पड़ी हैं तो इन लोगों की आदत ही इतनी गंदी है कि ये लोग अच्छी बात को सुन नहीं सकते थे, न ये उसको ग्रहण कर सकते थे तथा न ये उस पर अमल करने की

बात सोच सकते थे। इसी पीड़ा से पीड़ित होकर ये हाउस से भागने की बात कोई न कोई बहाना बनाकर करते हैं और यहां से चले जाते हैं। स्पीकर सर, हमारे सामने विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के दो साथी बैठे हैं मैं इनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि जब ये अपनी नेशनल ऐग्जक्यूटिव की मीटिंग में या अपनी पार्टी की सरकारों के प्रदेशों में जाएं तो वे वहां पर ये बातें करें और हरियाणा की सरकार का नमूना उनके सामने रखें। हमारे मनमोहन सिंह जी जैसे ईमानदार व्यक्ति की घोषणा के पीछे भी श्रीमती सोनिया गांधी का जो हाथ है, उसकी भी इनको चर्चा वहां पर करनी चाहिए। सामने वाले लोग तो भागने का काम करते हैं लेकिन इनको तो अच्छी बातों का समर्थन जरूर करना चाहिए। जिस तरह से हमारे एक भाई कह रहे थे कि पूरे देश के अंदर जय सोनिया मी और जय मनमोहन सिंह कहकर हमारी पार्टी का समर्थन हो रहा है तो वह उनकी सही बात है क्योंकि वे हरियाणा को और पूरे हिन्दुस्तान को एक उज्जवल भविष्य की तरफ लेकर जा रहे हैं। स्पीकर सर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुख्यमंत्री जी का और हरियाणा सरकार का आभार प्रकट करना चाहता हूं। धन्यवाद।

Shri Birender Singh: The announcement of the enhancement on the floor rate would be applicable from today onwards. It will not be applicable retrospectively. Awards which have been announced that will not be applicable, the announcement will also not be applicable but from today onwards any awards is announced that would cover the

enhanced compensation announcement.

श्री अध्यक्षः अब अर्जन सिंह बोलेंगे।

श्री अर्जन सिंहः धन्यवाद सर, स्पीकर साहब, आप मुझे कितना समय बोलने के लिए देंगे? जिस तरह से आप इन कुर्सियों वालो को डायरैक्शन देते थे वैसी डायरैक्शन आप मुझे मत देना क्योंकि मैं तो अच्छी बातों का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्षः अर्जन सिंह जी, मेरे लिए तो 90 की 90 सीट्स बराबर हैं। मैं सबको एक ही नजर से देखता हूं।

श्री अर्जन सिंहः सर, जहां तक इस सरकार का सवाल है मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने बढ़िया, फैसले यह सरकार दो साल में लेगी। हमारे साथ बैठे लोगों पर से तो जनता का विश्वास ही उठ गया था, बिलकुल विश्वास खत्म हो गया था क्योंकि ये लोग वोट तो ले लेते थे लेकिन वोट लेकर मौज मस्ती करते थे। इन्होंने जनता का कभी ध्यान ही नहीं रखा लेकिन आदरणीय हुड्डा साहब को प्रत्यक्ष के प्रमाण की जरूरत नहीं है उन्होंने सब करके दिखा दिया है। मैं तो आदरणीय रणबीर सिंह जी को जो यहां बैठे हैं, नमन करता हूं कि इतने बढ़िया संस्कार उन्होंने उनमें पैदा किए हैं, मैं उस धरती को भी नमन करता हूं जहां ये पैदा हुए हैं। आज भी मुख्यमंत्री जी के पिता यह देखने आए हैं कि मेरा बेटा कहीं कोई गल्ली न कर बैठे। कितनी बढिया इनकी सोच है। इसके लिए भी मैं इनका धन्यवाद करता हूं। वित्त

मंत्री जी का भी मैं बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतना बढ़िया उन्होंने बजट प्रस्तुत किया और सारे आफीसर्ज का भी मैं धन्यवाद करता हूं।

श्री अध्यक्षः कर्जन सिंह जी अब आप बैठ जाएं। आपको ऐप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने का मौका दिया जाएगा। अभी तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की हैं उन पर अपनी फीलिग्ज का इजहार करने के लिए जिन सदस्यों ने अपने नाम दिए हैं मैं उनको 2–2 मिनट का समय दे रहा हूं।

श्री सुखबीर सिंह जोनपुरिया अध्यक्ष महोदय, जिस बात से सैन्ट्रल गवर्नमैंट चिंतित थी उस बात को भांपते हुए मुख्यमंत्री जी ने 25 फरवरी से लेकर आज 22 मार्च तक जो घोषणायें की हैं ऐसी भारी घोषणाएं तो चुनाव से पूर्व भी नहीं हुआ करती हैं। जिस आदमी को आटे दाल और प्याज की जरूरत थी या जिस आम आदमी की जो जरूरत थी उसकी नब्ज को मुख्यमंत्री जी ने पकड़ा है ओर पहचाना है। मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो हकीकत है उसको इन्होंने पूरा किया है और आज प्रदेश के अंदर जो गरीब आदमी है वह इस बात को महसूस करता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वाकई में हमें बहुत कुछ दिया है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकारें आती रही हैं पर यहां बात सरकार की नहीं है बल्कि बात मुखिया की सोच की हे। मैंने कुछ समय पहले एक ऐडवर्टाइजमैंट दिया था और उसमें मैंने कहा था कि इसे में समय की मांग कहूं या हुड्डा साहब का जादू कहूं या जनता का

सौभाग्य कहूं कि पूरे प्रदेश के अंदर हर आदमी को सीधा फायदा मिल रहा है और जो लगते हुए प्रदेश हैं जैसा कि अभी भाई नरेश जी ने भी बोलते हुए कहा यह हकीकत है कि उन प्रदेशों के लोग जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी करोड़पति बन सकते हैं, उन लोगों को चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने करोड़पति बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जो जमींदारों और गरीब आदमियों पर कर्ज था उसके उतरने से लोगों के दिमाग में यह बात आई है कि कितना बड़ा फैसला सरकार ने उनके हित के लिए लिया है। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि किसी ने मुझे कह दिया कि सिरसा रैली में मिला क्या 9 वे यह सोच रहे थे कि किसी पैंशन की घोषणा होगी। जब इस बारे में एक आदमी को मैंने समझाया तब उसकी समझ मे आया और उसने महसूस किया कि अगर 20 हजार रुपये भरने से 70 हजार रुपये माफ होते हैं तो यह तो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा फैसला हो गया और मैं अपने घर में शांति से सो सकूंगा। इसी सोच का नतीजा है कि आज पूरे प्रदेश में शांति कायम हुई है, राहत मिली है। आम आदमी रईस हो गया है। अपनी निजी सोच से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अकेले मेरे क्षेत्र के अंदर 186 करोड़ रुपये पर मथ का तोहफा मुख्यमंत्री जी ने दिया है। जो आम गरीब मजदूर है उसके घर में वह पैसा सीधा जाएगा। मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि 2 लाख करोड़ रुपये की इन्वैस्टमैंट और 10 लाख को रोजगार और भयमुक्त प्रदेश देंगे। आज यह तीनों चीजें प्रदेश में हो रही हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। यह बहुत बड़ी सोच

थी जिसके मार्फत जैसाकि वित्त मंत्री जी ने बताया कि 570 करोड़ रुपये से 1810 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिलने लगा है। अगर इतनी प्लानिंग और इतना वित्तीय प्रबंधन नहीं होता तो जो गरीब आदमी को इतना लाभ हुआ है वह न होता। हरिजनों को जो छूट दी है और उनको जो सीधा लाभ दिया है वे सही मायने में कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हैं और इस वर्ग ने हमेशा से कांग्रेस का साथ पकड़कर रखा है। इस वर्ग को सुविधायें देने के लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं।

अति विशिष्ट व्यक्तियों का अभिनन्दन

श्री अध्यक्षः हमारे बीच में सदन की कार्यवाही देखने के लिए सरदार प्रताप सिंह बाजवा, फौर्मर मिनिस्टर और वर्तमान में पंजाब असैंबली में सम्मानित सदस्य और लव कुमार गोल्डी, सदस्य, पंजाब असैंबली, वी०आई०पी० गैलरी में बैठे हुए हैं। इनके अलावा सदन के ऑनरेबल मैम्बर रह चुके व वर्तमान में संसद सदस्य श्री जय प्रकाश जी और डॉक्टर राम प्रकाश, फौर्मर मिनिस्टर भी वी०आई०पी० गैलरी में बैठे हैं मैं सदन की तरफ से इन सभी का हार्दिक स्वागत करता हू।

नियम 64 के अधीन वक्तव्य/सदस्यों द्वारा धन्यवाद (पुनरारम्भ)

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवानः स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं चीफ मिनिस्टर साहब का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने जमीन के नये रेट दिए हैं इससे गरीब किसानों की बहुत

–बहुत मदद होगी। हमारे इलाके में खास तौर पर जहां जमीन के रेट बहुत ही कम थे। मैं सदन में एक बात बताना चाहता हूं कि जब में वहां इलैक्शन के दौरान गया तो गांवों के अन्दर ऐसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा कि हम वोट नहीं देंगे क्योंकि वोट देने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमारे हालात तो वैसे ही रहेंगे। फिर बोले कि पहली बार आया है चलो तनै दे देंगे। आज जब मैं उनसे मिला तो चीफ मिनिस्टर साहब की दरियादिली की वजह से उनके हालात इतने अच्छे हो गये हैं तो सबने धन्यवाद किया और यह कहा कि पहली बार बढ़िया रहा। आज जब यह नये रेट चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किए हैं तो जो टिबे की धरती जिसका पहले एक लाख रुपये भी नहीं मिला करता था कुछ पैदा नहीं हो रहा था उसके एक लाख की जगह मै–०इ लाख रुपये मिलेंगे और इस घोषणा के बाद 12 लाख रुपये टिब्बा का उनको मिलेगा तो उनका उद्धार होगा। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाजः अध्यक्ष मोहदय, मैं मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है उनका स्वागत करता हूं। इस बात में कोई शक नहीं कि हमारे जिला भिवानी की जो भूमि है वह आधी से ज्यादा रेतीली है और वहां की जमीन का कम रेट मिलता था। अब जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और इस सरकार के दो साल के कार्यकाल के दौरान जो घोषणाएं हुई हैं उन घोषणाओं के तहत जमीन का रेट बढ़ा है। इसके साथ–साथ मैं

उन तमाम बातों के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं जिनकी मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की हैं। जैसे कल रेहड़ी वालों के लिए, ठेला वालों के लिए और रिक्शा वालों के लिए एक रुपया प्रति वर्ष लाईसैंस फीस का किया है यह बहुत ही अच्छा कदम है क्योंकि कई बार देखा गया कि कमेटी वाले उनकी रेहड़ियां या ठेला उठाकर ले जाया करते और एक हफ्ते तक नहीं दिया करते थे तब वे बेचारे कहा करते थे कि हम कैसे गुजारा करें। यह बहुत ही अच्छा कदम है। हलवाई का जो टैक्स खत्म किया है यह भी बहुत अच्छा कदम है। मैं मुख्यमंत्री जी का इसके लिए भी धन्यवाद करता हूं।

श्री सुखबीर सिंह फरमाणाः स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने जो घोषणाएं मजदूरों के लिए की हैं इसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूं। दो साल से जब से यह सरकार बनी है तब से इस सरकार ने घोषणाओं की झड़ी लगा रखी है और लगाये जा रही है। पहले की सरकार तो जात पात के नाम से राजनीतिक दखल दिया करती थी और सब लोगों को लड़वाने का काम किया करती थी। चाहे वह कांग्रेस की ही सरकार बनी हो। वे तो सिर्फ डुगडुगी ही बजाया करती थी। लेकिन इस सरकार ने नींव रख दी है अगर कोई दूसरा कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बनता तो ऐसी नींव नहीं रखता। यह तो सिर्फ चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लोगों को रास्ता दिखाया है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि सरकार के हैड चौधरी

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने ऐसी नींव रख दी है जो जात–पात के झगड़े से परे है। इसी प्रकार से पानी का बंटवारा भी सही किया। फसलों के दाम बढ़ाये, बदमाशों को यहां से भगा दिया और रगड़ दिया। यह सब इनके दिमाग की समझ है। मुख्यमंत्री जी ने जो यह सब घोषणाएं की हें उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं।

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष 'महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल और आज सदन में जो घोषणाएं की हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने पहले भी बड़े अच्छे–अच्छे काम किए हैं। जो पहले वाली सरकार थी उनका मौजूदा सरकार से कोई मुकाबला ही नहीं है। वे तो इनके बाल बराबर भी नहीं हैं। ये बड़ी घटिया नीयत के लोग थे। हुड्डा साहब बढ़िया और ईमानदार इंसान हैं। इन्होंने आज कीं जो घोषणा किसानों के लिंए, मजदूर भाईयों के लिए, एस०सी० भाईयों के लिए और समाज के दूसरे वर्गो के लिए की है यह बहुत अच्छी घोषणा है जिसके तहत इन भाईयों को व्याज में छूट दी गई हे। लेकिन मैं एक गुजारिश मुख्यमंत्री जी से और करना चाहूंगा कि एस०सी० भाईयों के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सरकार बनने के बाद सबसे पहले जो गैस्ट टीचर लगाये गये थे उनमें रिजर्वेशन नहीं रखी गई।

श्री अध्यक्षः गौतम जी, प्लीज आप बैठें। रिजर्वेशन के बारे में आप एप्रोप्रियेशन बिल पर बोल लेना। आपको राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर और बजट पर भी बोलने का समय दिया गया था। अब आप घोषणा का भी स्वागत कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त आप जो बात रिजर्वेशन के बारे में कहना चाहते हैं आपको एप्रोप्रियेशन बिल पर बोलने का अवसर दिया जायेगा। उस समय आप अपनी यह बात कह लेना। प्लीज, अब आप बैठें।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, माननीय गौतम साहब ने तो मुख्यमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक घोषणा की जिससे गरीब किसान और समाज के सभी वर्गों को फायदा मिलेगा उसका स्वागत किया है। मुख्यमंत्री जी ने कल भी एक घोषणा की थी और आज भी की है। यह भी अपने आप में शायद पहला मौका ही होगा कि किसी मुख्यमंत्री ने सदन में लगातार दो दिन करोड़ों रुपये की रियायत प्रांत के लोगों को देने के लिए घोषणाएं की हैं। कल हमारे जो शहर में रहने वाले सभी वर्गों के भाई हैं उन सबको हाऊस टैक्स के अंदर जितना आज तक मै 1 वर्ष के एरियर्ज हैं, कलेम्ज हैं मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि आप जमा करवा दो सारी पैनल्टी, सरचार्ज और ब्याज माफ कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त कल मुख्यमंत्री जी ने शहर में रहने वाले भाईयों को एक और बहुत बड़ी रियायत 26 करोड़ रुपये की दी है। शहर में रहने वाले भाईयों के घरों के सीवरेज और पानी के दूसरे–तीसरे बिल इकट्ठा हो गये थे। जिनकी पेनल्टी

और सरचार्ज 26 करोड़ रुपये बन गया था। एक कलम से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वह भी माफ कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय गौतम साहब ने कहा कि हमें दलित भाईयों की चिंता करनी चाहिए। मैं इनको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने पहला निर्णय जिस दिन जींद में रैली की यह लिया था कि जो समाज में सबसे गरीब हैं, सबसे दबे हुए लोग हैं, सबसे पिछड़े हैं उनकी भलाई के लिए कार्य किए जायें। मैं माननीय गौतम साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि इन्दिरा गांधी विवाह शगुन योजना जिसमें 15 हजार रुपये की राशि दी जायेगी यह सरकार के गठन के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री की कलम के द्वारा लिया गया पहला फैसला हमारे दलित भाईयों के लिए ही था। किसानों के लिए नहीं, किसी ओर वर्ग के लिए नहीं, पहले फैसले लेने के लिए जब हमारी कलम चली तो वह केवल दलित भाईयों के लिए चली। सर, हमारे दलित भाईयों ने, पिछड़े वर्ग के लोगों ने, दस्तकारों ने हजारों करोड़ रुपये के, सैंकड़ों करोड़ रुपये के यानी 685 करोड़ रुपये कोओप्रेटिव बैंकों से लोन लिये थे। मुझे आज भी यह फिगर याद है क्योंकि जब श्रीमती सोनिया गांधी सिरसा रैली में आई थी तो मुख्य मंत्री जी ने यह फिगर बताई थी। उस समय उन्होंने यह कहा था कि जो 30 जून 2007 तक मूल राशि जमा करवा देगा उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जायेगा। सर, करीब पीने 2 लाख लोगों को इससे राहत पहुंचेगी। वह किसी बड़े धनाढय सेठ का लोन नहीं था, वह लोन किसी दलित भाई ने, किसी हरिजन भाई ने, किसी बाल्मिकी भाई

ने, किसी दस्तकार ने, किसी पिछड़े वर्ग के भाई ने कोओग्रेटिव बैंको से लिया था। इस सरकार ने इस तरह के लोन का मूल राशि जमा करवाने पर सारा व्याज माफ किया है। इसके बाद माननीय मुलाना साहब, हमारी बहन गीता भुक्कल जी और जा हमारे बहुत सारे सदस्य हैं, कल मुख्य मंत्री जी से मिले और उनसे यह कहा कि जो अनुसूचित जातियां वित्त एवं विकास निगम है एवं जो पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो की भलाई से संबंधित निगम है उनके भी लोन अभी बचे हैं तो एक कलम से उनके लोन का भी सारा ब्याज, सारी पैनल्टी मुख्य मंत्री जी ने आज माफ करने की घोषणा की है। मैं माननीय गौतम जी को याद दिलाना चाहूंगा कि मेरी जैसी नई पीढ़ी को लाई–माई की थोड़ी कम जानकारी है क्योंकि वह आज से 10– 11 साल पहले बिलकुल बन्द हो गई थी। सर, लाई–माई का लोन कौन लेता है? मैं अपने आपसे ही यह प्रश्न पूछता हूं। यह लोन हमारे दलित भाई लेते हैं, हमारे दस्तकार भाई लेते हैं, हमारे पिछड़े वर्ग के भाईयों ने लाई–माई का लोन लिया है। श्री मुलाना जी ने जब लो इन्कम धुप और मिडल इन्कम धुप कहा तो इन्होंने कहा कि हम तो खड़ी बोली के आदमी हैं सर, इसलिए हम तो लाई–माई ही समझते हैं। सर, जितने हमारे डिफाल्टर हैं आज जब हमारे दलित भाई लोन लेने जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आपने तो लाई–माई का लोन लिया हुआ था इसलिए आपको लोन नहीं मिलेगा। उनका कहना है कि तेरे खिलाफ 5 हजार रुपये के अगेंस्ट 45 हजार ब्याज लगाकर राशि खडी है इसलिए सहकारी बैंक भी तुझे ऋण

नही देंगे और अनुसूचित जातियां वित्त एवं विकास निगम भी तुझे ऋण नहीं देगी। इस सदन के अन्दर एक कलम से हरियाणा के मुख्य मंत्री ने हमेशा के लिए इस तरह के लोन का ब्याज माफ कर दिया। सर, यह भी हमारे दलित भाईयों के हक में किया जाने वाला फैसला हे। सर. इन्दिरा गांधी पेयजल योजना के बारे में हमारे मुख्य मंत्री ने जो निर्णय किया है मैं बड़े गर्व से आज कह सकता हूं कि इस देश में बहुत बड़े–बड़े प्रान्त हैं लेकिन उनमें से किसी स्टेट ने भी इस तरह का फैसला नहीं किया है। राजस्थान का अकेला बाडमेर जिला पूरे हरियाणा के बराबर है। वहां पर भी गौतम साहब, आपकी पार्टी की सरकार है और प्रान्तों में भी आपकी सरकारें हैं, दूसरी पार्टियों की सरकारें भी हैं लेकिन किसी प्रान्त के मुख्यमंत्री ने यह साहस नहीं दिखाया कि उनके यहां रहने वाले अनुसूचित जाति के जो परिवार हैं उनके लिए इस तरह के फैसले लिए हैं। लेकिन एक कलम से हमारे मुख्य मंत्री ने निर्णय लिया है कि एस०सी० के 8 के 8 लाख परिवार जो गांवों में रहते हैं, उनको 5 सौ रुपये का पानी का कनैक्शन मुफा दिया जायेगा। इसी तरह से जो शहरों में रहते हैं उनको एक हजार रुपये का पानी का कनैक्शन मुफ्त दिया जायेगा। उनको किसी भी तरह की फीस नहीं देनी पड़ेगी। उनके घरों तक पीने के पानी की पाईप लाईन मुफ्त पहुंचाई जायेगी। उनके घरों के अन्दर 200 लीटर कीं पानी की टंकी और एक टूटी भी मुफ्त दी जायेगी। इसके अलावा एक्ट्र प्लेटफार्म भी बनाकर उनको देंगे। इस तरह से एक परिवार के ऊपर साढ़े तीन हजार रुपये खर्च आयेगा। इन्दिरा गांधी

पेयजल योजना के तहत हरियाणा की सरकार 346 करोड़ रुपये खर्च करेगी। हमारे मुख्य मंत्री ने न केवल दलित भाईयों को यह सुविधा दी है बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि पानी के कनैक्शन लेने के लिए 500 और 1000 रुपये तो सभी जातियों के हम मुफ्त करेंगे। यह स्कीम 3 साल में पूरी तरह से लागू हो जायेगी। मैं इस सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री का जो दूरदृष्टि का यह निर्णय है उसके बाद ग्रामीण आचल और शहरों में बसने वाले 9 लाख हमारे अनुसूचित जाति के भाई और 30 लाख से अधिक जो हमारे उपभोक्ता हैं, हमारे भाई हैं वे यह देखेंगे कि उनके जीवन के अन्दर वाकई में एक सही मायने में असर आया है। आपने पीले और गुलाबी कार्डो के सर्वे की बात कही। मुख्यमंत्री ने एक लाईन में ही कह दिया कि पिछली लिस्ट स्क्रैप की जायेगी और मई के आखिर में या जून के पहले हफते में हम दोबारा से गुलाबी कार्डो का सर्वे दलित भाईयों के लिए करवायेंगे। यह सरकार सबसे पहले अगर चिन्ता करती हे तो पंक्ति में आखिर में खड़े हमारे भाईयों के लिए ही करती है। यह सरकार अगर किसी के लिए सबसे ज्यादा चिन्तित है तो हमारे दलित, बैकवर्ड ओर गरीब भाईयों के लिए चिन्तित है और यह न केवल शब्दों में, न केवल हमारी भावनाओं में परन्तु हरियाणा के मुख्य मंत्री के मुंह से निकले हर शब्द के अन्दर यह बात अंकित है। मैं माननीय गौतम साहब को और सदन की जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि कम से कम जितनी हम बात कहें वह जिम्मेवारी से कहें। अनगिनत निर्णय जो भी हमारे मुख्य मंत्री ने

लिये हैं वह गरीब, साधारण और आम आदमी के लिए हैं। धन्यवाद।

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, आप मुझे अपनी बात कहने दें। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः गौतम साहब, आप एक मिनट बैठें। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः गौतम साहब, प्लीज आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) सदन के नेता खड़े हैं वे कुछ कहना चाहते हें। आप उनको बोलने दें, अगर आप बोलना चाहते हैं तो उनके बाद आप बोल लेना। (विघन)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं गौतम जी से इतना ही कहना चाहता हूं कि यह इनके फायदे की ही बात है। गौतम' साहब, सुनियेः

जिन्दगी की असली उड़ान अभी बाकी है,

हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है।

अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन,

आसमान तो अभी बाकी है।।

(इस समय मेजें थपथपाई गई) चिन्ता क्यों करते हो अभी तो बहुत कुछ करना है।

श्री अध्यक्ष. ऑनरेबल मैम्बर्ज, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो घोषणा की है उस पर तकरीबन 14 मैं सम्मानित साथी बोल चुके हैं और बोलने वालों की अभी लम्बी लिस्ट है और हाउस का बिजनैस भी अभी काफी है। इस घोषणा पर मैडम भुक्कल जी बोलना चाहती हैं, श्री नरेश मलिक बी०जे०पी० से हमारे सम्मानित साथी बोलना चाहते हैं, मैडम शारदा राठौड़ जी बोलना चाहती हैं, हमारी ऑनरेबल मैम्बर श्रीमती अनीता यादव जी बोलना चाहती हैं, हमारे सम्मानित साथी श्री हर्ष कुमार जी बोलना चाहते हैं, पण्डित राधे श्याम शर्मा जी बोलना चाहते हें, चौधरी सोमवीर जी बोलना चाहते हैं, श्री रमेश चन्द्र कौशिक जी बोलना चाहते हैं, आई०जी० शेर सिंह जी बोलना चाहते हैं, श्री भरत सिंह बैनीवाल जी बोलना चाहते हैं, श्री बचन सिंह आर्य जी बोलना चाहते है, श्री कुलबीर सिंह बैनीवाल जी बोलना चाहते हैं, हमारे आदरणीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर चट्ठा साहब बोलना चाहते हैं, और परम वीर सिंह जी बोलना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है काफी ऑनरेबल मैम्बर्ज अभी इस घोषणा पर बोलना चाहते हैं, तकरीबन हाउस के सभी सदस्य बोलना चाहते है। (विघन) मलिक साहब, सभी ऑनरेबल मैम्बर्ज को बोलने का राईट है। (विघ्न) बजट पर लेडी मैम्बर्ज बोली हैं, गवर्नर एड्रैस पर लेडी मैम्बर्ज बोली हैं और बिलों पर भी लेडी मैम्बर्ज बोली हैं। गवर्नर एड्रैस को जो सैकण्ड किया गया वह भी हमारी लेडी मैम्बर श्रीमती गीता भुक्कल जी ने किया है मेरे ख्याल से सदन के लिए यह बहुत गरिमा की बात है।

श्री नरेश मलिक: स्पीकर साहब, बहुत–बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी को इस घोषणा के लिए बधाई देता हूं। अभी परसों ही मैंने सदन में इनके साथ बैठकर इस विषय पर चर्चा की थी और उन्होंने आज यह घोषणा कर दी है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने हल्के की तरफ सो हरियाणा प्रदेश की तरफ से माननीय मुख्य मन्त्री जी का धन्यवाद करता हूं और अपने हल्के के दो गांवों बलियाना और खेड़ी के लोगों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि इस घोषणा से इन दोनों गांवों को कम से कम 70–80 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है।

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 2) बिल, 2007

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 2007 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Shri Birender Singh): Sir, **I** beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 2) **Bill,** 2007.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल): अध्यक्ष महोदय, कल जब बजट पर चर्चा हो रही थी और उसका वित्त मंत्री जी जवाब दे रहे थे उस वक्त हम वित्त मंत्री जी को दो–चार सुझाव देना चाहते थे लेकिन आपने कहा था कि कल बोलने का मौका दिया जाएगा। आपने अपना वायदा पूरा किया और मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। स्पीकर सर, मुझे सदन में उन बातों पर चर्चा करनी है जिससे हरियाणा स्टेट के लोगों का बहुत ही फायदा होगा। अगर वित्त मंत्री जी उन सुझावों को अपने बजट में जोड़ देंगे तो उससे हरियाणा की जनता को बहुत राहत मिलेगी। स्पीकर सर, आप, मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, संसदीय कार्यप्रणाली के मंत्री जी और मेरे दूसरे साथी जिस इलाके से सम्बन्ध रखते हैं उस बारे में बजट में जो प्रावधान किया है उस तरफ आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। स्पीकर सर, मुर्रा भैंस इस प्रदेश की बहुत बड़ी जायदाद है। सरकार ने इसके लिए बहुत ही बढिया पायलट प्रोजैक्ट बनाकर केन्द्र सरकार को भेजा था। वहां के कृषि मंत्री जी ने उस प्रोजैक्ट में दूसरी नस्ल की भैंसो को इसमें जोड़ कर इस प्रोजैक्ट को मात्र 156 करोड़ रूपए पर ला कर खडा कर दिया है। इसके साथ ही जो एनिमल हस्बैडरी का बजट था उसमें 10वीं पंचवर्षीय योजना में 22 करोड़ रुपए का प्रावधान था और अब की बार 11 वीं पंचवर्षीय योजना में भी उसके लिए 22 करोड़ रुपए का ही प्रावधान रखा गया है। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री आनन्द सिंह डांगी जी पदासीन हुए) चेयरमैन

सर, आम्र प्रदेश, कर्नाटक और दूसरी स्टेट वाले हमारे यहां से मुर्रा भैंसों और उनके बछड़ों को खरीद खरीद कर अपनी स्टेट में ले जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारे यहां से यह प्रजाति खत्म होती जा रही है। माननीय वित्त मंत्री जी ने इन भैंसों के लिए बजट में मात्र 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। चेयरमैन सर, आप भी उस इलाके से सम्बन्ध रखते हैं और मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह जो प्रावधान आपने किया है यह बहुत ही कम है। यह तो ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली कहावत को चरितार्थ करती है। चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहूंगा कि पंचकूला में कुत्तों के क्लीनिक के लिए बजट में 50 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। उस क्लीनिक में बडे–बड़े आफिसर्ज और बड़े लोगों के कुत्तों का इलाज किया जाएगा। चेयरमैन सर, कुत्तों के क्लीनिक के लिए 50 लाख रुपए और मुर्रा भैंस के लिए सिर्फ एक करोड़ रुपए बजट में दिया गया है। चेयरमैन सर, मुर्रा भैंसों से गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर आज गांव में रहने वाले गांवों के बेरोजगार बच्चे उन मुर्रा भैंसों का पालन पोषण करें और उनसे मिलने वाले दूध को बेचेंगे तो उससे उनकी आमदनी भी होगी और परिवार का जो खर्चा है वह भी अच्छी तरह से चल सकेगा। इसकी वजह से हमारे गांव के नौजवान बच्चों को रोजगार भी मिल जाएगा। अगर हमारे वित्त मंत्री जी मुर्रा भैंसों की नस्ल को बचाने के लिए और उनकी आबादी हरियाणा में बढ़ाने के लिए बजट में और ज्यादा प्रावधान करेंगे और इस तरफ और ध्यान देंगे तो इससे बहुत लाभ होगा।

चेयरमैन सर, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इन दो सालों में लगभग हर विभाग से सम्बन्धित बहुत सी घोषणाएं की हैं और पूरी भी की हैं तो मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन हे कि इस बारे में भी मुख्यमंत्री जी कोई घोषणा करें और उसको पूरा करवाएं। चेयरमैन सर, अभी पिछले दिनों एक किताब छपी है उसका नाम 'कलैसिज ऑफ सिविलाईजेशन' है जो हंटिंगटन ने लिखी हे। इस किताब में उसने दुनिया का स्वरूप जाहिर किया है। उसने कहा है कि आज दुनिया के जो लोग धर्मो और समुदायों में बंटे हुए थे अब उन्हें वह रास्ता छोड़कर सभ्यता के मुताबिक आगे बढना होगा। इसकी सीमाओं को लांघ कर उन्होंने जो सुझाव दिए हैं उसकी चर्चा आज सारी दुनिया में हो रही है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस तरीके से ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उन्होंने कई स्टेट्स को मिलाकर अपना एक क्लस्टर बनाया स्था है और वह तमाम प्रदेशों का भविष्य तय करते हैं कि वहां क्या क्या खेतीबाड़ी होगी, किस तरह का उनका व्यापार होगा, किस तरह के कार्यक्रम उनके प्रदेशों में चलेंगे। चेयरमैन सर, मैं मुख्यमंत्री जी से और मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों से भी निवेदन करूंगा कि हरियाणा को भी इस बारे में विचार करना चाहिए कि हम जम्मु–कश्मीर के साथ, पंजाब के साथ, हिमाचल के साथ आपस में बैठकर पुराने मतभेदों को भुलाकर काम करें क्योंकि हमारे किसानों की समस्याएं एक हैं और हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं उन सबकी भी समस्याएं एक सी हैं। अगर मुख्यमंत्री जी इस बारे में पहल करें और यदि वह पंजाब के

मुख्यमंत्री से बात करें चाहे वहां किसी भी पार्टी की सरकार क्यों न हो, वह जम्मु कश्मीर के मुख्यमंत्री से बात करें, वह हिमाचल के मुख्यमंत्री से बात करें तो इसमें सबका फायदा हो सकता है। आज जब हम बिजली की कमी की बात करते हैं, पहले हमने गैस बेस्ड बिजली की शुरुआत की और जब गैस उपलब्ध नहीं थी तो हम थर्मल बिजली के बारे में कदम उठा रहे हैं। चेयरमैन सर, आप जानते ही हैं कि जब तक हमारा देश या जब तक कोई भी प्रदेश हाइड्रो–पावर जैनरेशन की तरफ कदम नहीं उठाएगा तब तक वह अपने पैरों पर खडा नहीं हो सकेगा। इसलिए हमें भी इन सभी राज्यों को साथ लेकर चलना चाहिए और जो संसाधन उनके पास हैं उसका फायदा हमें उठाना चाहिए तथा जो संसाधन हमारे पास हैं उनको हमें उनको देना चाहिए। इस तरह से अपने अपने संसाधनों का अदान प्रदान हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जग कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में हमें हाइड्रो बिजली बनाने की बहुत ज्यादा सुविधाएं मिल सकती है इसलिए हमें उनके साथ यह सुविधाएं बांटनी चाहिएं और उनसे इस बारे में बात करनी चाहिए। मैं वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करूगा कि अगर ऐसी शुरुआत हुई तो जो पहले हमारे स्वार्थी किस्म के नेता जोकि इस प्रदेश में हुए हैं जिन्होंने छोटी राजनीति करके प्रदेशों के लोगों को आपस में आमने सामने खड़ा करके लड़ाने के जो मंसूबे बनाए हुए थे, उसको खत्म करने में भी हमें कामयाबी मिलेगी और हमारा भाईचारा भी बढ़ेगा तथा हमारे साधन भी बढेंगे। जो फसल बदलाव चक्र है उसके बारे में भी वित्त मंत्री जी ने जो अपने बजट

में प्रावधान किए हैं उनमें एक विशेष दर्जा और होना चाहिए। हरियाणा और पंजाब ऐसे जोन हैं जहां पर बहुत ज्यादा धान की खेती, होती है। मैंने बहुत बड़े–बडे ऐग्रीकल्चर साइंटिस्टस और इकोनोमिस्टस के आर्टीकल्ज पढ़े हैं। देश के दूसरे लोगों ने भी यह पढ़े होंगे। इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया परियोजना बनाकर दी है। चेयरमैन सर, हरियाणा के वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री भी इस बात की हामी भरते हैं कि यदि हरियाणा और पंजाब दोनों मिलकर एक मिलियन एकड़ धरती पर से धान की खेतीबाड़ी वापस लें और किसानों को यह न बोने के लिए प्रेरित करें तो दोनों प्रदेशों का पानी का झगड़ा भी समाप्त हो सकता है और दोनों प्रदेशों के पास इतना सरप्लस पानी होगा कि वे यह पानी राजस्थान को भी –दे सकते हैं। इसलिए इस बात पर भी विचार करना चाहिए। चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सहकारिता विभाग के अंदर यह होना चाहिए कि जिस तरीके से दिल्ली में सहकारी बैंकों का टू टायर सिस्टम है वैसा ही हमारे यहां होना चाहिए। हमारे हरियाणा में यह थी टायर सिस्टम है यह बिना वजह का खर्चा हमारे यहां पर है इसको खत्म करना चाहिए और टू टायर सिस्टम को हरियाणा में भी लाग करना चाहिए।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): चेयरमैन सर, माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह वाजिब है, सही है लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगा कि सहकारिता क्षेत्र के मामले में

यह सरकार काफी सजग है। बिजली की प्रोडक्शन की फिगर्ज अनगिनत बार इस सदन के अंदर हमारे रैवेन्यू मिनिस्टर साहब ने ओर वित्त मंत्री साहब ने दी हें। इसी प्रकार से सहकारिता क्षेत्र के लोन भी सात प्रतिशत कर दिए गए हैं और उनका जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसको बदलने के लिए भी हमने कदम उठाए हैं। जो क्रेडिट कोओपरेटिव सोसायटीज थी इनको मर्ज करके बैंक्स बनाने का निर्णय लिया गया है जोकि मुझे लगता है कि हरियाणा के इतिहास में पिछले 41 वर्षो में किसी सरकार ने ऐसा कदम नहीं उठाया होगा।

12.00 बजे

श्री कर्ण सिंह दलालः चेयरमैन सर, माननीय ससंदीय कार्य मंत्री जी ने जो कहा है मैं उस बात पर भी आऊंगा लेकिन इससे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि थी टायर बैंक का सिस्टम खत्म कर दिया जाए। सर, हरियाणा में भी दूँ टायर सिस्टम को लाग किया जाना चाहिए। चेयरमैन सर, जो पी. एल. जी. बैंक हैं यह भ्रष्टाचार का अडा बने हुए हैं। सर, हम और आप किसान परिवार से संबंध रखते हैं इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इसके भष्टाचार को समाप्त करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है कि देते वक्त जो डीलर सिस्टम बीच में आता है उसको फौरन समाप्त करना चाहिए। धरती हमारी गिरवी होती है, पैसा डीलर के घर जाता है। किसान डीलर से पैसा मांगने जाता है इसलिए इस डीलर व्यवस्था को तुरंत समाप्त करने की जरूरत है। रणदीप जी

ने कहा कि सोसायटीज को दोबारा से रीआर्गेनाइज किया गया है। अखबारों ने इस बारे में लिखा है कि कमी सोसायटीज में नहीं थी, वह तो पिछली सरकार की करतूतें ऐसी थी कि अधिकारियों ने किसानों के नाम पर दिखाकर अपनी जेबें भरने का काम किया, उन बेईमान और भ्रष्ट अधिकारियों का इलाज करने से व्यवस्था सही होगी। इसलिए में रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से प्रार्थना करूंगा कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। चेयरमैन सर, मैं स्कूली व्यवस्था के बारे में भी एक बात कहना चाहता हूं। शिक्षा के बारे में जैसा वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि 1056 स्कूल पूरे हरियाणा में हैं उनमें से सिर्फ 45 स्कूलों में स्टाफ पूरा है। बाकी जगहों पर क्या होगा 7 अगर मंत्री जी के अपने इलाके को भी देखें तो उनमें एक विधान सभा क्षेत्र के दो स्कूलों में साइंस सब्जैक्ट ही नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी का इस बारे में बयान मैंने पढ़ा था। उन्होंने लिखा था कि गुड़गांव में जो पढने लिखने की सुविधायें हैं या रोजगार है वह हरियाणा के अन्य जिलों के लोगों को नसीब नहीं हो रहा है। जब तक सभी शहरों व गांवों में साइंस विषय नहीं होंगे तो जो गुड़गांव, फरीदाबाद और पंचकूला में जो औद्योगिक घराने आ रहे हैं, जो व्यवसाय आ रहा है उसका फायदा हमें नहीं मिलेगा।

श्री सभापतिः धन्यवाद दलाल साहब, अब आप बैठ जाएं।

श्री कर्ण सिह दलालः सभापति महोदय, मैं आखिरी बात कहकर बैठता हूं। हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम रखे हैं, अच्छी–अच्छी घोषणायें की हैं। सिर्फ एक काम बाकी रह गया है वह यह है कि हम सिर्फ यही न कहते रहे कि यह किया है, यह काम अच्छा किया है। उसके बजाय एक काम की तरफ निगरानी करना बहुत जरूरी है। रणदीप जी कह रहे थे कि उनकी चक्की धीरे धीरे चलती है और बारीक पीसती है। मैं इनको कहना चाहूंगा कि चक्की के जो पाट हैं वे इनके समय के नही है वह तो बेईमान सरकार के समय से हैं। उनको दोबारा से हमारी भाषा में तो यह कहते हैं कि खटखटाने की जरूरत है, उनके दांते पैने करने की जरूरत है। यहां जो अफसरशाही है यह हमारा एक महत्वपूर्ण अंग है। मैं यह नहीं कहता कि सभी अफसर खराब हैं, अच्छे भी हैं। अगर नीचे के सिरे तक हमने अफसरशाही और प्रशासन को दरुस्त नहीं किया और वहां पर सरकार का रौब नजर नहीं आया था लोगों के मन में प्रशासन का भय नजर नहीं आया तो जो काम हम कर रहे हें वह किसी काम के नहीं होंगे। मेरा सुझाव है कि इस सत्र के बाद एक दफा बैठकर इन बातों पर विचार करें और सुधार करें अन्यथा हरियाणा की जनता व हरियाणा के किसानों का भला नहीं हो पाएगा। रणदीप जी, चक्की के पाटों को निकालकर अपने उन पाटों की निगरानी फिर से करें, पाट बदलने की जरूरत है तो उनको जरूर बदलें।

श्री सभापतिः अब श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला जी बोलेंगे। आपको दो मिनट का समय दिया जाता है।

श्री एस०एस० सुरजेवाला (कैथल): सभापति महोदय, मैंने टाइम तो कल भी ज्यादा नहीं लिया था और 2–3 मिनट बोला था।

श्री सभापतिः आज आप पांच मिनट बोल लें।

श्री एस०एस० सुरजेवालाः मैं स्पीकर साहब के आदेश फौलो कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि कल खुलकर बोल लेना।

श्री सभापतिः मुझे भी उनके आदेश हैं कि पांच पांच मिनट बुलवाना है।

श्री एस०एस० सुरजेवालाः चेयरमैन साहब, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इस हाउस में बातें कही गई हैं कि हमारी इतनी भारी ओवरआल जी०डी०पी० है और प्रति व्यक्ति आय भी बड़ी है जिसके कारण दिल्ली के चारों और चमकते और दमकते इलाके हो रहे हैं। इस चमक दमक को हमें हर गरीब आदमी तक और गांव के इलाकों में भी भेजना होगा ताकि उन लोगों का स्तर भी बढ़ सके तभी हरियाणा बहुत एडवान्स और आगे जाने वाला प्रदेश कहलवा सकता है। चेयरमैन साहब, दिल्ली में अभी एक सेमिनार था उसमें बोलते हुए यह बात कही कि इसके लिए मुझे अंग्रेजी में पढ़ना पड़ेगा, यह इस प्रकार है

"Speaking at the plenary session on "Meeting India's New Expectations" at the India Economic Summit (IES), Gandhi noted that even as India had modernized and achieved success in the global economy, it "still faces some formidable challenges". These include "age-old problems" such as the lack of primary healthcare and nutrition, as well as new concerns such as HIV/AIDS and terrorism.

"There are many Indias," Gandhi remarked. "There is the India of bustling growth and the India of widespread want. There is the India of self-confidence and the India burdened by unequal history and unequal opportunity..."

चेयरमैन साहब मैं स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में कुछ बातों की चर्चा करना चाहूंगा। स्वास्थ्य की पोजीशन यह है कि प्रधान मंत्री जी ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी और जो तीसरी नेशनल फैमिली हैल्थ सर्व की जो रिपोर्ट है, इन सब ने हरियाणा को उन प्रान्तों में शुमार किया है जो नीचे के स्तर पर है। हरियाणा प्रान्त जो हर बात के लिए आगे है लेकिन दुःख की बात है कि स्वास्थ्य के मामले में हरियाणा पीछे हे। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 42 प्रतिशत तक तीन साल से कम उस के बच्चे बहुत कमजोर हैं, अण्डर डिवलैम्ड हैं और अण्डरवेटिड हैं जिस कारण उनका कद भी पूरा नहीं हो पाता। 36 प्रतिशत बच्चे स्टैंटिड हैं जिनकी मैंटल हाईट और हर प्रकार से ग्रोथ रूक जाती है। मुझे यह कहना पड़ता है कि सरकार को स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जो कि रूटीन की बात है। यह कहना कि पिछले साल की तुलना में इस साल के बजट में डेढ़

गुणा या दो गुणा ज्यादा पैसा स्वास्थ्य के लिए कर दिया गया है, इस बात से काम चलने वाला नहीं है। हमें बच्चों और जो गर्भवती मां हैं उनकी नुट्रीशन और उनके फूड में कोई कमी न रहे, उनके वेट में कोई कमी न रहे इस बात का सरकार को ध्यान देना चाहिए। उन बच्चों को अनाज की कोई कमी नहीं है लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे हरियाणा के बच्चों को अण्डा नहीं मिलता जिसमें बहुत पोष्टिक भोजन होता है। हमारे राज्य के बच्चों को न्यूट्रीशस भोजन नही मिलता, फ्रूट नहीं मिलता, सब्बी नहीं मिलती। आप जानते हैं कि गांवों में आम आदमी सब्जी का इस्तेमाल नहीं करता और दूध की भी उसे बहुत भारी क्सी होती है। जच्चा–बच्चा है उसके लिए भी इन सारी बातों की बहुत जरूरत है। इसके लिए सरकार को गरीब लोगों की जो गर्भवती महिलाएं हैं, मैं तो यह कहता हूं कि जब वे गर्भवती होती हैं उस वक्त से ही उनको 500 रुपये या 1000 रुपये महीने के हिसाब से देकर उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वे अच्छा खाना खा सकें, नुट्रीटिड फूड खा सकें। ऐसी महिलाओं और बच्चों के लिए तीन साल के लिए सरकार की तरफ से मदद करनी चाहिए। चेयरमैन साहब, यह बात मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं और आपको इस बात की अच्छी तरह से जानकारी भी है कि गांव में रहने वाला हर दूसरा आदमी बीमार है। वह अपने आपको डॉक्टर को दिखा भी नहीं सकते, कभी फिजीकल चौकअप बॉडी का नहीं करवा सकते। इस तरह के साधन उनके पास हैं भी नहीं और दूसरे इस तरह की प्रथा भी गांवों में नहीं है। मैं तो यहां तक

कहूंगा कि जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उनका थोरो मैडीकल चौकअप समय–समय पर करना बहुत अनिवार्य है ताकि उनकी बीमारियों का पता चल सके और ठीक किया जा सके। आज गांव में विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। गांवों में हार्ट अटैक और कैंसर से बहुत मौतें हो रही हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हैल्थ के लिए सरकार ने जितने पैसे रखे हैं उनसे काम चलने वाला नहीं है। सभापति महोदय, अब मैं शिक्षा कें बारे में बात करना चाहूंगा कि कई यूनिवर्सिटीज की रिपोर्ट है कि हरियाणा के गांवों के बच्चे यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचते। पंजाब यूनिवर्सिटी में केवल दो प्रतिशत बच्चे और लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 7 प्रतिशत बच्चे हरियाणा के गांवों के हैं। (विघन) अभी मेरे दोस्त ने बहुत ठीक कहा कि गांवों के सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से विषय नहीं पढ़ाये जाते, हिंदी माध्यम से पढाये जाते हैं। गांवों के स्कूलों में साईस, कोमर्स और टैक्नीकल विषयों का इंतजाम नहीं है। जिसका नतीजा यह है कि हमारे देहात के बच्चे एडमिशन और नौकरियों में कंपीट नहीं कर सकते। मैं तो यहां तक कहूंगा कि देहात के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए सरकार को चाहे कुछ भी करना पड़े, कहीं से भी पैसा लेकर आये लेकिन देहात के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे। मैं गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया को भी एक बात कहता हूं कि इस देश के देहात के बच्चे और लोगों को यदि हम उन लोगों के बराबर शिक्षित करना चाहते हैं, जो 20 प्रतिशत हैं, जो हर नौकरी ओर एडमिशन में कंपीट करते हैं। उसके लिए चाहे भारत सरकार को जो बी०एस०एन०एल० जैसी

कारपोरेशन है जो एक हजार करोड़ रुपये में बिक सकती है उसको भी बेच दो लेकिन गाव के बच्चों को उन 20 प्रतिशत शिक्षित लोगों के बराबर शिक्षा दी जाये। मैं स्टेट गवर्नमैंट से भी यही कहना चाहूंगा कि अपने खर्चे को कम करने के लिए जो हमारे कारपोरेशनज घाटे में चल रहे हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। बिजली की बहुत चोरी होती है उससे भी हजारों करोड़ रुपये की बचत की जा सकती है। इसके अतिरिक्त जो फालतू जमीन सरकार की पड़ी है उसको भी बेच सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार चाहे कुछ भी करे लेकिन देहात में रहने वाले बच्चो को अच्छी शिक्षा दी जाये ताकि वे अपने आपको आगे कंपीट कर सकें। वित्त मंत्री जी ने बजट में पहले के मुकाबले शिक्षा का बजट काफी बढ़ाया है। मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि शिक्षा और हैल्थ के क्षेत्र में बहुत प्रयत्न करने की जरूरत है, जिनको हम हिमालय प्रयत्न कह सकते हैं। सभापति महोदय, सरकार ने दलितों और किसानों को उनके कर्ज पर व्याज की माफी करके बहुत सराहनीय कार्य किया है लेकिन ब्याज माफी की शर्त है कि जून के अंत तक एक मुश्त मूल अमाउंट जमा करवानी होगी। उसके बाद पैनल्टी और ब्याज माफ हो जायेगा। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि शायद सभी के लिए यह मुमकिन नहीं है कि वे एक मुश्त अपना पैसा जमा करवा सके। उसके लिए जो सरकार ने बिजली के बिलों में स्कीम अपनाई थी कि इतने महीने तक बिजली के बिल भर दो और आपके पिछले बिल माफ हो जायेंगे। वही प्रावधान इसमें भी होना चाहिए। इस तरह करने

पर सारे दलित, गरीब, बैकवर्ड और किसान भाई इन क्लो को उतार पायेगे। एक मुश्त का फायदा शायद सभी को न मिले और स्थिति जैसे पहले थी वैसे की वैसे ही रहेगी। इसके अतिरिक्त मैं सबसिडी के बारे मे कहना चाहूंगा कि वित्तमंत्री जी ने ऐलान किया है कि बीज पर किसानों को सीधी सबसिडी दी जायेगी। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हर किसान का कृषि कार्ड बना दिया जाये। जिसमें यह दर्ज किया जाये कि किस किसान ने कोन–कौन सी फसल की बिजाई की है और किस समय उसको खाद और बिजली की आवश्यकता है यह सब भी उसमें दर्ज कर दिया जाये। उसी हिसाब से किसान को जोत पर, बीज पर, खाद पर और बिजली पर सीधी सबसिडी दे दी जाये। यह बहुत मुश्किल काम नहीं है। हरियाणा को यह रास्ता अपने किसानों को दिखाना चाहिए। हर किसान के पास कार्ड हो उसके मुताबिक जैसे ही फसलों की बिजाई होगी उसको वहां गवर्नमैंट का संबंधित डिपार्टमैंट सबसिडी डिसबर्स कर दे। आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि गांवों में दलितो, हरिजनों और बैकवर्ड क्लास के लिए, भूमिहीनों के लिए, सरकार को प्लाट जरूर देने चाहिएं कि 100– 100 गज के प्लाट इनको दे दें। आपके कॉमन लैंड एक्ट में और पंचायत एक्ट मे इस का प्रावधान भी है। कुम्हारों को उनके काम करने के लिए जहां वे मिट्टी का काम करते हैं, एक दो किला जमीन सरकार को उन्हें देनी चाहिए। हर जगह पंचायत की जमीन मौजूद है उसमें से इन गरीब लोगो की मदद करनी चाहिए क्योंकि .यह बहुत ज्यादा अनिवार्य है। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री सभापतिः ए०सी० चौधरी जी, आप अपनी बात 5 मिनट में कहने का प्रयास करें। श्री ए०सी चौधरीः सभापति महोदय. अगर पांच मिनट ही मिलते हैं तो आपका धन्यवाद मैं बोलता ही नही।

श्री सभापतिः ठीक है आप 1० मिनट में पूरा कर लीजिए।

श्री ए०सी० चौधरीः सर, मुझे बजट पर भी बोलने का मौका नहीं मिला उस समय भी यही कहा गया कि आप एप्रोप्रिएशन पर बोल लेना। मेरे को कम से कम आधा घण्टा चाहिए। मैंने संसदीय कार्य मंत्री से पूछा था कि अगर मुझे पूरा समय मिलेगा तो बोलूंगा। मैं अपने हल्के पर बोलना चाहूंगा, और पूरी स्टेट पर बोलना चाहूंगा। अगर इतना कम समय मुझे मिलेगा तो मैं बोलता ही नहीं, मुझे कम से कम 100–100 मिनट का समय चाहिए।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): सभापति महोदय, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि श्री ए०सी० चौधरी जो न केवल हमारे वरिष्ठ हें बल्कि इस हाऊस के भी वरिष्ठ सदस्य हैं आप इनको 15 मिनट का समय अपना उदार सय दिखाते हुए दे दीजिए।

श्री ए०सी० चौधरी (फरीदाबाद): सभापति महोदय, शुक्रिया, मुझे बजट पर और एप्रोप्रिएशन बिल दोनों पर बात करनी है। आज मैं दोनों को मिक्स करते हुए इतना ही कहूंगा कि बजट

एक शीशा है और उसमें जो प्रावधान हैं वो सरकार की मंशा और सरकार के चिन्तन को दर्शाता है। आज का बजट हर लिहाज से तारीफ के कायिल है लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी तरफ मैं हाऊस का ध्यान दिलाना चाहता हूं और उस लिहाज से मैं बजट अनुदानों की मांग संख्या 9, 10, 11,13,14, 15, 23 और 24 पर बोलूंगा। चेयरमैन सर, शिक्षा जो है स्टेट का दायित्व है लेकिन अगर आप पूरी तरह से जायजा लें तो कोई भी सरकार अपने बलबूते पर शिक्षा पूर्ण रूप से नहीं दे पायेगी और जो प्राईवेट इंस्टीच्यूशनस हैं वो सरकार को बराबर मदद कर रहे हैं। एक तरफ उनकी मदद है दूसरी तरफ लूट खसोट के साधन भी बने हुए हैं। सरकार ने कुछ पॉलिसी बनाई है जिसमें पुराने स्कूलों के लिए भी कुछ जमीन के प्रावधान की बात कही गई है। आज पुराने स्कूल चाहे शहरों की आबादी के अन्दर हैं या गांवों के अन्दर हैं, वो रबड़ तो नहीं है कि फैल जायें। मेरा सरकार से नम्र निवेदन और प्रस्ताव है कि पुराने स्कूलों पर जो बड़े ग्राऊंडस की कडिशनज है वो न लगाई जाये। साथ ही आज के युग मे वो वक्त चला गया जब 65 परसैंट या 66 परसेंट वाले यूनिवर्सिटी टोपर हुआ करते थे आज औबजेस्टिबिटी हो गई है और मल्टीनेशनलस इतनी तेजी से इस देश को अपना बड़ा बाजार मानकर यहां आये हैं। हमें अपने बच्चों को हर तरीके से शिक्षित करना है और उसमें जब तक हम अपनी बच्चियों को आगे नहीं लेकर आएंगे तब तक हम देश को पूरी तरह से शिक्षित करने योग्य नहीं होंगे। चेयरमैन सर, पिछले सैशन में भी मैंने यह मांग की थी कि गांवों के अन्दर

भी बच्चियों के लिए कई कॉलेजिज खोले जाएं। हर कोई यह बात जानता है कि आज के इस ऑर्थोडॉक्स दौर में मां–बाप लड़कियों को दूर दूर तक पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते हैं। पिछले सैशन में मैंने यह प्रस्ताव किया था कि मेरे हल्के के गांव सीकरी के इर्द–गिर्द 30–40 गांव और पड़ते हैं। अगर वहां पर गर्ल्ज कॉलेज बना दिया जाए तो वहां के सारे गांवों को उसका फायदा हो सकता है। वहां की ग्राम पंचायत कॉलेज के लिए पूरी जमीन देने के लिए तैयार हैं और जितना पैसा इसके लिए वाजिब है वह भी वे देने के लिए तैयार हैं क्योंकि उनके पास काफी पैसा है। सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ अगर आप देखें कि प्राईवेट स्कूलों में दाखिलों के लिए जबरदस्त लाईन लगती है और वहां पर दाखिले के लिए होड़ लगी रहती है। हमारे टीचर्ज और हमारे प्राध्यापक हाईली क्वालिफाईड हैं लेकिन हमारे स्कूलो में बिल्डिंगों की दशा बहुत बुरी है और उनके बाहर का ऐन्वायर्नमैंट अच्छा नहीं है। इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दे कर अगर हर प्राईमरी स्कूल मे एक–एक और बड़े स्कूलों में 2–2 मालियो का प्रावधान करके स्कूलों का आउटर ऐन्वार्यनमैंट अच्छा बना दिया जाए तो न सिर्फ देश की प्रतिभा को उजागर होने का मौका मिलेगा बल्कि गरीब लोग प्राईवेट स्कूलों की लूट–खसोट से भी बच जाएंगे। चेयरमैन सर, इसी तरीके से मांग संख्या 10 मैडीकल और पब्लिक हैल्थ की है। पिछले 11 साल से हमारे जिला फरीदाबाद के एकमात्र होस्पीटल बादशाह खान में कोई काम नहीं हुआ है और उसकी बिल्डिंग में एक ईट तक नहीं लगाई गई है। मैं माननीय स्वास्थ्य

मन्त्री जी, तथा माननीय मुख्य मन्त्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने सारी बिल्डिंग का काम शुरू करवा दिया है और बी० एण्ड आर० डिपार्टमैंट की भी मैं तारीफ करूंगा कि बिल्डिंग के काम की क्वालिटी सुपरब है। चेयरमैन सर, मैं सरकार का ध्यान इस बात की तरफ भी दिलाऊगा कि सिर्फ बिल्डिंग ओर डॉक्टरों की तनख्वाह तक ही समिति न रहें, लोगों को वहां पर क्वालिटी की सर्विस भी मिलनी चाहिए। हमारे पास आज जितनी स्यैशियैलिटी सर्विसिज हैं उसका फायदा लोगों को मिलना चाहिए। अस्पतालों में डॉक्टरज की कमी है और स्पैशलिस्ट डॉक्टरज की और भी काफी कमी है। दूसरी तरफ मैं फिर यह बात कहना चाहता हूं कि अस्पतालों में हर चीज अच्छी होने के बावजूद भी ऐन्वायर्नमैंट अच्छा न होने की वजह से लोग सरकारी अस्पतालों में नहीं आते और प्राईवेट नर्सिग होम्ज में जाने के लिए मजबूर हैं। सभापति महोदय, दुख के साथ कहना पड़ता है कि कई ऐसे मौके आए हैं जब इन अस्पतालों की वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम्ज का सामना करना पड़ा है। मेरे अपने शहर फरीदाबाद में बड़े– बड़े प्राईवेट अस्पताल हैं। मैं इन प्राईवेट अस्पतालों की बात बताता हूं। एक अस्पताल में लोग वहां पर मरीज को ले गये लेकिन परिवार के लोग वहां पर मरीज के इलाज के बिल के पीछे दौड़ते रहे और पता लगा कि मरीज मर गया और दो दिन तक वहां से लाश नहीं उठाई जा सकी क्योंकि वह परिवार बेचारा उस अस्पताल का बिल नहीं दे सका था। सभापति महोदय, जब सरकार ने और सारा प्रावधान किया हुआ है, अगर इस ओर थोड़ा ध्यान दे

कर कुछ और अधिक काम करेंगे तो मेरा विश्वास है कि सरकार को सही मायनों में जो यश मिलना चाहिए था अगर वह नहीं मिला है तो वह ब्याज के साथ मिलेगा। इसी तरीके से शहरों की हालत की तरफ मैं आता हूं तो बहुत दुख होता है। शहरों में जो सीवरेज बनाए गए हें वह 50–50 साल पहले के बनाए हुए हैं और जो पुराने सीवरेज हैं वह 25–30 हजार की आबादी के लिए बनाए गए थे लेकिन आज वहां की आबादी 1 ले– 15 लाख हो गई है। जरूरत इस बात की हे कि इसकी नये सिरे से पॉलिसी बनाई जाए और लोगों को परोपर सीवरेज की सुविधा मुहैया करवाई जाए। आज हालत यह हो गई है कि अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो एफयुलैंट बाहर जाने के बजाए उल्टा घरों में हिट बैक करता हे जिसके कारण घरों में जीना नरकीय बन जाता है और लोग दुखी होते हैं। सभापति महोदय, पीने के पानी के मामले में सरकार का काफी बड़ा कन्ट्रीब्यूशन है। फरीदाबाद के लिए रेनीवैल स्कीम बनाई गई है लेकिन इसके साथ ही साथ में इतनी बात जरूर कहूंगा कि सन् 1996 में जब हमारी सरकार थी उस वक्त मैंने यह सबमिट किया था कि फरीदाबाद बहुत बड़ा इण्डस्ट्रियल कॉम्पलैक्स होने की वजह से इसकी आबादी अनपरपोरशनेट बद रही है। जो सर्वे उस वक्त किया गया था उस सर्वे के मुताबिक सन् 2000 में फरीदाबाद 10 लाख की आबादी का शहर हो सकता था और 2011 मे 17 लाख और 2021 में 40 लाख की आबादी का शहर होने का अनुमान रखा गया था। मगर चेयरमैन सर, एक अजीब सा तमाशा हुआ है जब 17 लाख का आकड़ा सर्वे के

मुताबिक 2011 में आना चाहिए था आज वहां की आबादी 20 लाख हो गई है। इस लिहाज से फरीदाबाद को पीने के पानी की जो जरूरत है उस हिसाब से इस वक्त हमें 60 मिलियन गैलन पानी की सप्लाई देनी चाहिए थी मगर आज हमारे पास सिर्फ 40 मिलियन गैलन पानी की सप्लाई हो रही है। जब कि उस सर्व कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 2011 में 77 मिलियन गैलन और सन् 2025 मे 180 मिलियन गैलन पानी की जरूरत होगी जो कि टयूबवैल की सप्लाई से पूरी नहीं की जा सकती है। पहले जो टयूबवैल्ज बोर किए गए हैं वे 25 हजार से 30 हजार गैलन पानी की सप्लाई कर रहे थे अब केवल 2000 से 2500 गैलन पानी का डिस्ट्रिब्यूशन उनसे रह गया है और जिन टयूबवैल्ज में डिसचार्ज की क्षमता है वहां पर पानी खारा होता जा रहा है। अन्दर ग्राउण्ड पानी की वहां पर उपलब्धि नहीं है उस लिहाज से आज ऐक्शन की जरूरत है और इसलिए मैं फरीदाबाद के लिए मांग करता हूं कि जहां गुड़गांव को डब्ल्यू०जे०सी० से जोड़ कर नहर लाई जा रही है तो वहां से 20 किलोमीटर पहाड़ी इलाके से फरीदाबाद में भी नहर लाई जा सकती है। अगर 250 क्यूसिक पानी की वहां पर एडिशनल एलोकेशन कर दी जाए तो आने वाले 50– 100 सालों का फरीदाबाद के पानी का मसला हल हो जाएगा। इस बारे में टैक्नीकल डाटा मेरे पास है अगर ये इसको परमिट करते तो इससे फरीदाबाद में पानी लाने में कोई भी प्रोब्लम नहीं आएगी। चेयरमैन सर, इसके अलावा भी अगर गुडगांव के लिए कोई दूसरा प्लान बनाना चाहते हैं तो हमारे पास दूसरा अल्टरनेट भी है, उसके

तहत गड़गंगा से गंगा का पानी नोएडा की तरफ से लाया जा सकता है और इस बारे में आलरेडी स्कीम भी बनी हुई है। लेकिन किसी कारणवश पिछली काबिल सरकार ने इस स्कीम की ओर ध्यान नहीं दिया है। इस स्कीम को पेपरों में दफन कर दिया और वे पेपर आज ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं। मेरी सरकार से गुजारिश है कि अगर वे यू०पी० की सरकार से इस सिलसिले में चर्चा करे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम गड़गंगा से नोएडा और नोएडा से मझावली तक पानी ले आएं और यही पर एक ट्रीटमैट प्लांट लगा दें तो इससे वक्त पर पीने के पानी की समस्या का हल होगा। यह ठीक है कि आज कोई दूसरा प्रान्त हमें पीने का पानी न देने के लिए प्रसिद्ध हो सकता है लेकिन आज पानी लोगों के लिए बहुत कीमती हो चुका है। इरिगेशन के लिए जहां जहां पर पानी की समस्या है जैसे अगर हम यू०पी० गवर्नमैंट से यह प्रस्ताव रखे कि आप पोटेबल वाटर हमें दीजिए हम आपको सिवरेज का पानी उसी क्यांटम में ट्रांसफर कर देंगे तो मैं नहीं समझता कि वे हमारी बात को नकार सकेंगे। इसके लिए मैं भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जैसे नेता पर भरोसा कर सकता हूं। चेयरमैन सर, मैंने कहीं पर कुछ लोगों में कहा था कि हमारे चीफ मिनिस्टर गऊ हैं लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि ये गऊ तो स्वभाव से हैं लेकिन शेर भी हैं जो अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करना जानता है। इन्होंने सदन में कल और आज घोषणाएं की हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री जी बहुत–बहुत मुबारिक के पात्र हैं। हो सकता है कि हम अपनी छोटी बुद्धि के कारण या राजनीतिक मानसिकता के शिकार होकर कोई

शब्द कहने में कमजोरी दिखा दें लेकिन मेरा दावा है कि आने वाली नस्लें इन घोषणाओं को और इन कार्यक्रमों को उसी आदर से देखेंगी जैसे भगत भगवान को देखता है। उसी के साथ आज अर्बन डवैल्पमैंट के मामले में शहर क्लम बनते जा रहे हैं। गांवों में जमीन कम होती जा रही है जिसकी वजह से गांव के लोग शहरो की ओर पलायन कर रहे हैं। आज जब शहरों में उनको रहने के लिए ठीक जगह नही मिलती है या ठीक कमरा नहीं मिलता है तो वे वहां पर सलम्ज में रहने के लिए मजबूर होते हें। लेकिन कमाल है कि जो मजदूर कारखाने में अपना खून देकर के लेटेस्ट मशीनरी से देश का निर्माण करता है, जो मजदूर किसान का हाथ जुटा करके खेती का काम करके लोगों के पेट भरने के लिए अनाज देता है और जो मजदूर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्जं बनाकर लोगों को देता है उनकी हालत इतनी खराब और दयनीय है कि मैं उसका सबसे बड़ा दोष चौटाला साहब को देता हू जिन्होंने इतने गलत कानून पास किए हें। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि जितने भी स्लम पाकेट्स हैं उन पर एक नया पैसा न लगाया जाए। आज बिल्डिंगज बनाने वाला नालों के किनारे अनहाईजैनिक सिचुएशन में अपने बच्चों को लेकर रहता है। में तो इतना कहना चाहूंगा कि जहां हम और आप शौच भी नहीं कर सकते हैं, वहां पर वह गरीब आदमी अपने बच्चों को लेकर रह रहा है, सो रहा हैं, खा–पी रहा है और अपना जीवन गुजार रहा है। मैं इसलिए सरकार से कहूंगा कि जब आपने इतनी पालिसियों की घोषणाएं की हैं तो इनके लिए भी 2–3 काम जरूर कर दिए

जाएं। इसके साथ ही मैं सदन में एक बात बताना चाहूंगा, यहां पर चीफ सैक्रेटरी भी बैठें हैं वे चाहे तो नोट कर लें मैं किसी काम के लिए अधिकारियों को दो साल से नोट पर नोट लिखकर दे रहा था लेकिन उस बारे में किसी भी अधिकारी ने मेरी एक न सुनी, न ही उस नोट पर परवाह करके कोई कार्यवाही की गई। लेकिन अभी चार दिन पहले मैं उस काम को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिला और सारी बात को उनके नोटिस में लाया तो इन्होंने अधिकारियों से एक दिन में दो मीटिंग्ज करके उस काम के बारे में सदन में घोषणा की है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

इसके साथ ही मैं चाहता हूं कि यह जो हाउस टैक्स सैल्क–आकुपाईड लगा हुआ है उसको खत्म कर दिया जाए। दूसरे जो सीवरेज की फीस चार्ज करते हो इस बारे में बहुत बड़ा मजाक कर रखा है। एक घर में यदि दो मैम्बर्ज भी रहते हैं तब भी उसमें जो शौचालय हैं उस पर भी टैक्स लगा रखा है। इस बारे में चौंकिग के लिए वहां पर जो मुलाजिम होते हैं वे जहां–जहां चौकिंग करने जाते हैं वहां यदि वह यह देखते हैं कि वह कुछ पैसे देने को राजी हो रहा है तो दो के बजाय एक लिख देते हैं और जिसने पैसे नहीं दिए उसके चार लिख देते हैं।

श्री सभापतिः चौधरी साहब, अब आप वाईड अप करें।

श्री ए०सी० चौधरी: चेयरमैन सर, मैं कोशिश करता हूं कि मैं कम से कम समय लूं। चेयरमैन सर, शहरों की एक बड़ी भारी समस्या है। पहले म्यूनिसिपल बाईलॉज नहीं थे इसलिए म्यूनिसिपल ऐक्ट के तहत कोई भी म्यूनिसिपैलिटी 125 गज से नीचे किसी भी प्लाट का नक्शा पास करने के लिए अपनी समर्थता नहीं दिखाती थी। उसका नतीजा यह निकलता था कि लोग गैर–कानूनी तौर से नक्शा बगैर पास करवाकर अपने मकान बनाते थे क्योंकि उनको वहां रहना था। लेकिन जब उन्होंने अपने मकान बना लिए तो पीले पंजे का कहर जिसके बारे में आपने भी अखबारों मे प्रदा होगा, आता था और जगह–जगह तोड़कर चला जाता था। इससे यह होता है कि एक तरफ तो पैसा जाया होता है और दूसरी तरफ सरकार के लिए भी यह बदनामी का कारण बनता हे। चेयरमैन सर. मैं मुख्यमत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक स्ट्रोक ऑफ पैन से म्यूनिसिपैलिटी की उस 125 गज की लिमिट को नीचे लाकर 30–40 गज तक अलाऊ कर दिया। चेयरमैन सर, आज के दिन इससे छोटे प्लाट्स नहीं होगे। मेरा आपके माध्यम से सरकार से विनम्र निवेदन है कि जिन लोगो ने इससे बड़े साईज के मकान बनाये हैं उनको चाहे तो आप इललीगल कह लीजिए, चाहे तो आप अनअथोराइज्ड कह लीजिए, लेकिन अगर आप उनको एक पैकेज दे देंगे तो यह बहुत अच्छी बात होगी। इसके बाद जितना अनअथोराज्ड पार्ट है, उसको इंडीकेट करके लोग अपना नक्शा दे देंगे। इससे यह होगा कि उनके नमो पर मोहर लग जाएगी, सरकार के खजाने मे करोड़ों

रुपया भी आ जाएगा और आने वाली जैनरेशन के लिए सिरदर्दी भी नहीं रहेगी कि कोई पीला पंजा लेकर उनके मकानों को तोड़ जाएगा। चेयरमैन सर. सोशल वैलफेयर के बारे में भी आम लोगों को एक बात का बहुत कष्ट है। सर, आपने भी इस बारे में बात की थी कि बी०पी०एल० कार्डों के मामले में दोबारा सर्वे होना चाहिए लेकिन मैं इस बारे में चाहूंगा कि सरकार इस बात पर ध्यान दे कि वह सर्वे सही हो ओर हकदार को उसका हक मिले। इसी तरह से जिन लोगों को पांच लीटर मिट्टी का तेल सरकार की तरफ से सबसिडाइज्ड रेट पर मिलता था तो आप कहीं पर भी चौक करने के लिए चले जाएं आमतौर पर आपको ढाई लीटर मिट्टी के तेल से ज्यादा देते हुए नहीं मिलेंगे। चेयरमैन सर, इसी प्रकार से एल०पी०जी० का मामला भले ही सैंट्रल गवर्नमैंट से संबंधित मामला हो क्योंकि वही इस बारे में कंट्रोल करती है लेकिन हमारा सिविल सप्लाई डिपार्टमैंट भी उस पर अंकुश रख सकता है। इस वक्त ब्लैक में 500—600 रुपये में आप कितने भी मर्जी ये सिलेंडर ले लें लेकिन आम जरूरतमंद को टाईम पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं इसके कारण लोगों में बड़ा भारी आक्रोश है। चेयरमैन सर, झुगी झोपड़ी की समस्याओं के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। सर, मेरा लास्ट मुद्दा इरीगेशन से संबंधित है। इरीगेशन के अंदर फरीदाबाद में जितना भी पानी आ रहा है बह टोटली पोल्युटेड वाटर है, ईवन जो यमुना में पानी दिल्ली की तरफ से फरीदाबाद की ओर आ रहा है वह भी पोल्युटेड है। मैं हैरान हूं कि इरीगेशन मिनिस्टर ने अब तक क्यों

नहीं सैंट्रल गवर्नमैंट से यह मामला टेकअप किया है? मेरा अनुरोध है कि मुख्यमंत्री जी इस बारे मे खास तौर से ध्यान दें। सर, किसान अपनी फसल को तैयार करने मे अपना खून और पसीना लगाता है लेकिन यह पोल्युटेड वाटर उसकी सारी मेहनत को खत्म कर देता है। चेयरमैन सर, मेरे हल्के में एक फिरोजपुर कलां माईनर हे उसकी ऐक्सटैंशन के लिए काफी समय से मांग की गई है, इसी तरह से तजियापुर से कबूलपुर भागर माईनर की ऐक्सटशन की भी मांग की गई है में चाहूंगा कि सरकार इस बारे मे भी ध्यान देकर इनको जल्दी से जल्दी पूरा करे। चेयरमैन, सर, इसी प्रकार से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कई गांवों की आबादी लाल डोरे से बाहर हो चुकी है। हर वक्त कोई न कोई अड़चन उनके सिर पर आती ही रहती है क्योकि कॉरपोरेशन की आबादी फैलने के कारण कॉरपोरेशन वाले लाल डोरे से बाहर के मकानों पर तोड़फोड़ करते हैं। सर, मैं आपके द्वारा चीफ मिनिस्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि जहां जहां पर आबादी बढ़ी है वहां पर लाल डोरा ऐक्सटैंड कर दिया जाए ताकि वे लोग सुख की सांस ले सकें। वहां पर जो नहर के पार वाली लोगो की जमीनें हैं उनके कन्वर्ट के मामले में डिपार्टमैंट बड़ी लापरवाही से जवाब देता है वह कहता है कि उस नहर पर पुलिया नहीं बनेगी। मेरा अनुरोध है कि इस पर भी ध्यान दिया जाए और गोछी ड्रेन की 209750 बुर्जी पर जहां 6 करम का रास्ता है, पुलिया बनायी न एव इसी ड्रेन की 2038 बुर्जी पर जहां 5 करम का रास्ता मौजूद है, पुलिया बनायी जाए। इसी तरह से हरचन्दपुरी डिस्ट्रीब्यूटरी की

1500 बुर्जी पर जहां मै करम का रास्ता छोड़ा हुआ है, पर भी एक पुलिया बनायी जानी चाहिए ताकि वहां पर आने जाने मे सुविधा हो सके। इसके अलावा मैं आपसे एक और रिक्वैस्ट करना चाहूंगा। चूंकि अब गुड़गांव बहुत बड़ा टाउन हो गया है इसलिए गै चाहूंगा कि फरीदाबाद से गुड़गांव के लिए बसिज चलाने का प्रावधान जरूर किया जाना चाहिए। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से फरीदाबाद जो कि बहुत ही पौल्युटेड शहर है उसमें दिल्ली से जितने ट्रक, गाडियां, स्कूटर, थी व्हीलर रिजैक्ट होते जा रहे हैं, वे सब दिल्ली के पास लगते फरीदाबाद, सोनीपत व गुड़गांव जिलो में आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट शीघ्र इस बारे में ऐक्शन ले ताकि वहां के लोगों को इस मीठे जहर से बचाया जा सके और आने वाली नस्लें तबाह होने से बच सके। इन्हीं शब्दो के साथ एक बार फिर से मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि जो उन्होने दरियादिली दिखाई है और किसानों, गरीबों, हरिजनों व बैकवर्ड लोगो के लिए और शहरों के लिए भी घोषणाए की हैं। मैं अपने क्षेत्र के बहनों, भाईयों की ओर से भी दिल से मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। जो लोग पहले यह कहते थे कि सरकार सिर्फ गांवों के लिए सोचती है अब उनका यह कहने का दुस्साहस नहीं होगा, क्योंकि शहरों के लिए भी वह सब कुछ दिया है जो उनकी जरूरत थी। उम्मीद करता हूं कि दो तीन चीजों की जो कमी रह गई हैं उनको भी मुख्यमन्त्री जी शीघ्र पूरा करेंगे।

श्री सौमवीर सिंह (लौहारू): सभापति महोदय, पहली बार आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। पिछले दो साल के दौरान हरियाणा के अन्दर चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने जितनी रियायतें दी हैं वह एक मिसाल है। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, या कोई दूसरा वर्ग है। सरकार ने हर वर्ग को छूट दी है। सिरसा रैली के अंदर जो ब्याज की माफी दी है इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सख्य। कल भी और आज भी जितनी भी रियायतें दी हैं, यह भी एक मिसाल हैं। हिन्दुस्तान की किसी भी विधान सभा के अंदर किसी भी मुख्यमंत्री ने इतनी रियायते कमी नहीं दी हैं। सबसे बड़ी रियायत बिजली के बिलों की माफी की है। इससे मेरे क्षेत्र को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। अभी फाइनैंस मिनिस्टर साहब ने बताया भि बिजली के बिलों में किसानों की तरफ से 95 परसैंट की रिकवरी हो रही है। जो पांच परसैंट के बचे हुए बिल हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा कि वे बागवानी के बिल हैं। जो कि उस समय के हैं जब बिजली के कनैक्शन नहीं मिलते थे। उन लोगों ने बागवानी के नाम से कनैक्शन लिए थे। हमारे यहां लोग आमतौर से गेहूं, चना और सरसो की खेती करते हैं। चूंकि बिजली के रेट कई गुना ज्यादा हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जमीदारो को जब इतनी बड़ी राहत दी गई हे तो उनको इस बात में भी सुविधा दी जाए। पिछले बिजली के बिल माफ करके आम ट्यूबवैल के जो रेट लगते हैं अगर उस रेट के हिसाब से उनको रियायत

दी जाएगी तो मैं समझता हू कि बचे हुए 5 परसैंट बिजली के बिल भी जरूर मिलेने लोगो को उम्मीद है कि ये काम भी यही सरकार कर सकती है और कोई सरकार नहीं कर सकती। मैं आपके माध्यम से उम्मीद करता हूं कि बागवानी के बिलों में रियायत देने का काम जरूर किया जाएगा। पिछला साल महिला दिवस के रूप में मनाया गया। सरकार ने अनेक सुविधायें महिलाओं को दीं और अपनी लडकियो को पढाई के लिए भी विशेष सुविधाये दी गई है लोहारु के अन्दर जो भिवानी से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है वहां जो लड़कियों के लिए स्कूल है उसके अंदर संख्या भी बहुत ज्यादा है। करीब 500 लड़कियां वहां पड़ती हैं जिनकी अलग से विंग वहां एक धर्मशाला में चल रही है। उस धर्मशाला के मालिक ने इस पुण्य कार्य के लिए अपनी बिल्डिंग बिना किराए के दी हुई है। उस धर्मशाला की रिपेयर के लिए कई बार प्रार्थना की गई लेकिन उसकी रिपेयर भी शिक्षा विभाग ने नहीं कराई। अब इस तरह की बाते भी आई हैं कि वे अपनी बिल्डिंग छुड़ाएगे। अगर वे बिल्डिंग छुडाएंगे तो लड़कियों की पढ़ाई के लिए बहुत समस्या आएगी। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि लड़कियो के लिए अलग से विंग वहां बनाई जाए और उसके लिए बिल्डिंग बनाई जाए ताकि लड़कियों को पढाई की सुविधा मिल सके। जो कॉलेज हैं उनमें इतनी जगह नहीं है और स्टाफ की भी बहुत कमी हे। मैं ऐजूकेशन मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करना चाहूंगा कि अगला सैशन जब स्टार्ट होगा तब तक भी अगर 50 परसैंट स्टाफ भी पूरा हो जाए तब भी हम संतुष्ट हो जाएंगे क्योंकि आज

जितना भी स्टाफ वहां पर है वही स्टाफ गर्ल्ज विंग के लिए है और इन दोनों की आपस की दूरी चार किलोमीटर की है। वही स्टाफ पहले ब्दायज विंग को पढ़ाता है और फिर गर्ल्ज विंग को पढ़ाता है। इस प्रकार इस स्टाफ को चार किलोमीटर जाना पड़ता है और फिर चार किलोमीटर आना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार महिलाओं की शिक्षा पर सरकार जोर दे रही है, हमारे कालेज की समस्या को हल करने के लिए वे इस काम में हमारी मदद करेंगे। चेयरमैन साहब, अब मैं बसों के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। जैसा कि छत्रपाल जी ने कहा कि प्राईवेट बसों की बहुत ज्यादा प्राब्लम है। प्राईवेट बसों को सरकार ने रूट दे रखे हैं लेकिन वे उन रूटस पर नहीं जाती। जब हम जी०एम० से मिलते है तो वे कहते हैं कि प्राईवेट बसों को रूट दे रखे हैं और उन रूटस पर प्राईवेट बसिज ही चलेंगी। दादरी से लाह। लोहारु वाया बारूवास, था कलां और मेरी कान्सटीच्यूसी में जिन गांवों में प्राईवेट बसें चलती हैं उन गांवों की काफा – हे मगर वहां बसें नहीं चलती हैं इसी तरह से इस्सरवाल से था के लिए कोई बस नहीं चलती उस रोड पर भी काफी गांव हैं इसके कारण खास तौर पर स्टूडैंण्ट्स को बहुत समस्या होती है क्योंकि बाकी लोग तो भेजे। वगैह में चले जाते हैं लेकिन पढ़ने वाले बच्चों को काफी दिक्कत होती है। इसी प्रकार जो राजस्थान की तरफ जाने वाले गांव हैं पहले उनमें डिगावा से बाजू होकर लोहारू के लिए बस जाती थी और इसी तरह पहले रोडवेज की बस भिवानी से ओबरा, चहड़, बिठलौड

जाती थी लेकिन अब नहीं जाती जबकि पहले दादरी से लोहारू वाया बारूवास, था तक जाती थी।

श्री सभापतिः सोमवीर जी, इसके बारे में आप लिखकर दे देना।

श्री सोमवीर सिंहः चेयरमैन सर, लिखकर भी दे दूंगा। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस समस्या का समाधान किया जाए। एक मैं वेटरनरी अस्पताल की समस्या के बारे में बताना चाहूंगा कि बारूवास, बिगनाउ, कालोद गांव हें वहां के अस्पतालों की बिल्डिंगज तो बनी हुई हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं हैं। पिछली सरकार के समय मे इन अस्पतालों में किसी दूसरी जगह के डॉक्टर यहां पर पोस्टिड कर रखे थे लेकिन इस सरकार के आने के बाद वे अपनी पोस्टिंग की जगह वापिस चले गये हैं और हमारे वैटरनरी अस्पतालों में अब कोई डाक्टर नहीं है। इनमें बारूवास, बिगनाउ और इसी तरह दूसरे गांव भी हैं जहां अब कम्पाउंडर तक भी नहीं है 1 इन गांवों की पंचायतो ने रेजोलूशन बनाकर भी भेजा हुआ है। इसलिए इन अस्पतालों में डॉक्टरों की पोस्टिंग की जाए।

श्री सभापतिः सोमवीर जी, वाइंड अप कीजिए।

श्री सोमवीर सिंहः चेयरमैन सर, अब मैं क्रेडिट कार्ड के बारे में बताना चाहूंगा जो फारमर्स को इश्यू कर रखे हैं। फारमर्स के जो क्रेडिट कार्ड ग्रामीण बैंको और पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा

बना रखे हैं उनको बहुत समस्याओ का सामना करना पड़ता है। जब जमींदार बहल में जाते हैं तो वहां बैंक वाले कहते हैं कि 15 दिन बाद आना या 20 दिन बाद आना। इसके लिए सरकार को कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए ताकि किसानों को कोई दिक्कत न आए। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान (पाई): चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से फौरैस्ट मिनिस्टर महोदया के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं। मेरे हल्के के राजौंद ब्लॉक में एक हरियाली नाम स्कीम के तहत कुछ पेड़ लगाये गये थे जिनके आकड़े बहुत ज्यादा दिखाए गये थे लेकिन असल में वहां पर एक भी पेड़ नहीं लगाया गया। सिर्फ उस वक्त के लोगों के साथ तालमेल बनाकर बोगस आकड़े दिखाये गये थे। अगर मंत्री महोदया इस बारे में कोई इन्क्वायरी करवायें तो इस बारे में सच पता लग सकता है क्योंकि हमारी सड़क के साथ साथ एक–एक या दो–दो पेड़ खड़े हैं। जांच करने पर आपके सामने इस बात का सही नक्शा उनका आ जायेगा। सभापति महोदय, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का प्रदेश के विकास मे बड़ा अहम रोल रहा है। हरियाणा पहली स्टेट थी जब कांग्रेस के राज में चौधरी बंसी लाल जी ने सभी गांवों को एक–एक सड़क से जोड़ा था। इसके बाद समय के साथ–साथ एक–एक बड़ा गांव कई–कई सड़कों के साथ जोड़ा गया और आज मण्डियों में जीनस पहुंचाने के लिए यातायात की बहुत

सुविधाएं हैं। मेरा सुझाव यह है कि अब हरियाणा ऐसी स्थिति में आया है कि बजाय सड़कों का चारों तरफ निर्माण होने के कसोलिडेशन पार्क बनाये जायें। जिन मार्केट कमेटीज में बहुत ज्यादा फीस आती है उन मार्केट कमेटीज के इलाके में जाहिर है कि ज्यादा अनाज और गन्ना पैदा होता होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि हमारे इलाके में जो गन्ने की को–आप्ररेटिव मिल हे उसकी अगर आप सारी सड़कें तथा इस्तेमाल में जो कंसोलीडेशन पार्क हैं उनको अगर उसी मार्केट कमेटीज के फंड से बनवा दिया जाये तो बहुत ज्यादा किसानों को सुविधा भी होगी और गन्ने तथा दूसरी कैश क्रोप्स के उत्पादन में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। इसके अतिरिक्त फसलों का डाईवर्सीफिकेशन भी होगा और किसानों को फायदा भी मिलेगा। सभापति महोदय, अब मैं पब्लिक हैल्थ के बारे में जिक्र करना चाहूंगा कि सरकार ने जो बहुत बड़ी योजना गरीब बस्तियों में पानी पहुंचाने की बनाई है वह वाकई में एक क्रांतिकारी और इवोल्यूशनरी स्कीम है। इस स्कीम के तहत 8 लाख परिवारो को पीने के पानी की सुविधा दी जायेगी। लेकिन इस बारे में मेरा यह कहना है कि जो आकड़े चण्डीगढ़ में हें और जो आकड़े जिला हैड क्वार्टज पर अवेलेबल हैं for different schemes in the villages वे आपस में मेल नहीं खाते हैं। कमेटीज के अंदर तो बता देते हैं कि जनाब फलां गांव के अंदर सारे कनैक्शन हो गये परन्तु वे रीयलिटी मे होते नहीं हैं। कोई ऐसा मैकेनिज्म सरकार को जरूर तैयार करना चाहिए जिससे ग्राउंड रीयलिटी सामने आ सकें। सोनिया गांधी जी ने भी सिरसा में एक

बात की थी कि allocations are fine and you are giving lot of money but what is the ground reality that also has to be checked. ग्राउंड रीयलिटी और कागजों में बहुत ज्यादा फर्क है। खासतौर पर गरीब लोगों को जो पानी कीं टंकी और कनैक्शन दिए जायेंगे उसमें सही मोनिटरिंग नहीं होगी तो मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए सरकार जो कुछ करना चाहती है उसका फायदा उनको नहीं मिलेगा तथा सरकार अपनी योजनाओं में कामयाब नहीं हो पायेगी। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि यमुना एक्शन प्लान पांच साल पहले बना था। हम पी०ए०सी० के माध्यम से करनाल, पानीपत ओर सोनीपत आदि जगहों पर उसे देखने के लिए गये थे। मुझे इंजीनियर होने के नाते इतना शॉक लगा कि उसमें यह बताया गया कि वह अपनी केपेसिटी से बहुत कम चल रहा है। उसकी कैपेसिटी पांच साल में ही आधी रह गई है। सभापति महोदय, जो भी उसके प्लानर्स उस वक्त थे उन्होने 400– 500 करोड़ रुपये हरियाणा का डाऊन दी ग्रेड किया। से कुछ पैसा लगा और कुछ नाजायज इस्तेमाल हुआ उसके लिए उनकी जवाबदेही होनी चाहिए थी मगर ऐसा नहीं हुआ इसलिए इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सभापति महोदय, को–आपरेटिव में अभी रि–स्ट्रैक्चरिंग की गई है। मैं तो पहले भी इसका पक्षधर नहीं था। मेरा तीस साल का कोआप्ररेटिव का अनुभव है कि हमने गांव–गांव में एक चिन्ह बनाया जिसमें किसान, मजदूर, बेरोजगार, हरिजन जिनको यह मालूम था कि यहां से उन्हें कर्जा मिलेगा ओर आर्थिक मदद होगी जिससे वे अपना

उद्धार कर पायेंगे। उनको सरकार ने श्रिंक कर दिया, कम कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह किस तरह की रि–ऑग्रेनाइजेशन को–आपरेटिव विभाग की हो रही है। न तो कोई कर्मचारी कम हुआ और न ही कोई दूसरा काम सही हुआ है। जो बिल्डिंगें हैं अगर उनका यूज नहीं होगा तो वे भी गिर जायेंगी। इसको लेकर अभी टोटल कंफ्यूजन है। कहीं पर मैनेजर नही है, कहीं पर कर्मचारी नहीं हैं तथा कहीं कुछ और बात नहीं है। मैं तो यही अर्ज करूंगा कि इस जन हित के कार्य के बारे में सरकार बड़े ध्यान से विचार करे और इसकी रि–ऑर्गेनाइजेशन करे। मैं अभी भी इस बात का कायल हूं कि marketing and financing, these two things connot go together. मार्केटिंग तो केवल मण्डियों में ही होगी, गांवों में हम किसी चीज की मार्केटिंग नहीं कर सकते। ये तथ्य जहां से भी सरकार को मिले हैं मैं समझता हूं कि ये अल्टीमेटली कामयाब होने वाले नहीं हैं। रिस्ट्रैक्चरिंग करने से लोगों को नुक्सान ही होगा फायदा नहीं मिलेगा। हमारे साथी कर्ण सिंह दलाल जी ने बिलकुल सही कहा जो लैंड डिवैल्पमैंट बैंक हैं ये रिश्वत के अड्डे हैं इनको सतर्क किया जाये इनको सम्भाला जाये। वित्त मंत्री जी भी बैठे हैं मैं बताना चाहूंगा कि सोशल वैलफेयर में ओल्ड ऐज पैंशन जो है it is matter of right for every old person who has attained the age of 60 years to get old age pension. बड़ा ताक होता है जब न्यूमरेशन होती है और इसके लिए जब कमेटी गाँवों में जाती है तो कभी तो वह कह देते हैं कि पैंशन 7 परसेंट बढ़वा देंगे कभी

कह देते हैं कि 8 परसेट दे देंगे। इस तरह से वह बहुत गलत तंग करते हैं और नाजायज बात करते हैं 1 हर व्यक्ति जो 60 साल की उस का है उसके लिए आप ऐफिडेविट की स्कीम बना दीजिए क्योंकि फोरच्यूनेटली 85–87 परसेंट व्यक्ति पैंशन के लिए कवर हो चुके हैं। अब तो सिर्फ 12– 13 परसेट व्यक्तियों को ही पैंशन के लिए कवर करना है। उनमें भी कुछ गलत भी होंगे और कुछ सही ही होंगे। आप दोबारा सर्वे करवा लीजिए ओर सर्वे भी क्या आप लोग आवेदन मांग लीजिए सोशल वैलफेयर के ऑफिस में कि जो 60 साल की उस का है और पैन्शन नहीं ले रहा है अपने आवेदन दे दे उसके बाद उनकी जांच कर लें सारा झगड़ा ही खत्म हो जायेगा। जब इतनी उदारता से सरकार हर वर्ग को दे रही है तो मैं समझता हूं कि इसमें बचा ही कौन है, या तो गरीब हरिजन, दलित बैकवर्ड क्लासिज हैं या वो विधवा हैं जो चौपाल तक नहीं पहुंच पाती। चेयरमैन सर, आगनवाड़ी और सोशल वैलफेयर के लिए तथा दूसरा जो ये बच्चियों की शादियों के लिए पैसा दिया जाता हे इसके फण्ड्स का 8–8 महीने तक फण्ड का आकलन नहीं हो पाता इससे गरीब आदमी बहुत परेशान होता है क्योंकि कोई यह सोच कर शादी पक्की करता है कि 15 हजार तो सरकार से मिल जायेगा मगर वह राशि समय पर मिलती नहीं है जिससे गरीब आदमी बहुत परेशान होता है। इसमें मेरा यह सुझाव हे कि एक तो इसकी रिसट्रक्चरिंग की जाए दूसरा एक उच्च अधिकारी जो जिले के अन्दर पोस्टिड हो और वह एक अच्छे ग्रेड का अधिकारी भी हो और सरकारी महकमे से संबंधित हो उसे

इसका मुखिया बनाया जाये क्योंकि इसमें आपको डेढ़ दो सौ करोड़ रुपये की योजना आने जा रही है। जो भी छोटे–छोटे अधिकारी हैं वो गरीब आदमियों का बहुत शोषण करते हैं। एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से तीसरी तरफ चक्कर लगवाते रहते हैं फिर हम लोगों के पास आते हैं। जो रूरल डिवैल्पमैंट है उसके बारे मे कहना चाहूंगा कि हमारे जो गांव 10 हजार से ज्यादा की आबादी वाले हैं मेरा अपना सुझाव है कि उन सबको आदर्श गांव बनाया जाये और उनको नमो के आधार पर बनाया जाये और विलेजिज की जो आगे की एक्सपैंशन है उनकी बाकायदा मोनिटरिंग हो वरना उसके अन्दर स्लम के बढ़ने का पूरा अंदेशा है। ठीक है सरकार के हम बहुत धन्यवादी हैं कि इन्होंने हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज की चौपाल की मरम्मत करने की जिम्मेवारी स्वय ही ली हे और उसके लिए राशि भी दी है लेकिन आज समाज में कोई कम्यूनिटी वर्क करने को तैयार नहीं है। हर गांव में बहुत बडी–बड़ी बहुत पुरानी और कीमती चौपालें जो जनरल कैटेगरी को हैं वो पड़ी हुई हैं उनको भी लेकर वनटाईम उनकी मुरम्मत करवाने का प्रावधान करें ऐसा मेरा सुझाव है। ये आगनवाड़ी जो हैं इनमें भी बहुत गड़बड़ है, ये भी करप्शन का एक अड्डा है इसको सोसल वैलफेयर मंत्री जी से मेरी दरखास्त है कि बाकायदा इसकी मोनिटरिंग सही होनी चाहिए और जगह–जगह पर इसकी चौकिंग होनी चाहिए। हमारे सिंचाई मंत्री बैठे हैं इन्होंने सरकारी नहरों के नालों को पक्का करने का विश्वास तो जनता को दिया है मैं समझता हूं कि उसी तर्ज पर

जो इंडिविज्यूवल ट्यूबवैल के चौनल्स हैं उनको सिंचाई के उपयोग में लाया जाये क्योंकि बिजली की कमी है इसलिए इनके उपयोग से बिजली भी बचेगी और पानी की भी हारवैस्टिंग होगी। जो भी 2–2 या 3–3 एकड़ के छोटे किसान हैं उनको भी कोई सहायता सब्सिडी वगैरह, कोई प्रोत्साहन दिया जाये कि वो अपने नाले पक्के बना सकें ताकि पानी और बिजली दोनों की बचत हो सके। एनीमल हसबैंडरी में चेयरमैन सर, मुर्रा ब्रीड कैथल जिले के अन्दर काफी ज्यादा है और बहुत से आधे किसान कैटल ब्रीडिंग के ऊपर आधारित हैं। मेरा सुझाव है कि कैथल में भी जैसे 5 जिलों में पीली क्लिनिक बनाये गये हैं और उनको कैटल इंश्योरेंस स्कीम दी गई है तो उसी आधार पर कैथल जिले में जहां बड़ी मात्रा में किसान पशुपालन पर अपना जीवन बिताते हैं और इस जिले में जो बड़े–बड़े गाँव हैं जिनकी आबादी 10 हजार से ज्यादा है वहां पर ऐनिमल हस्बैडरी का होस्पीटल होना बहुत जरूरी है। सभापति महोदय, सरकार गरीब आदमी के लिए पीले और गुलाबी कार्ड जो बनाने जा रही है उस बारे में भी एक बात अवश्य कहना चाहूंगा।

श्री सभापतिः मान साहब, ये आर्डरज तो हो चुके हैं सिर्फ तीन महीने की बात है।

श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मानः सभापति महोदय, वह तो हो ही जाएगा। मेरा सुझाव यह है कि गांवों में पीले और गुलाबी कार्ड जारी होने के बावजूद भी बहुत से गरीब ऐसे रह जाएंगे

जिनको इन कार्डज की जरूरत है। मेरा सुझाव है कि जरूरतमन्द लोगों की एक और ऐसी लेयर बनाई जाए जिनको कम से कम राशन सबसिडाईज्ड रेट्स पर मिल सके।

वन राज्य मन्त्री (श्रीमती किरण चौधरी): सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने राजौन्द और कैथल हल्के में प्लांटेशन के ऊपर बात उठाई थी तो मैं उनको यह बताना चाहती हूं कि वहां पर हम फोरेस्ट विजिलैस कमेटीज कांस्टीव्यूट कर रहे हैं। मैम्बर्ज साहेबान अपने नाम भिजवा दें ताकि वे कमेटीज भी उस पर ध्यान दें और हम उस पर कार्यवाही कर सकें।

डा० शिव शंकर भारद्वाज (भिवानी): चेयरमैन सर, यह बात बिलकुल ठीक है कि हरियाणा में लाखों लोग करोड़पति हो रहे हैं लेकिन मैं उन लाखों लोगों की तरफ भी इस सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा जिन्होने दाल और प्याज खाना छोड दिया है क्योंकि वे लोग इन्हें एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में आर्थिक प्रगति दूसरे देशो के लिए एक मिसाल बन रही है। गोल्डमैन हॉक्स एक विश्वव्यापी संस्थान हे जिसने यह भविष्यवाणी की है कि सन् 2050 तक हिन्दुस्तान चीन के बाद विश्व की दूसरी बड़ी आर्थिक शक्ति होगा। (विघ्न) हम मे से बहुत से लोग उस वक्त नहीं होंगे और जो होंगे वे शायद भाग्यशाली होंगे। चेयरमैन सर, यह सुनना, समझना,जानना, सोचना बहुत अच्छा लगता है। मैं इमेजिन करता हूं कि जिस तरह से आज हमारे बच्चों में प्रतिस्पर्द्धा है कि मैं अमरीका जाऊं, मैं इग्लैंड

जाऊं उस वक्त यह प्रतिस्पर्द्धा नहीं होगी क्योंकि वह सारा का सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर उन्हें यहीं पर उपलब्ध होगा। चेयरमैन सर, तब तक के लिए भी इन लोगो के बारे में हमें सोचना चाहिए। यह बातें मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूं और न ही ये कोई भविष्यवाणियां हैं, ज्योतिष के आधार पर भी ये बात नहीं हैं। बड़ा गहन अध्ययन करके, ऐनालिसिज करके तब यह विश्लेषण इस संस्था ने निकाला है। बहुत कुछ आर्थिक प्रयास किये गये हैं जिनका जिक्र मैं बजट मे करना चाहता था लेकिन समय की कमी होने की वजह से जिक्र नहीं कर पाया था। शायद अब भी समय की कमी रहेगी इसलिए मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं करूंगा और आप का ध्यान थोडी–थोड़ी बातों की तरफ दिलाऊगा, मैं कुछ प्यायंटस को टच करूंगा। हम पहले यह देखते थे कि कोई भी योजना तैयार होती थी तो धन की कमी की बात आगे आ जाती थी लेकिन कम से कम आज तो यह बात सुनने को नहीं मिलती है जब मैं अपने चुनाव क्षेत्र में जाता हूं तो आज यह बात सुनने में मिलती है कि स्टाफ की कमी है। हमारे पास जे०ई० नहीं है, एस०डी०ओ० नहीं है, कमेटी मे ई०ओ० नहीं है, सैक्रेटरी नहीं है, इस वजह से हमारा काम डिले हो रहा है। चेयरमैन सर, मैं समझता हूं कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि जब काम डिले होता है तो समय सीमा में उसका फायदा जनता को नही मिलता है। डिले के कारण जनता को उसका जो फायदा मिलना चाहिए वह मिल नहीं पाता है। लोगो को कर्ज के भूगतान में दो प्रतिशत की छूट दी गई है यह बहुत अच्छा कदम है लेकिन मैंने लोगों के बीच में जा कर

देखा है। जो लोग रैगुलर भुगतान करते रहे हैं उनको कोई विशेष फायदा नहीं हुआ है, ऐसा वे लोग समझते और कहते हैं। चेयरमैन सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि उन लोगों को भी सरकार को कुछ न कुछ अधिक राहत देनी चाहिए ताकि वे ठगे–ठगे महसूस न करें। उनकी यह सोच है कि अगर हम रैगुलर भुगतान नहीं करते तो शायद ज्यादा ठीक होता।

श्री सभापतिः डॉ० साहब, यह दो प्रतिशत का लाभ उन्हीं लोगों को दिया गया है जो रैगुलर भुगतान करते हैं।

13.00 बजे

डॉ० शिब शंकर भारद्वाजः चेयरमैन सर, यह ठीक है कि यह उनको ही दिया गया है लेकिन यह काफी कम है इसको और बढाया जाना चाहिए ताकि उनको भी लगे कि कर्जे का समय पर भुगतान करके उन्होने एक अच्छा काम किया है। अगर उनको थोड़ा सा और प्रोत्साहन मिले तो मैं समझता हूं कि अच्छा है और इससे उनकी सन्तुष्टि हो पाएगी। चेयरमैन सर, सैनिकों के लिए हमारी सरकार ने काफी कुछ दिया है और करनाल मे एक डिफैंस कॉलोनी बना रहे हैं। मेरा इलाका जो भिवानी का क्षेत्र है जिसमें सारे के सारे विधान सभा क्षेत्र आते हैं शायद हरियाणा में ऐसा स्थान है, ऐसा जिला है जहां सबसे अधिक संख्या में प्रैजैंट सैनिक और भूतपूर्व सैनिक हैं लेकिन भिवानी में कोई डिफैन्स कॉलोनी नहीं है। मेरी आपके माध्यम से यह प्रार्थना है कि भिवानी मे भी

डिफैंस कॉलोनी बनाने का प्रयास किया जाए। चेयरमैन सर, यह नितांत आवश्यक है और वहां की बहुत पुरानी मांग है। चेयरमेन सर, पेयजल और सीवरेज की समस्या है इस बारे में मैं समझता हूं कि यह समस्या शहरों में बहुत अधिक है। चेयरमैन सर, भिवानी मे जो बाहरी कॅलोनिज हैं वहां पर सीवरेज की बहुत ज्यादा समस्या है। हमारी बहुत सी कालोनिज हैं जैसे शांतिनगर, लक्ष्मी नगर, बैंक कालोनी, प्रेम नगर, वर्मा कॉलोनी, दुर्गा कॉलोनी, बृजवासी कॉलोनी है, वहां पर सीवरेज की और पेय जल की सुविधा नहीं है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि प्राथमिकता के आधार पर इस समस्या को कम किया जाए। इस सरकार के दौरान ही गांवों में नए वॉटर वर्क्स बनाए गए हैं, कुछ बूस्टिंग स्टेशन भी नए बनाए गए हैं। मेरे हल्के में बडाला, अजीतपुर और नांगल तीन गांव ऐसे हैं जहां पर वॉटर वर्कस सैंक्शन हो चुके हैं लेकिन वहां पर काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। इसी प्रकार से गौरीपुर गांव भी मेरे हल्के में पड़ता है वहां पर भी वॉटर की बहुत भारी समस्या है जिसके लिए वहां पर एक वॉटर वर्क्स सैक्शन होना चाहिए। इसके साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि बूस्टिंग स्टेशन बनाने से समस्या का हल नहीं होता है। मेरा यह सुझाव है कि करीब करीब दो गांवों में इन्डीपैंडेंट वॉटर वर्क्स हों तभी जाकर मैं समझता हूं कि यह समस्या हल हो सकती है। चेयरमैन सर, मैं कल भी एक विषय पर बोलना चाहता था लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाया और यहां पर चर्चा हो रही थी कि साफ पानी सप्लाई नहीं हो रहा है, पानी के टैंकों में चिड़िया गिर जाती

हैं और कुछ इन–आरगैनिक मैटर गिर जाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे भी सीरियस मैटर है कि पीने के पानी में सीवरेज का पानी मिल जाना। चेयरमैन सर, मेरे हल्के में कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता है जब कोई आदमी पानी की बोतल भरकर नहीं लाता है कि यह देखो ऐसा पानी आ रहा है। हम इस बारे में कोशिश भी करते हैं लेकिन इस समस्या का हल नहीं हो रहा है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस प्रोब्लम की वजह से बहुत बीमारियां जैसे जोडिस, वॉटर प्रॉन डिजिज और दूसरी बीमारियां हो जाती हैं। चेयरमैन सर, मेरा कहना है कि जैसे रैपिड ऐक्शन फोर्स होती है उसी तरह से इस समस्या को दूर करने के लिए एक ऐक्शन फोर्स होनी चाहिए। जहां कहीं पर भी कोई मिक्सिंग हो वहां पर तुरन्त वह फोर्स ऐक्शन ले और डिटैक्ट करे कि कहां पर प्रोब्लम है और उस प्रौब्लम को समय सीमा के अन्दर दूर करें।

चेयरमैन सर, जहां तक कृषि का सवाल है तो इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि किसानों की फसलों के लिए यह जो बीमा योजना है यह बहुत हौ अच्छी योजना है। किसानों ने पिछले वर्ष बीमा राशि 1 करोड़ 90 लाख रुपए जमा करवायी थी और उसके बदले किसानों को 15 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है। मेरा सरकार से कहना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा किसानों को प्रेरित करना चाहिए कि फसलो की बीमा योजना का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं।

चेयरमैन सर, इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो कैमिकल फर्टिलाईजर ज्यादा इस्तेमाल करते है इससे मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है। इस बारे में मेरा कहना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा ह्यूमस का इस्तेमाल करना चाहिए।

इसी तरह से शिक्षा का बजट 290 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 540 करोड़ रुपये किया है। मेरे ख्याल से अभी भी यह कम है। मैं समझता हूं कि हमारे आर्थिक विकास में जो बाधा है वह यह है कि हम पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों को कौशलयुक्त शक्ति में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। यह बाधा तभी दूर हो सकती है जब हम अपने नौजवानों को प्रोपरली ट्रेण्ड करेगे। चेयरमैन सर, मैंने आज ही चण्डीगढ़ के अखबार में पढा है कि चण्डीगढ़ में कुछ प्लम्बर ट्रेन्ड किए गए हैं और उनको, प्लम्बर किट्स भी दी गई हैं। चेयरमैन सर, हमारी सरकार भी इस प्रकार से युवा शक्ति को प्रोपर दिशा में प्रयोग करके बेरोजगारी को दूर करने में और अच्छा कदम उठा सकेगी। शिक्षा व्यवस्था को जो कारण हमें लगातार कमजोर कर रहा है उसमें मुख्य कारण है गुणवता की कमी, वर्क कल्चर का कम होना, स्वायता का दुरुपयोग, संसाधनों की कमी। ट्यूशन की प्रवृति, कोचिंग संस्थाओं का प्रसार और अध्यापकों की अनुपस्थिति। मैं समझता हूं कि इन सब पर हमें ध्यान देना होगा तभी हमारी शिक्षा का स्तर सुधरेगा।

चेयरमैन सर, हमारे हरियाणा में डिलीवरी हट्स 3399 बनाई गई हैं जबकि हमारे यहां गांव 6764 हैं। गांवों के हिसाब से

ये डिलीवरी हट्स बहुत कम हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इनको बदाने का काम किया जाना चाहिए। वीकर सैक्शन और अनुसूचित जाति के बच्चों को छात्रवृति के लिए टेट रुपए पर मन्थ दिए जाते थे उनको बढ़ाकर 75 रुपए कर दिया है। इस बारे में मेरा सुझाव है कि इसको 100 रुपए किया जाए ताकि जो बच्चे स्कूलो में पढ़ते हैं वे भी हरी पत्ती देख लेंगे।

चेयरमैन सर, यह जो रेहड़ी वालों पर टैक्स माफ किया गया है यह बहुत ही अच्छा काम है। इसके साथ ही मेरा सरकार से निवेदन है कि नौकरियों में हरिजन लोगों का जो बैकलॉग है उसको भी खत्म किया जाना चाहिए। सरकार की जितनी भी नियुक्तियां हैं वे सही तरह से होनी चाहिएं। इस बारे में सरकार की अच्छी सोच ही नहीं, प्रयास भी होने चाहिएं और यह काम कार्यपालिका का है, अगर कार्यपालिका अम्ल मे कोताही बरतती है, तो सरकार की जितनी मी घोषणाएं हैं वे सब हवा में रह जाएंगी। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार को सुझाव है कि वह निजी कम्पनियों की तरह अफसरशाही को निश्चित लक्ष्य और अवधि दे जो अफसर ठीक समय पर पूरा काम करें उनको प्रोत्साहन दें और जो अफसर ठीक काम न करें उनके खिलाफ ऐक्शन भी होना चाहिए। चेयरमैन सर, यह बजट समृद्धि और सुख देने वाला तभी हो सकता है जब आम आदमी को रोटी और मकान जैसी जो मूलभूत बात हैं वह मिलें। कपड़ा तो आजकल सभी को मिल गया है लेकिन वे दोनो चीजें तभी आम आदमी को मिल सकती हैं जब

सभी लोगों को रोजगार मिले। इसलिए मेरा अनुरोध है कि हमको लोगों को रोजगार देने का प्रयत्न करना चाहिए। चेयरमैन सर, बोलने के लिए समय देने के लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री निर्मल सिंह (नग्गल): चेयरमैन सर, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी बात कहने का समय दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं लाना चाहूंगा। हैल्थ मिनिस्टर साहिबा ने हमे आश्वासन दिया था कि बोड गांव मे हमारी जो पी०एच०सी० की मांग है, उसको पूरा किया जाएगा। मैं उनको बताना चाहूगा कि वहां पर दिलीपगढ़, बव्याल और बाँह जैसे बहुत बड़े बड़े गांव हैं जिनकी आबादी बहुत ज्यादा है लेकिन वहां के लोगो को अपने इलाज के लिए मिलिट्री एरिया होने की वजह से अम्बाला कैंट आने में बहुत दिक्कत होती है इसलिए मेरा अनुरोध है कि वहां पर हमारी पी०एच०सी० बनाने की डिमांड है, उसको जरूर पूरा किया जाए। इसी प्रकार से बिजली की क्षमता बढ़ाने के लिए धनौड़ा, जैतपुर और डिराब जैसे गांव में सब–स्टेशंज बनाने का प्रावधान था। इसलिए मैं आपके माध्यम से रिक्वैस्ट करूंगा कि इनकी कम्पलीशन के लिए भी ध्यान दिया जाए। चेयरमैन सर, मोहड़ा, अम्बाला में एक पीली क्लीनिक पशु पालन विभाग द्वारा बनाना भी विचारधीन था। मैं आपके माध्यम से इस बारे में सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इसको भी पूरा किया जाए। इसके अलावा सबसे अति आवश्यक बात एक और है और वह यह है कि मंसूरपूर लिफ्ट इरीगेशन की 27 क्यूसिक

क्षमता की स्कीम पहले मंजूर हुई थी, इस पर अर्थ वर्क भी हो चुका था लेकिन आज 6 साल के बाद भी राजनैतिक कारणो की वजह से वह अभी तक बीच में ही पैंडिंग पड़ी हुई हैं। अब डिपार्टमैंट के लोगों ने मुझे बताया है कि इसको ड्राप करके सीजनल नहर बनाकर दादूपुर नलबी से जोड़ने की बात विचारधीन है। जोकि ठीक नहीं है।

राजस्व मन्त्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): चेयरमैन सर, जो निर्मल सिंह जी मंसूरपुर लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के बारे में कह रहे हैं मैं इनको बताना चाहूंगा कि इसको मैं ऐग्जामिन करवा रहा हूं क्योंकि इस पर दो करोड़ रुपये लग चुके हैं। हम इस बारे मे बाकायदा मीटिंग बुलाकर विचार करेंगे ताकि उस इलाके के साथ भेदभाव न हो। हम इस मामले मैं कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री निर्मल सिंहः धन्यवाद, यह कार्यवाही तो होनी ही चाहिए क्योंकि हमारे क्षेत्र में नहरी पानी की बड़ी भारी कमी है। इसके अलावा मेरे क्षेत्र में फ्लड की वजह से निनौला माईनर भी टूट गया था जोकि अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है, इसको भी पूरा करवाया जाए। इसी प्रकार से जो नग्गल लिफ्ट इरीगेशन स्कीम है उसकी कैपेसिटी कम होने की वजह से वह मंजूर पानी को उठा नहीं पा रही है इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस बारे में भी ध्यान दिया जाए। हालांकि इसकी क्षमता को बढ़ाने का आश्वासन मंत्री जी की तरफ से आया है। चेयरमैन सर, जैसे बाकी साथियों ने बताया है कि कर्जा माफी का लाभ उन लोगों को भी हुआ है

जिनका लेनदेन अच्छा है। कमर्शियल बैंको में बहुत कम ऐसे केसिज होंगे जहां पर वे किसी किसान की जमीन नीलामी करके वसूली करते हो ऐसा हमने तो कभी यह नहीं देखा है। चेयरमैन सर, दस से पन्द्रह परसैंट ही केसिज ऐसे हैं जिनमें लोग पैसा लेकर वापस देते नहीं हैं। उनका तो वैसे ही कर्जा माफ है और अब तो हमारी सरकार ने भी यह कह दिया है कि कोओपरेटिव और लैंड मोर्टगेज के अधिकारी किसी भी किसान को कर्ज वसूलने के लिए उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। जिन लोगों के मन में यह रहता है कि हमें लोन देना ही नहीं है उनको तो फायदा है। चेयरमैन सर, किसान की हालत तो वैसे ही अच्छी नहीं है इसलिए सही फायदा तो उनको मिलना चाहिए जो कर्जा लेकर देते हैं या दे रहे हैं उनको ही प्रोत्साहन देना चाहिए। चेयरमैन सर, इसलिए सरकार को ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई न कोई तरीका निकालना चाहिए और किसी न किसी तरीके से उनकी हैल्प की जानी चाहिए। जो कर्जा माफी की बात चल रही है उनका कर्जा तो माफ ही है जो लेकर दे नहीं रहे हैं।

श्री सभापतिः निर्मल सिंह जी, कर्जा लेना और देना यह तो व्यवहार की बात है। जो अपना कर्जा समय पर देते हें उनके लिए तो वैसे ही सरकार ने कम कर दिया है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः चौयरमैन सर, जो रैगुलर अपना कर्जा वापस दे रहे हैं उनके लिए सरकार ने दो परसैंट की छूट दी है।

श्री निर्मल सिंहः सभापति महोदय, अब मैं एजूकेशन के बारे मे कहना चाहूंगा। हाउस के बाकी सदस्यो ने भी यह बात उठाई है और मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारे जो टीचर्ज हैं उनमें ही कहीं न कहीं कोई कमी हे, उन पर ध्यान देना होगा और इनको पहले पढ़ाना होगा। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हू। धन्यवाद

श्री रणधीर सिंह (बरवाला): चेयरमैन सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों के बारे मे और हर वर्ग के बारे में बहुत सारी कल्याणकारी घोषणाएं की हैं, उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। चाहे बिजली के बिल माफी का कार्यक्रम हो, चाहे ब्याज घटाने का कार्यक्रम हो या किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था की बात हो, उसके लिए आज जो बजट दिया गया है उसमें वाटर कोर्सिज के लिए 454 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। इसी के साथ–साथ हरियाणा प्रदेश के गरीब और पिछड़े वर्गों से संबंध रखने वाले साथियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था का कार्यक्रम बनाया गया है। मुख्यमंत्री जी ने गुलाबी और पीले कार्ड बनाने के लिए दोबारा से सर्वे करने के आदेश दिए हैं। रेहड़ी, रिक्शा और साइकिल पर लाइसैंस फीस मात्र एक रुपया करने की घोषणा की है। शिक्षा से संबंधित जो कार्यक्रम हैं उनके लिए इस बजट में मुख्यमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने बहुत सारी राहत दी हैं। इन सबसे यह बजट बहुत सराहनीय हो

गया है। हरियाणा प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 70— 70 परसैंट लोग रहते हैं। गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था का जो कार्यक्रम है उसके लिए हमारी सरकार ने गांवों में बूस्टिंग स्टेशन की योजना बनाई है। बूस्टिंग स्टेशन के लिए पैसा सरकार द्वारा दिया गया है। मैं आपके माध्यम से इसके बारे में कहना चाहूंगा कि पिछले लगभग एक वर्ष से मेरे इलाके के 15 गांवों में बूस्टिंग स्टेशन लगाने की योजना बनाई है और टैंक भी बनाए गए हैं लेकिन उनको अभी तक शुरू नहीं किया गया है। अगर हम अपने एरिया के अधिकारियों से इस बारे में बात करते हैं तो उनका एक ही जवाब होता है कि हमारे पास 6 इंच और 8 इंच चौड़ाई के पाइप नहीं हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पाइप खरीदकर उन बूस्टिंग स्टेशंज को शीघ्र चालू करवाया जाए। बरवाला में दो बार बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण कार्य शुरु। किया गया था। टैंकों की सफाई वगैरह भी पूरी कर दी गई हे। उनमें भी पाइप न होने की वजह से बूस्टिंग स्टेशन ने सप्लाई देना शुका नहीं किया है। जल्दी ही गर्मियों का समय आने वाला है इसलिए मेरी सरकार से मांग है की सभी बूस्टिंग स्टेशन शीघ्र चालू करवाए जाएं। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश में सड़कों की मरम्मत के कार्य के लिए भारी बजट दिया है। बरवाला विधान सभा क्षेत्र में तीन पुरानी ऐसी सड़के है जिनके बनने के बाद उन पर अभी तक मरम्मत का कार्य नहीं किया गया है और उन सड़कों की स्थिति ऐसी है कि गाड़ी चलाना तो दूर की बात है पैदल चलना भी संभव नहीं है। एक सड़क तो बरवाला

से मतलौडा को होते हुए बरगोही से उचाना तक जाती है। इस सड़क से लाखो श्रद्धालु हर महीने बनभौरी मंदिर जाते हें। इस सड़क की मरम्मत की जानी चाहिए। इसके साथ ही मेरे हल्के के गांव ज्ञानचुटा, मतलौडा, बाड़ा और बनभौरी की सड़कों की मरम्मत होनी चाहिए। इसके इलावा नाडा गांव, बरवाला, कोतखुर्द, जाजवान, छोटी कोर्ट की सड़को की मरम्मत होनी चाहिए। उकलाना मण्डी की जो सड़क है उसकी हालत खराब है इसलिए जो किसान वहां पर अपना अनाज लेकर आते हैं उनको बहुत परेशानी होती है। चेयरमैन सर, पिछले दो सालों में सरकार ने सोनीपत मे महिला विश्वविद्यालय, करनाल में रीजनल सैंटर और कई सराहनीय कदम उठाये हैं और बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की है। कई जगह स्कूलों के कमरे बनाने की व्यवस्था की है और कई अच्छे–अच्छे कार्यक्रम सरकार ने बनाये हैं। मेरे हल्के के कुछ गांवों में स्कूल तो बने हुए हैं लेकिन उनमे कुछ स्कूलों को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। इनमें लीताणी गांव का लड़कियों का जो हाई स्कूल है उस को दस जमा दो के स्कूल में अपग्रेड किया जाए, छान गांव के हाई स्कूल को दस जमा दो के स्कूल में अपग्रेड किया जाए और सरेहडा गांव के मिडल स्कूल को हाईस्कूल में अपग्रेड किया जाए। ये सारे स्कूल नार्म्स को पूरा करते हें। मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से गुजारिश है कि इन सभी स्कूलों का दर्जा बढ़ाया जाए। चौयरमैन सर, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने यह कहा है कि जो कॉलेज बनाने के लिए जो नार्म्स पूरे करते हैं वहां पर कॉलेज खोल दिये जायेंगे लेकिन

उस कॉलेज के 35 किलोमीटर एरिया में दूसरा कालेज नहीं होना चाहिए। मेरे हल्के के बरवाला शहर से 35 किलोमीटर हिसार है, 35 किलोमीटर नरवाना है, 40 किलोमीटर जींद है, 40 किलोमीटर फतेहाबाद और भूना है। बरवाला में शहीद भगत सिंह एजूकेशन ट्रस्ट ने एक प्राईवेट स्कूल का भवन बनाया हुआ है अगर सरकार चाहे तो उस संस्था के भवन को सरकारी कॉलेज के लिए टेक ओवर कर सकती है क्योंकि वह संस्था सभी नार्म्स पूरे करती है। अब मैं अपने हल्के की कुछ समस्याएं इरीगेशन मंत्री महोदय कै सामने रखना चाहता हूं। मेरे हल्के में दो–तीन पुल बनाने की मांग हैं। सगलाना से मखण्ड गांव का एक पुराना रास्ता है जिसके बीच में एक पुल की आवश्यकता है। मैं मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि इस पुल को बनाया जाए।

श्री सभापतिः वाइड अप कीजिए।

श्री रणधीर सिंहः आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो किसानों को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को और व्यापारियों को जो राहत दी है ओर कल्याणकारी योजना बनाई हैं उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं।

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवान (दादरी): चेयरमैन महोदय, मैं एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलना चाहता हूं। दादरी के अन्दर जो पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट है उनसे जब भी पूछा जाता है तो वे

कहते हें कि हमारे पास वाटर पाईप की अभी तक शार्टेज चल रही है। जब इस बारे में दादरी के एक्सियन से बात की तो उनका भी जवाब यही था कि हमारे पास पाईप की कमी चल रही है जिसकी वजह से सीवरेज की लाईन का निर्माण नहीं हो पा रहा है। दादरी शहर के लिए सीवरेज की व्यवस्था के लिए कोई लोग टर्म कार्य करना चाहिए जिसकी वजह से सीवरेज प्रणाली कम से कम 20 साल तक चल सके। इसके लिए सीवरेज सिस्टम का काम इस प्रकार से करना चाहिए और इसी आधार पर उसके नमो और डिजाइन बनाने चाहिए। जो मैंने देखा वहां पर जो पाईप्स लगाई जा रही हैं जैसा उनका साईज बनाया जा रहा था मेरे हिसाब से आने वाले पांच साल बाद वह ओवर लोड हो जायेगा और काम करना बंद कर देगा, उसके बाद उसे दोबारा से बनाना पड़ेगा। इस बारे में हमारे जो विभागीय इन्जीनियर हैं उनको सोचना चाहिए। म्यूनिसीपल कमेटीज के अंदर जो बाहरी इलाके हैं उनमें कुछ क्लस्टरज बने हुए हैं। चुनाव के समय हमने उनको कहा था कि हम तुम्हारी सड़क बनवायेंगे पानी ओर बिजली की व्यवस्था करवायेंगे। अब जब हम म्यूनिसीपल कमेटीज में जाते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि बाहरी क्षेत्र पर हम पैसे नहीं लगा सकते क्योंकि वह एरिया गांव के नीचे आता है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि हमें म्यूनिसीपल ऐक्ट के अंदर संशोधन करना चाहिए ताकि उनके साथ लगते एरिया में और जो अनएथोराईज्ड कालोनियां हैं उनमें काम करवाये जा सकें। इसके अतिरिक्त म्यूनिसीपल कमेटी का दायरा भी बढ़ाया जाना चाहिए। सभापति

महोदय, अब मैं हैल्थ विभाग के बारे में बात करना चाहूंगा कि डाक्टर्ज और पैरा मैडीकल स्टाफ की बहुत कमी है। मंत्री महोदया, ने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही डॉक्टर्ज और येरा मैडीकल स्टाफ की नियुक्ति की जा रही हे। परंतु जो हास्पिटल्ज की बिल्डिंगज हे उनकी मेन्टीनैंस करना भी बहुत जरूरी है। जब तक हम इनको बराबर मेनटेन नहीं करेंगे तब तक वहां डॉक्टर या पैरा मैडीकल स्टाफ रूकने वाला नहीं है। शाम के समय किसी भी पी०एच०सी० या सी०एच०सी० मे डॉक्टर या पैरा मैडीकल स्टाफ रूकता नहीं है। यदि रात को कोई बीमार हो जाता है तो उसे प्राईवेट नर्सिंग होम में डॉक्टर के पास जाने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। सभापति महोदय, अब मैं इरीगेशन के बारे में बात करना चाहूंगा। इरीगेशन के लिए हमारी सरकार कई स्कीम लेकर आई है और रिपेयर वर्क के भी ठेके दिये गये हैं। मैं सिंचाई 'मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि ठेकेदार पहले तो लोवर रेट देकर काम का ठेका ले लेते हैं लेकिन बाद में काम नहीं कर पाते और भाग जाते हैं। उनके ऊपर कार्यवाही करने का कोई प्रावधान नही रहता जिसके कारण बहुत से काम समय पर नहीं हो पाते और कुछ बीच में रह भी जाते हैं जिसके कारण किसानों की हालत वहीं की वही रह जाती है। इसलिए इस तरफ भी ध्यान दिया जाये। सभापति महोदय, रूरल डिवैल्पमैंट के अंदर भी सरकार ने बहुत पैसा दिया है परन्तु वहां भी समय पर कार्य नहीं हो रहे। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने भी ठेके दिए जायें उनको टाईम बाउंड किया जाना चाहिए। जो ठेकेदार समय पर

कार्य न करे उसे पैनल्टी भी लगानी चाहिए। सभापति महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में बात करना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में बहुत से स्कूल गांवों के पिछली तरफ पड़ते हैं जो मेन रोड पर नहीं हैं जिस कारण टीचर्स को आने–जाने में परेशानी होती है। यही कारण है कि ज्यादातर टीचर वहां से बार–बार अपना ट्रांसफर करवा लेते हैं। मेरी प्रार्थना है कि जो स्कूल गांवों के पिछली तरफ बने हुए हें उन स्कूलों तक सड़क या स्ट्रीट बनवाने के लिए अलग से पैसा दिया जाये। सभापति महोदय, अब मैं फारैस्ट के बारे में बात करना चाहूंगा कि फारैस्ट विभाग बहुत से पेड़ लगवा रहा है। परंतु मेंने पहले भी कहा था अब दोबारा कह रहा हूं कि शीशम, नीम और रेहड़ा आदि छायादार पेड़ भी लगाने चाहिएं जबकि कीकर, सफेदा और पोपूलर पेड़ ज्यादा लगाये जा रहे हैं। इसलिए फारैस्ट विभाग इस तरफ विशेष ध्यान दे। (इस समय श्री अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।) अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी अर्ज करना चाहूंगा कि गांवों के अंदर मछली पालन की तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार को हर जिले में फिश फार्म बनाना चाहिए ताकि हर गांव में फिश सप्लाई की जा सके। अध्यक्ष महोदय, अब मैं ट्रांस्पोर्ट की बात करना चाहूंगा। ट्रास्पोर्ट विभाग में ड्राईवरों और कंडैक्टरों की बहुत सी पोस्टें खाली पड़ी हैं जिसकी वजह से सरकारी बसें बहुत से रूटों पर नहीं चल पा रही। जिन रूट्स पर अच्छी इन्कम होती है उन पर तो प्राईवेट बसों वाले, मैक्सी कैब और जीप वाले जाते हैं लेकिन जो आफ रूट हैं उन पर कोई नहीं जाता जिसकी वजह से यात्रियों को

बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरी मुख्यमंत्री जी से और परिवहन मंत्री जी से प्रार्थना है कि ड्राईवर्ज और कंडैक्टर्ज की जल्दी से जल्दी भर्ती की जाये ताकि परिवहन विभाग अधिक से अधिक रूटस पर अपनी बसें चला कर अपनी इन्कम मे भी बढोतरी कर सके। अध्यक्ष महोदय, अब मैं एग्रीकल्चर की बात करना चाहूंगा मेरी तो यही गुजारिश है कि एग्रीकल्चर के ऑफिसर्स जो जिला स्तर पर पोस्टिड हैं तहसील ओर जिला स्तर पर उनके द्वारा हर 6 महीने के अन्दर एक मेला लगाया जाये जिसके अन्दर नई प्रकार के बीज और नये मैथड एग्रीकल्चर मे जितने भी इजाद किये जाते हैं और नई जो फसले हैं उनके बारे में ऑफिसर्ज के द्वारा पूरा–पूरा ब्यौरा दिया जाना चाहिए जिससे किसानों को कृषि के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। आपका धन्यवाद।

श्री नरेश कुमार प्रधान (बादली): अध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आज प्रदेश में 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने का जन–कल्याणकारी कारवां चल रहा है। हमारे मुख्य मंत्री जी की एक विकास पुरुष के नाम से लोकप्रियता समस्त हरियाणा ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशो मे फैल रही है। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि ये जो मुख्य मंत्री जी की सेना है, ये जो टीम है और जो भिन्न–भिन्न पार्टियों से सभी मेरे जो साथी यहां सदन में विधायक चुन कर आये हैं तथा सरकार को समर्थन और सहयोग

देते हैं इनके ऊपर भी मेहरबानी करते हुए, इनका भी ध्यान रखते हुए इनका कुछ टी०ए०/डी०ए० और भत्ते जरूर बढ़ाये जायें 1 मेरा आपके माध्यम से दरियादिल मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि सभी विधायको को कुछ राहत अवश्य देनी चाहिए।

श्री अर्जन सिंह (छछरौली): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। में अपने हल्के की कुछ समस्याओं के बारे में बताना चाहता हूं। स्पीकर सर, मेरे हल्के में 2005 में पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण बाद आई थी। बाद के कारण कन्यावाला, बैलगरु, गिलपुरा, लक्कड़, नवाजपुर जयरामपुर अलीपुरा, दमोपुरा, हल्दरी, मंडौली, घघड ओर रामपुर जैसे गांवों में कृषि योग्य भूमि में रेत भर गई। आप लोग उस रेत को निकालने की कोशिश कर रहे हैं पर अब वहां पर सिंचाई के पानी की भी जरूरत पड़ रही है। मेरे ऐरिया में टयूबवैल के कनैक्शन बहुत कम हैं और लोगों ने सिक्योरिटी जमा करवा रखी है। उस रेत में न तो कोई फसल हो रही है। और जो पिछली फसल थी वो भी सारी बाद में बह गई। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने सिक्योरिटी भर रखी है उनको बिजली के कनैक्शन जरूर दिये जाये ताकि उनकी आर्थिक स्थिति जो बहुत खराब है उस स्थिति में सुधार हो सके और उनको नया जीवन मिल सके। सरकार के लिए यह बहुत बड़ा काम नहीं है। इसके साथ–साथ मेरी आपसे अपील है कि एक रिंग बांध जैसा

उत्तर प्रदेश की सरकार ने बना रखा है उसी तरह यहाँ पर भी बांध बनाया जाये। जिससे दो फायदे होंगे। एक तो शहर की तरफ के ट्रैफिक से छुटकारा मिलेगा और दूसरे बांध से गांव में भी फायदा होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी तीसरी प्रार्थना यह करना चाहूंगा कि पिछली बार इन्होंने छछरौली में एक कॉलेज की घोषणा की थी उस पर जल्दी से जल्दी काम शुरू करवाने की कृपा करे। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि मेरे हल्के में दो गांव ऐसे हैं जहां पर कोई सड़क नहीं है। उन गांवों के बच्चों को दूसरे गांवों में पढ़ने के लिए पैदल जाना पड़ता है। इससे उनको बहुत दिक्कत होती है। इन गांवों के नाम है दामोपुरा से मंडौली गगड़ और टापो माजरी। इन तीन–चार गांवों की जनसंख्या एक हजार से डेढ़ हजार के बीच है। बेलगढ़ और कन्यावाल गांव तो ऐसे गांव हैं जिनमें एक भी सड़क नहीं जाती है। स्पीकर सर, इसी तरह से दो–तीन छोटी–छोटी और सड़के भी हैं जैसे रामखेड़ी से बिलासपुर जिनको बनने से लोगों को राहत मिलेगी। इसी तरह से मेरे हल्के में नहरों के तीन पुल टूटे पड़े हैं जिनके बारे मे मैंने पहले भी जिक्र किया था कृपा उन पुलों को बनाने के बारे में भी गौर किया जाए। एक पुल झोटा रोड पर है जो कि मेन रोड है और सहारनपुर की ओर जाता है और यह सड़क हरियाणा को यू० पी० से जोड़ता है और बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है। स्पीकर सर, सरकार से मेरी एक और मांग है। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय बहुत ही दरियादिल व्यक्ति हैं और उन्होने दलितों के लिए काफी घोषणाएं भी की है और हमें उम्मीद है की

सारे काम जल्दी ही होंगे। दलितों के लिए मेरी भी एक माग है कि दलितों को जो रिहायशी प्लाटस दिए गए थे वे छोटे पड़ रहे हैं क्योंकि उनके परिवार बढ़ गये हैं जिसके कारण उन्हें काफी दिक्कत है। स्पीकर सर, सरकार से मेरी अर्ज है कि इन गरीब दलित परिवारों के बारे में भी कुछ न कुछ सोचना चाहिए और उनको रिहायशी प्लॉट देने के बारे में सरकार को गौर करना चाहिए। स्पीकर सर, इन्ही शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री नरेश मलिक (हसनगढ): थैंक्यू स्पीकर सर। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले माननीय मुख्य मन्त्री जी मेरे विधान सभा क्षेत्र में गए थे और लगभग 79 करोड़ रुपये के आस–पास की घोषणाएं उन्होंने वहां पर की थीं लेकिन अभी उन घोषित योजनाओं पर काम शुरू नहीं हुए हैं। आपके माध्यम से मैं सरकार से और माननीय मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो घोषणाएं की गई थीं, जिस प्रकार आज जल्दी से जल्दी किसानों की मौज की है, तो मेरे विधान सभा क्षेत्र की भी जो घोषणाएं हुई हैं उनको पूरा करने की कृपा करें।

स्पीकर सर, मेरे हल्के में अढाई किलो मीटर सड़क का एक टुकड़ा है जो पाकसमा से गांधरा गांव के बीच है उस सड़क के न बने होने के कारण वहां के लोगों को पाकसमा से नानौंद जाना पड़ता है, नानौंद से कलावड़ जाना पड़ता है और कलावड़

से साम्पला आने में लगभग 8–9 किलो मीटर का उनका चक्कर पड़ता है और जो पाकसमा–नानौंद–अटाल गांव हैं इनमे गन्ना भी काफी होता है और गांधरा में तो प्राईवेट क्रैशर भी लगे हुए हैं। लोग क्रैशर पर गन्ना भी लेकर आते हें वहां पर 22 फुट का सरकारी रास्ता हे, वहां पर न कोई जमीन ऐक्वायर करनी है और न ही कुछ और करना पड़ता है। अगर यह दो अढ़ाई किलो मीटर सड़क का टूकडा बना दिया जाए तो एक नहीं बल्कि 5–6 गांवो को बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। जिन लोगों को साम्पला से पाकसमां जाना है उनका 8–9 किलो मीटर का चक्कर बच जाएगा। स्पीकर सर, आपके माध्यम से सरकार से मेरी यह गुजारिश है कि सड़क के इस टुकड़े को जल्दी बनाया जाए। स्पीकर सर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और यह निवेदन करूंगा कि मेरी जो मांगें लम्बित पड़ी है और माननीय मुख्य मन्त्री जो जो घोषणाएं करके आए हैं उनके काम जल्दी शुरू करवाए जाएं। धन्यवाद।

श्री राम कुमार गौतम (नारनौंद): स्पीकर सर, आज मुख्य मन्त्री जी ने किसानों के लिए जो घोषणाएं की हैं और उनकी जमीनों के जो रेट्स बढ़ाए हैं और दूसरे हमारे एस०सी० वर्ग के भाई हैं उनको ब्याज की कुछ राहत दी, उसके लिए हमने पहले ही माननीय मुख्य मन्त्री जी का धन्यवाद करते हुए उनकी तारीफ की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि एस०सी० भाईयो को जो राहत दी गई हे।

यह बहुत ही थोड़ी है। स्पीकर सर, एक तो नौकरियों में जो एस०सी० वर्गों का बैकलॉग है वह 24600 के करीब है उन रिक्तयों को सरकार तुरन्त प्रॉयोरिटी बेसिज पर भरने की कृपा करे। इसके साथ ही जो गैस्ट टीचर्स लगाए हैं इनमें भी रिजर्वेशन का प्रोविजन सरकार करे। इनका हक पिछले दो साल में मारा गया है। स्पीकर सर, यह सरकार बनने के बाद काफी काम हुए हैं और यह सरकार 36 बिरादरी की सरकार मानी जाती है। जब चौटाला जी जैसे व्यक्ति की सरकार आती है तो लोग उससे तंग होते हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार से लोगों को बहुत ही राहत की उम्मीद होती है। इस सरकार के बनते ही फौरन एस०सीज लोगों के लिए रिहायशी प्लॉट कटने चाहिएं थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे एस०सी० भाईयों को रिहायशी प्लांटस मिलने चाहिएं। इसके लिए सरकार के पास भी जमीन है और हमारी पंचायतों के पास भी काफी जमीन है और वह जमीन इन भाईयों को रिहायशी प्लीटस के लिए बांटी जा सकती है। इन लोगों के लिए लोन की भी कोई सुविधा हो जो बिना ब्याज का लोन हो, या 99 साल के लिए जमीन पट्टे पर हो। इन लोगो को अगर इकनोमिकली मजबूत नहीं किया जाएगा तो हमारे समाज का यह अंग टूट जाएगा। अध्यक्ष महोदय आज भी ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें थोड़ी सी बात के लिए भाई भाई में एक और एक का झगड़ा होता है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं यह गुजारिश करता हूं कि कोई आदमी देर न करें। एक और एक का जो झगड़ा होता है, घरों को आग लगा देता है। और जो यह सामाजिक बहिष्कार किए जाते हैं।

इनसे भी खतरनाक हादसे घटे हैं जैसे गोहाना में घटे है और भी दूसरी जगहों पर भी घटे हैं। यह हादसे पिछली सरकार के वक्त में भी घटते थे और आज थोड़ा सा कम हुए हैं। कुछ सरकार ने . ..... हैं लेकिन अभी भी ली एण्ड आर्डर की पोजीशन थोड़ी ढीली चल रही है।

श्री अध्यक्षः ये जो . शब्द गौतम जी ने कहे हैं रिकार्ड न किये जाएं।

श्री राम कुमार गौतम स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी ने हमारे बास गांव में नालियां बनाने के लिए करीब 3 लाख रुपए दिए जो नालियां बनाते वक्त बीच में ही खत्म हो गए हैं। मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना है कि जो लोग नालियां, गलियो और सड़कों का पैसा डकार जाते हैं उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही हो ताकि भ्रष्टचार करने वाले आदमी भविष्य में इस तरह से कोई डेयर न करे। यह बहुत ही जरुरी है और इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे भाई वित्त मंत्री जी जो कि यहां सदन में बैठे हुए है, ने सदन में छाती ठोक कर कहा था कि गौतम भाई तेरी दो सड़कें मंजूर करवा दूंगा। सर, हमारे यहां पर एक बहुत बड़ा सौरखी गांव है। (विघन) इन्होंने छाती ठोक कर कहा था कि भाई गौतम तेरी दो सड़कें मंजूर हो गई समझो और जो मंजूर होने से रह गई हो तो बता दियो। स्पीकर सर, सौरखी गांव एक बहुत बड़ा गांव है और वित्तमंत्री जी हमारे सारे इलाके से वाकिफ हैं। स्पीकर सर, गांव सीसर,

खरबला, रोशन खेड़ा, भाटोल, जाटान और बडाला हैं, ये गांव ऐसे हैं जब इन गांवों में कोई भाई वहां पर जाता है तो उनको 3–3 बसे बदल कर जाना पड़ता है। अगर पेंडवा से सीसर की सड़क मंजूर हो जाए तो यह रास्ता उचाना तक निकल जाएगा और वे सारे गांव जो मैंने बताएं हैं उनकी बार–बार बसें बदलने की समस्या दूर हो जाएगी। इसके साथ ही खानपुर से एक डाटा की सड़क की भी मांग की है, अगर थोड़ी सी भी यहां पर बरसात हो जाती है तो उस गांव के लोग गांव में ही बैठ जाते हैं, वहां पर कहीं पर कोई रास्ता नहीं है। उन गांव के लोगों को बड़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उन लोगों की यह मांग बहुत ही पुरानी है। अध्यक्ष महोदय, जो इन्होने जितनी भी सडके बनाने के काम किए हैं उनकी मैंने तारीफ की है। अध्यक्ष महोदय, एक मोठ की ढाणी है उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जब लोग मीठ से और ढाणी से जाते हैं तो उनको भी 3–3 बसें बदलनी पड़ती हैं। यह केवल 3. 70 किलोमीटर का टुकड़ा है उसको भी बनवाया जाए। इसके साथ ही माजरा से माडा का भी 1.70 किलोमीटर टुकड़ा है वहां पर बीच में सड़क ऐड होनी है उसको भी बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के हिसाब से भी सड़कें बनाने जा रही हैं और इस सरकार ने भी अच्छे काम किए हैं। जैसे हमारे हांसी से गुराना वाली सड़क है उसको बरवाला में मिला दिया है यह उन्होने बहुत अच्छा काम किया है। हमने कल मांग की थी कि नारनौंद से खेड़ीजाली की सड़क कि वाईडनिग करवा दो तो इन्होंने उसको माना है और

उसकी 18 फीट तक वाईडनिग की है, उसके लिए मैं इनको धन्यवाद करता हूं। इसी के साथ हांसी जीन्द के बारे में इन्होने आश्वासन दिया है और इन्होंने उसको मंजूर कर दिया है, मैं उसके लिए भी इनका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, नारनौंद से खांडा की सड़क है और यह सड़क जुलाना तक जाती है यह बहुत ही इम्पोरटैंट सड़क है लेकिन इसकी चौड़ाई 12 फीट ही है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है मेरा इनसे निवेदन है कि इसकी वाईडनिग करके 18 फीट की जाए। इसके अलावा सर, नारनौद से पेटवाड़ की जो सड़क है वह 12 फीट चौड़ी है इसकी भी वाईडनिग करके इसको 18 फीट किया जाए। अध्यक्ष महोदय, पेटवाड़ से बास की जो सड़क है उसे अभी सरकार ने मेहरबानी करके बनाया है लेकिन यह सड़क भी इन्होंने 12 फीट चौड़ी बनाई है और इसमें अभी 500 मीटर का टूकड़ा भी किसी जमीनी झगड़े की वजह से बनना बाकी है, उस सड़क को भी 18 फीट चौड़ा किया जाए। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही बास से पूट्ठी और स्त्री से सामन तक सड़क बनाई जाए। सामन तक यह सड़क 12 फीट चौड़ी बनी हुई है तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि पूट्ठी से सामन तक की भी वाईडनिग होनी चाहिए। अगर सरकार ऐसा करती है तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे और वहां के लोग भी इस सरकार के गीत गाएंगे। इसके अलावा नारनौंद जोकि एक पुराने चिन्तन का गांव हैं यह शुक से जैसा था वैसा ही अब तक रहा है। वहां पर लड़कियों का स्कूल नहीं था लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उस गांव पर बड़ी भारी मेहरबानी की है। हमारे कहने पर ही

मुख्यमंत्री जी ने वहां पर लड़कियों का एक 10 प्लस 2 स्कूल मंजूर कर दिया है हालांकि इस साल उसमें अभी टीचर्स नहीं गए हैं लेकिन कोई बात नहीं टीचर्स भी चले जाएंगे। इसी तरह से हमारे हल्के में बास भी एक बहुत बड़ा गांव हे वहां पर भी हमारी बेटियों के लिए कोई स्कूल नहीं था लेकिन मुख्यमंत्री जी ने वहां पर भी एक 10 प्लस 2 का स्कूल खोल दिया है इसके लिए उनका धन्यवाद। हालांकि वहां पर भी अभी स्टाफ नहीं गया लेकिन स्टाफ भी चला ही जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वहां पर एक कॉलेज की भी बड़ी जबरदस्त डिमांड है। अगर सरकार नारनौंद में एक कॉलेज बना देगी तो उसकी यह बड़ी मेहरबानी होगी। जब आपने इतने स्कूल कॉलेज खोल दिए तो हम भी आपका भला मानेंगे अगर नारनौंद में आप एक कॉलेज खोल देंगे क्योंकि वहां पर इसकी बड़ी सख्त मांग है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा नारनौंद में इन्होंने तहसील की बिल्डिंग भी बना दी, बस स्टैंड भी बना दिया। यह बहुत अच्छा किया लेकिन में कहना चाहूंगा कि उस इलाके की सब–डिवीजन की अभी भी बड़ी भारी मांग है। अगर नारनौंद में एक सब–डिवीजन सरकार खोल देगी तो हम सरकार के गीत गाएंगे, बड़ी तारीफ करेंगे और लोग भी आपको मानेंगे कि बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर अब आये हैं। इसके अलावा बास जोकि बहुत बड़ा गांव है वहां पर सब–तहसील तो बना दी गयी लेकिन सब–तहसील लंगड़ी बनायी गयी। अध्यक्ष महोदय, जिस आदमी ने वह बनायी थी उसके बारे में आप जानते ही हैं। जैसे वह आदमी

था वैसी ही उसने वह सब–तहसील बनी दी क्योंकि अभी तक वहां पर ट्रैजरी नहीं है इसलिए मेरा अनुरोध है कि ट्रैजरी वहां पर बनायी जाए। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से हमारी जो छोटी छोटी मांगे है अगर इनको सरकार पूरा कर दें तो हुडा सरकार को, भाई बीरेन्द्र सिह को हम मानेंगे। मुझे विश्वास है कि बीरेन्द्र सिंह जी ने जो हमसे प्रोमिस किए हैं उनको वे जरूर पूरा करेंगे। धन्यवाद।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह (मेबला–महाराजपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं एप्रोप्रिएशन बिल के साथ ही बजट की कुछ योजनाओं, कुछ मदो की बाते कहते हुए कुछ लोकल बातें जो परसों कहने से रह गयी थीं, की चर्चा करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इन दो वर्षों के अंदर की सरकार की प्राथमिकताओं की, उसकी योजनाओं की कार्यशैली की, जन–हित और राज–धर्म की आज चारो तरफ प्रशंसा हो रही है, सारे हाउस ने चाहे वह किसी भी पार्टी से संबंधित हैं, ने एक मत से प्रशंसा की है। यह प्रशंसा ही अपने आप में बड़ी स्वागत योग्य बात है और प्रशंसा के लायक है। अध्यक्ष महोदय, आज जो घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की जन और जन–चिन्तन का ध्यान, जन–हित को सर्वापरि मानते हुए एक विकसित देश मे प्रदेश को आगे ले जाने की तरफ ध्यान दिया है, वह बहुत अच्छा है। जहां उन्होंने सामूहिक कार्यों की तरफ भी ध्यान दिया है वहीं व्यक्तिगत विशेष वर्ग जो बहुत समय से दबा हुआ था, उनकी भावनाओं को समझते हुए उन्होंने अपनी घोषणाओं के माध्यम से आर्थिक राहत देने का प्रयास किया है,

यह भी सबसे बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि यह प्रदेश के उस वर्ग की समृद्धि का, उस यात्रा का या उस विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा और इस देश मे एक मिसाल भी बनेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं अब थोड़ी चर्चा उद्योग ओर कृषि के बारे में करना चाहूंगा। ये दोनों किसी भी प्रदेश के विकास समृद्धि की धुरी हैं। जहां तक उद्योग का ताल्लुक है उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार हारा अनेक कदम उठाए गए हैं विशेष तौर पर निवेश के लिए। निवेश को इस हद तक बढ़ाया गया है कि बीस हजार करोड़ रुपयों के लगभग हमारे हरियाणा में निवेश हुआ है। जोकि मैं समझता हूं कि हरियाणा के इतिहास मे यह एक मिसाल है। जब से हरियाणा बना है तब से शायद ऐसा पहली बार हुआ है। इतने कम समय में बीस हजार करोड़ रुपयों का निवेश होना अपने आप में एक मिसाल है। इसके अलावा तकरीबन 23 हजार करोड़ का निवेश उसमें प्रक्रियाधीन है। जब यह पूरा होगा तो मैं समझता हूं कि उस समय हमारा प्रदेश विकासशील न होकर विकसित प्रदेशो की श्रेणी में आएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की तरफ अवश्य ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दिल्ली के चारों तरफ जो पैरीफेरल ऐक्सप्रैस– वे बनाई जा रही है वह एक तो ईस्टर्न साइड है और एक वैस्टर्न साइड है। ईस्टर्न ऐक्सप्रेस– वे की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है और इसकी नोडल एजैन्सी एच०एस०आई०डी०सी० है। कुंडली मानेसर से लेकर अलग–अलग, तकरीबन जो मेरी जानकारी है, उसके मुताबिक कुछ क्षेत्र कायम किए हैं। सोनीपत का जो एरिया है यह ऐजूकेशन सिटी है जो

दुनिया के स्तर पर अपने किस्म का ऐजूकेशन क्षेत्र होगा। आज की दुनिया मे हो रही इस प्रतिस्पर्धा के माध्यम से इस परिपेक्ष्य में देखें तो उसकी आवश्यकता भी है और इस बुनियादी आवश्यकता को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहल भी की है। दूसरा क्षेत्र रोहतक बहादुरगढ एरिया है जिसमें मेडीसिटी वगैरह, आई०टी० वगैरह आएंगे। उच्च दर्ज की उच्च स्तरीय परियोजनाएं इस एरिया में कायम होंगी। तीसरा क्षेत्र सोहना से लेकर मेवात और पलवल का एरिया है। मेवात में कम दर्जे के उद्योग का क्षेत्र बनाया गया है। वहां चमड़े के उद्योग स्थापित होगे। यह सब मैं अपनी जानकारी के आधार पर बता रहा हूं। इस पर आने वाले जवाब से मुझे इस बारे में सही पता लग जाएगा। पलवल में ट्रांसपोर्ट हब बनाया जा रहा है। होडल, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद के बारे में ऐसा सोचा जा रहा है कि यह सारा एरिया उत्तरप्रदेश को फायदा पहुंचायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के लिए तो नोएडा ही ऐसी जगह है जो कि विश्व स्तर पर डिवैल्पड है। उनके लिए तो वही काफी है। जो हमारा एरिया है वह हमारे यहां के साधारण गरीब वर्ग के लिए काफी फायदेमंद होगा। लेकिन उच्च–स्तरीय टैक्नोलॉजी और उसके आधार पर उस एरिया में होडल और बल्लभगढ़, फरीदाबाद को शामिल किया जाए। इससे उस एरिया के लोग भी हरियाणा की प्रगति और सुख –समृद्धि मे भागीदार हो सकेंगे। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। यह भी मालूम हुआ है कि इसमे पाइप के माध्यम से उनको पानी वगैरह या उनको पास करने के लिए कल्वर्ट की टाइप पुल बनाई जा रही

हैं। जब हम यहां बी०ओ०टी० के माध्यम से या सरकार अपने माध्यम से इस स्तर की ऐक्सप्रेस–वे बना रहे हे उसमें कल्वर्ट पुल टाइप की होनी चाहिए, यह नितांत आवश्यक है। अगर ऐसा हो रहा है तो वित्त मंत्री जी इस ओर ध्यान दें। एच०एस०आई०डी०सी० या जो भी इस योजना को सिरे चढ़ा रहे हैं उनको कहा जाए कि इस क्षेत्र को भी उस परियोजना में शामिल कर लेना चाहिए। अगर ऐसी धारणा है कि इससे दूसरे प्रदेश को फायदा होगा तो यह धारणा गलत है। इससे हमारे प्रदेश के लोगो को ही फायदा होगा। टूरिज्म के बारे मे मैं एक बात कह रहा था कि एक जमाना था जब इसकी शुरुआत हरियाणा प्रदेश ने की थी। टूरिज्म दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में हमारे प्रदेश में बहुत अच्छा है। पिछले दिनों उसको प्रोत्साहन देने में कुछ रुकावटें आई हैं। सरकार ने उन रुकावटों को दूर करने के लिए बजट में काफी प्रयास भी किया हे। मैं फरीदाबाद के विषय में कहना चाहूंगा कि बड़खल लेक टूरिज्म का सबसे बड़ा केन्द्र था लेकिन आज वह लेक सूखी पड़ी है, 20 साल से सूखी है या तो बारिश न होने की वजह से सूखी है या फिर वह क्षेत्र चारों तरफ से एक आबादी से घिर गया है। दूसरे वहां पशु भी चरते हैं। मेरी एक राय इसमें यह है कि इस एरिया को अपग्रेड करने के लिए पहाड़ी एरिया में टयूबवैल्ज स्थापित किए जाए या वहां पर एक ऐसा उच्च–स्तर का पार्क डिवलप किया जाए या स्पोंट्स स्टेडियम बनाया जाए जिससे वहां की आबादी को फायदा हो सके। वहां पर टूरिस्ट ज्यादा आकर्षित नहीं होते। इन चीजों को वहां पर

स्थापित किया जाए तो मैं समझता हूं कि इससे फायदा होगा। शहरी विकास के लिए काफी बातें हो चुकी हैं इसलिए मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। जैसा कि माननीय सदस्यो ने जिक्र किया फरीदाबाद बहुत बड़ी आबादी का शहर है। इस बात को देखते हुए उन शहरों के लिए जो दिल्ली के एन०सी०आर० एरिया में हैं उनके लिए एक अर्बन नेहरु रिन्यूअल योजना शुरु की है और इसमें फरीदाबाद शहर को भी रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद शहर की योजना तैयार की जा रही है। आज वहां हालात ऐसे हो रहे हैं कि वहां पर 30 हजार के लगभग की आबादी की झुग्गी झोपडियां हैं। वहां पर स्लम एरिया पैदा हो गया है और हजारो अनएथोराईज्ड कालोनियां डिवलप हो गई हैं। इसके बारे मे मेरी एक राय है कि फरीदाबाद के एरिया की स्लम क्लीयरैस के लिए उनको कही दूसरी जगह पर रिहैब्लिटेट किया जाए ताकि उन लोगो की दशा सुधर सके। जब तक इसके लिए कोई योजना नही बनाई जायेगी तब तक कोई फायदा नहीं होगा। वैसे फरीदाबाद निगम इसके लिए योजना बना रहा है। इसके लिए स्टेट लेवल पर कोई बोर्ड गठित करके इस बात से उनको निजात दिलायी जा सकती है। धन्यवाद।

श्री सतविन्द्र सिंह राणा (राजौंद): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। पिछले दो सालों में सरकार ने जिस तरह की घोषणाएं की हैं किसानों के लिए, कर्मचारियों के लिए, आम वर्ग के लिए और

उसके बाद बजट में भी कोई कर नहीं लगाया है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने हल्के की तरफ से और अपनी तरफ से आभार प्रकट करता हूं। आज सदन में चाहे वह विपक्ष के साथी हे या दूसरे सभी मानते हें कि हरियाणा में चारों तरफ तरक्की हो रही है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधान मंत्री जी से और श्रीमति सोनिया गान्धी जी से मिलकर किसानो को गेहूं का 200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ज्यादा भाव दिया है उससे उन्होंने सारे हिन्दुस्तान में अपना नाम कमाया है। इस बारे मे किसान भी यह मानते हैं कि अगर हमारा कोई हितैषी हे तो वह कांग्रेसी पार्टी है ओर उसके मुख्यमंत्री हैं। आज विपक्ष के बैंच खाली पड़े हैं। वे इस बात के लिए आम लोगों को फेस नहीं कर सकते। जिस प्रकार से ओलावृष्टि के लिए मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ रुपये मुआवजे के लिए रखा है। जबकि पिछली सरकार के समय में मुआवजे के नाम से एक रुपये या दो रुपये या पचास रुपये के हिसाब से मुआवजा देकर किसानों के साथ भद्दा मजाक किया जाता था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पांच हजार रुपये, तीन हजार रुपये या दो हजार रुपये तक का मुआवजा देकर गांवों के किसानों को इतनी खुशी दी है कि किसान आज यह कहते हैं कि इन घोषणाओं से हरियाणा का किसान ही खुश नहीं है बल्कि यू०पी० और राजस्थान के किसान भी खुश हैं कि हरियाणा के लोग राजस्थान में जाकर जमीनें खरीदते हैं जिससे वहां की जमीनों के रेट भी बढ़े हैं। इसी तरह से यू०पी० में भी हरियाणा के किसानो ने जाकर जमीनें खरीदी हैं और वहां की जमीनों के

रेट भी बढ़े हैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक लाई–माई स्कीम की बात थी इसको लेकर वाकई में गरीब आदमी बहुत चिंतित था कि किस तरह से वे पैसा वापस करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी घोषणा की कि जिससे किसानों गरीब लोगों की सारी समस्याएं ही दूर हो गई। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने दो साल के कार्यकाल में किसानों के लिए इतनी घोषणाएं की हैं जिनको मैं गिनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। हमारे विपक्ष के साथी विधान सभा में इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके पास उठाने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। जैसा कि गौतम जी और मलिक जी ने बताया कि झि करोड़ रुपये की घोषणाएं की गई हैं और उनके हल्के में कार्य भी शुरु हो गये हैं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से मौजूदा सरकार किसी के साथ भेदभाव की नीति नहीं अपना रही। चाहे कोई विधायक पक्ष का है या विपक्ष का हे, सभी जगह विकास कार्य करवाये जा रहे हैं। जब हम विपक्ष में थे उस समय मेरे हल्के के साथ बहुत भेदभाव किया गया था। मैं तो यहां तक कहूंगा कि 40 साल में मेरे हल्के मे इतना काम नहीं हुआ जितना कि मौजूदा सरकार के दो वर्ष के समय में हुआ है। चाहे पहले कभी कांग्रेस की सरकार भी रही हो उस समय भी मेरे हल्के में इतने ज्यादा विकास कार्य नहीं हुए। अध्यक्ष महोदय, जहां एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ किए हैं वही दूसरी तरफ मेरे हल्के में 7 सब–स्टेशन लगाये जा रहे हैं। यह बात मैं नहीं कह रहा, मेरे हल्के के लोग कहते हैं कि 1600

करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ होने के बाद भी नगुरा में 132 के०वी०, राजौंद में 132 के०वी०, बरही में 33 के०वी०, शामलो मे 33 के०वी० और किठाणा में 132 के०वी० के सब–स्टेशन बन रहे हैं। इस तरह से चारों तरफ तरक्की के काम चल रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने बिजली पैदा करने का भी कार्य किया है। 5000 मेगावट बिजली आने वाले कुछ सालों में हरियाणा पैदा करने लगेगा। जिस पर जोर शोर से कार्य चल रहा है। आज से पहले किसी मुख्यमंत्री ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि प्रदेश में बिजली की कमी को कैसे दूर किया जाये। हमारे मुख्यमंत्री जी ने यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट का, फरीदाबाद गैस बेस्ड पावर प्लांट का, हिसार पावर प्लांट का और झज्जर आदि कई जगहो पर पावर प्लांट पर कार्य शुरू करवाया है ताकि प्रदेश की बिजली की समस्या दूर हो जाये। इन कार्यो को देखते हुए यह लगता है कि हमारे शेर दिल मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा के 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेकर चले हैं जिससे प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के की कुछ समस्याओं के बारे में जिक्र करना चाहूंगा कि राजौंद में मण्डी बनाने के लिए जमीन भी एक्वायर हो चुकी है और मुख्यमंत्री जी ने पैसे भी पंचायत को भिजवा दिए हैं लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है इसलिए वहां पर मण्डी बनवाने के लिए जल्दी से जल्दी कार्य शुरू करवाया जाये 1 इसके अतिरिक्त मेरा हल्का तीन जिलों में होने की वजह से वहां पहले

कभी स्कूलों की अपग्रेडेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। मेरे हल्के के गांव मांडी और दिल्लूला में 8वीं–8वीं तक के स्कूल है जो अपग्रेडेशन के सभी नार्म्ज को पूरा करते हैं, उनमें पूरे कमरे बने हुए हैं। कृपा करके इन स्कूलों को दसवीं क्या तक अपग्रेड करवाया जाये। इसी तरह से मेरे हल्के में एक दौड़ाना सरदारों का गांव है। इसमें 8वीं कक्षा के बाद वहां के बच्चों को पढ़ने के लिए सात कि०मी० दूर राजौंद में जाना पड़ता है। वह स्कूल भी अपग्रेडेशन के सभी नार्म्ज पूरे करता है इसलिए उस स्कूल को भी दसवीं तक अपग्रेड किया जाये। इसी तरह से डाटा गांव में दसवीं तक लड़कियों का स्कूल है। वह स्कूल भी अपग्रेडेशन के सारे नार्म्ज पूरे करता है। वहां पर भी जमा दो का लड़कियो का स्कूल अपग्रेड किया जाये। अध्यक्ष महोदय, अब मैं पानी के बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि मेरे हल्के के गांव टेल पर पड़ते हैं इसलिए वहां पानी की बहुत समस्या है। आदरणीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वहां जल्दी ही राजौंद सब–माईनर बनाया जायेगा। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि राजौन्द सब–माईनर को जल्दी बनाया जाये और जो राजौन्द डिस्ट्रीव्यूटरी है उसकी रेजिग की जाये। पिछली सरकार में जो रामपाल माजरा थे उन्होंने अपने गाँवों तक तो करवा ली थी लेकिन उससे आगे नहीं हुई है। एक खाण्डा माईनर है उसको भी बढ़ाया जाये। एक सबसे बड़ी समस्या है राजौन्द एरिया की है वह यह कि वहाँ बाढ़ का खतरा बना रहता है और उस एरिया से पानी निकलने का कहीं कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वहां पर एक ड्रेन बनाई जाये। वहां पर 20–25

साल पहले एक प्रोपोजल बनी थी। अब आपके माध्यम से मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि वह ड्रेन बनवाई जाये। अध्यक्ष महोदय, अब में सड़कों के बारे में बात कहना चाहूंगा। मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि मेरे इलाके में तो एक भी सड़क नहीं बनी है। पिछली सरकार जो थी उसने भी कोई ध्यान इस ओर नहीं दिया। जो सड़कें टूटी हुई हैं वो सर मैं लिख कर भिजवा दूंगा। जेसा मान साहब ने कहा था कि राजौन्द में पी०एच०सी० बहुत पुरानी है और पिछली सरकार ने कागजो में तो उसको सी०एच०सी० बना दिया लेकिन वहां पर एक भी डॉक्टर आज तक पोस्टिड नहीं है। राजौन्द की जो सी०एच०सी० है उसके नीचे 5 पी०एच०सीज० हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि राजौन्द को सी०एच०सी० का दर्जा दिया जाये।

श्री अध्यक्षः सभी माननीय सदस्यो से निवेदन है कि समय के अभाव को ध्यान में रखकर अपनी बात को सीमित करने का कष्ट करें क्योकि माननीय सदस्यों को लंच के लिए भी जाना है।

श्रीमती अनीता यादव (साल्हावास): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने के लिए समय दिया उसके 'लिए बहुत धन्यवाद। मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं कि माननीय मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता की वजह से जो लोग खाकपति थे जिनके खेतों में रेत के टिबे थे वो भी आजकल टिब्बों में से रेत बेचने लगे है तथा हजारपति बन गये

और जो हजारपति थे वे लखपति हो गये और जो लखपति थे वे करोड़पति हो गये और यह सब हो पाया हमारे मुख्यमंत्री की लम्बी सोच की वजह से। जैसे आप जानते हें कि कोसली सब–डिवीजन भी एन०सी०आर० ऐरिया मे आता है और मुख्यमंत्री जी से मैं गुजारिश करुंगी कि कोसली सब– डिवीजन मे भी जैसे आई०एम०टी० मानेसर है इसी तरह के उद्योग यहां पर भी लगाये जाये। एस ०ई०जैड अगर यहां पर लाया जाये तो मेरा यह मानना है कि यहां पर उद्योगों में बहुत ज्यादा फायदा होगा यहां बार–बार जिक्र आया कि पिछली सरकार की काली करतूतों की वजह से बिजली के बिलो की समस्या थी। पिछली सरकार ने लोगों को गुमराह किया और कहा कि बिजली के बिल मत भरो हमारी सरकार आयेगी और हम माफ कर देंगे। लोगों को गुमराह करके वोट ले लिए और लोगों का पूरा समर्थन पा कर ये पिछली बार भी आ गये लेकिन स्पीकर सर, काठ की हाँडी बार– बार नहीं चढ़ती। आज उनकी ऐसी हालत हो गई हे कि विपक्ष के नेता के पद के लायक भी नहीं रहे। दो साल बाद चौटाला सदन मे आये थे। उनकी पार्टी के जो सदस्य पीछे बैठे थे कम से कम उनको तो बोलने का मौका देना चाहिए था। इस तरह के आदमी यहां आ जाते हैं वे प्रदेश भलाई की क्या बात कर सकते हें। 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिलो का जो प्रदेश के ऊपर भारी– भरकम बोझ आया उसको मुख्य मंत्री जी ने एक कलम से माफ कर दिया इसके लिए मैं उनको बधाई देती हूं। स्पीकर सर, इसके साथ ही साथ मैं सरकार को शिक्षा के बारे मे भी बधाई देना चाहती हूं।

जहां तक शिक्षा की बात आई है, आप अच्छी तरह से जानते हैं क्योकि आप भी हमारे साथ के क्षेत्र से ही चुन कर आए हैं। गांवों की शिक्षा का ऐसा गन्दा और गला–सड़ा माहौल पिछली सरकार ने दिया था कि पेरैन्टस बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने के लिए तैयार नही होते थे क्योंकि सरकारी स्कूलों में अध्यापक थे ही नहीं। स्पीकर सर, हमारी सरकार की एफर्ट्स से और माननीय मुख्य मन्त्री जी की सोच से आज शिक्षा के क्षेत्र में कितनी ही योजनाएं शुरू की गई हैं। लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है, महिलाओं के विश्वविद्यालय की बात आई है। इस तरह के जो अनपढ़ लोग हैं जैसे कि मेरी बहन ने पहले भी कहा कि अनपढ़ की टोलियां इकट्ठी हो जाती हैं और गैंग की गैंग बना कर वे घूमते हैं। आज हरियाणा मे माननीय मुख्य मन्त्री जी की सोच से राजीव गांधी इन्टीच्यूशन आई है, टेक्नीकल एजुकेशन आई है, आई०टी० की ओर ध्यान दिया गया है। स्पीकर सर, आज इस बात की जरूरत है कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाए वे लोग खुद तो किसी वजह से मजबूर रहे और पद नहीं पाए लेकिन आपके माध्यम से मेरी उनको यह नसीहत है कि वे अपने बच्चों को स्कूल मे अवश्य भेजे. आज हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी की सोच की वजह से अच्छे–अच्छे टैक्नीकल इन्सटीच्यूशन्ज ओर संस्थाएं खुली हुई हैं। हमारे बीच में हमारे माननीय शिक्षा मन्त्री जी भी बैठे हुए हैं कुछ जगहों पर कुछेक स्कूल ऐसे हैं जहां पर अध्यापकों की कमी है। मैं इस बारे में लिखकर भी आपके पास भिजवा दूंगी। स्पीकर सर, इसी तरह से ऐनीमल हस्बैडरी के तहत

जो वैटरनरी डिस्पैंसरीज हैं इनका माहौल भी पहले से बहुत ज्यादा सुधरा है। पहले वहां पर डॉक्टर होता ही नहीं था। कितने ही ऐसे गांव थे जहां पर पिछली सरकार के वक्त में वैटेनरी की सुविधाएं प्राप्त नहीं होती थी क्योकि पिछली सरकार के वक्त में उन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। पूरे इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का हमें मोका मिला है तो आप जानते हैं कि इसमें समय लगता है स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहती हूं कि बहुत से गांवों में वैटरनरी डिस्पैसरी की सुविधा तक नही है। इसके साथ ही कई और ऐसे गांव हे जैसे खुशीदनगर है, जहां पर वैटरनरी डिस्पैंसरीज की सुविधा' नहीं हैं। में सरकार से अनुरोध करती हूं कि ऐसे गावों मे वैटरनरी डिस्पैंसरीज का प्रावधान किया जाए जहां ऑन रोड विलेजिज हैं। स्पीकर सर, इसके साथ ही साथ माननीय सिंचाई मन्त्री महोदय को भी मैंने कुछ कहना है। सबसे लम्बा टॉपिक सिंचाई का ही था और हमारे कई जगह पर पानी की दिक्कत है। हमारे माननीय मुख्य मन्त्री महोदय जी की इसके बारे मे पोजिटिव सोच है। हमारे प्रदेश में कई बार कांग्रेस पार्टी की सरकार आई लेकिन आज से पहले किसी भी मुख्य मन्त्री की सिंचाई के बारे में कोई पोजिटिव सोच ही नहीं रही कि अढाई जिलों के अलावा भी कोई जिले हरियाणा प्रदेश में रहते हैं। हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने पहली बार सोचा हे और हालांकि यह बात मैनीफैस्टो में नहीं है लेकिन इन्होने अपने भाषण में भी यह अवश्य कहा था कि एक रोटी के चार टुकड़े करके मैं सभी के लिए समान बंटवारा करूंगा। ये इधर बैठे हुए साथी जो नरेश

यादव हैं। वह इस समय बैठे हुए नहीं हैं, ये हर समय वाहियात व्यानबाजी करते रहते हैं, अब पता नहीं वे कहां हैं। वे होते तो मैं उनको बताती।

श्री अध्यक्ष अनीता जी, आप इस बात का ध्यान रखें कि इस प्रकार का एसपर्शन नहीं होना चाहिए।

श्रीमती अनीता यादवः स्पीकर सर, केप्टन साहब ने अपने जवाब मे बड़ी डिटेल में बताया कि ऐसे ऐसे नाले और माईनरज बनाई जा रही हैं जिसकी वजह से पूरे प्रदेश मे पानी की सुविधा हो जाएगी लेकिन नरेश यादव जी हमेशा ही दक्षिणी हरियाणा की हामी भरने में लगे रहते हैं जैसे कि दक्षिणी हरियाणा इनके नाम लगा हुआ है। दक्षिणी हरियाणा से सिंचाई मन्त्री यहां पर बैठे हैं। और वे माननीय मुख्यमन्त्री जी की दक्षिणी हरियाणा की इस सोच से सिंचाई मन्त्री बने हैं कि हमने दक्षिणी हरियाणा के एक–एक कोने में पानी पहुंचाना है। लेकिन दक्षिणी हरियाणा का ठेका जैसे नरेश यादव ने ले रखा है। (विघ्न) स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से उनको यह बताना चाहती हूं कि दक्षिणी हरियाणा का ठेका न लें क्योंकि हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी की सोच है कि मैं हरियाणा के प्रत्येक जमींदार को एक एक खूड में पानी पहुंचाने के लिए वचनबद्ध हूं, कटिबद्ध हूं। इसलिए हम माननीय मुख्य मन्त्री जी की तारीफ करते हैं कि हरियाणा की 36 बिरादरी के साथ–साथ हरियाणा के प्रत्येक कोने में पानी पहुंचाने के लिए वे अपने आप ही चिन्तित हैं। दक्षिणी हरियाणा के इस तरह से जो

ठेकेदार बनना चाहते हैं उनको ठेकेदार बनने की आवश्यकता नहीं है। स्पीकर सर, इसके साथ ही साथ अभी जिक्र आया था एस०सीज० और एस०टीज० का और आगनवाड़ी का। मैं आगनवाड़ी पर विशेषतौर पर कहना चाहती हूं कि एस०सीज० और एस०टीज० के लिए आगनवाड़ी के लिए सामान दिया जाता है। आगनवाड़ी वर्करज की ओर से मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को बधाई देना चाहती हूं। स्पीकर सर, आज इस तरफ विपक्ष के लोग बैठे नहीं हैं इन्होंने पिछली बार आगनवाड़ी के मानदेय भत्तों को कट कर दिया था जिसकी आवाज हमने पिछली बार उठाई थी। आज मुख्यमंत्री जी की बढ़िया सोच की वजह से उस भत्ते को 200 या 300 रुपए की राशि करके लागू किया है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सदन मे आगनवाड़ी के वर्कर्ज के बारे में कहना चाहूंगी कि वहां पर गरीब बच्चों के लिए जो चने, बिस्कुट और दूसरी चीजें खाने के लिए सरकार की तरफ से दी जाती हैं वे उनको नहीं मिलती हे। वहां पर जो आगनवाड़ी वर्कर्ज होते हैं वे उनको अपने घरों में ले जाते हैं, चाहे वे उनसे खाए भी न जाएं तब भी वे उन चीजों को घर ले जाते हैं और अपने पशुओं को डाल देते हैं। मुख्यमंत्री जी आप इस बारे मे आदेश दें कि वहां पर जो गरीब बच्चों के लिए चने, बिस्कुट और दूसरी चीजें दी जाती हैं वे उनको ही मिलनी चाहिएं। स्पीकर सर, वैसे तो मैं और भी विषयों के बारे में और अपने इलाके की जरूरतों के बारे मे कहना चाहती थी लेकिन समय की कमी के कारण नहीं कह पाऊंगी। मैं अपनी मांगों के बारे में मुख्यमंत्री जी को लिख कर

भेज दूंगी। स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देबी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपनी माननीय बहन को बताना चाहूंगी कि अब आगनवाड़ी में ऐसी कोई बात नहीं है कि आगनवाड़ी के वर्कर बच्चों को मिलने वाली डाईट को घर ले जा सकें। अब जो समान वहां पर गरीब बच्चो को दिया जाना होता है वह वहीं पर बनाया जाता है। इसके साथ ही हमने वहां पर मदर रजिस्टर रखा हुआ है, जिसमें वहां पर आने वाले बच्चों की माताएं लिखती हैं कि उनके बच्चों को मिलने वाला सामान सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसके अलावा हमने वहां पर गांव की पड़ी लिखी औरतों का रोस्टर बनाया हुआ है जो आगनवाड़ी वर्कर पर चौक रखती हे।

श्रीमती अनिता यादवः मैडम जी, यह कब से हुआ है क्योंकि हमारे नाहड़ ब्लाक मे अभी तक लाग नहीं हुआ है।

बहन करतार देवीः यह पहली तारीख से लागू कर दिया है।

श्री हर्ष कुमार (हथीन): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बिल और एप्रोप्रिएशन बिल्व पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी और आज भी सदन मे गरीब किसानों को जो कर्जदार

हैं उनके कर्जों के बारे में बहुत रियायत दी है इसलिए में उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता लूं। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है इस पर बैठने के लिए न तो जाति विशेष का होना जरूरी है और न ही किसी वर्ग विशेष का होना जरूरी होता है। इस सरकार के आने से पहले वाली सरकारों में कृषि वर्ग के मुख्यमंत्री भी रहे हैं मगर उन्होंने न तो किसानों के लिए कुछ किया था और न ही किसी ओर वर्ग के लिए कुछ किया था। दूसरे वर्ग के भी मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने भी किसी के लिए कुछ नहीं किया है। मुख्यमंत्री की सीट पर बैठने के बाद न तो जाति काम करनी चाहिए और न वर्ग काम करना चाहिए। इस पर तो आदमी की सोच काम करनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ऐसे व्यक्ति हें जिन्होंने जाति और वर्ग से ऊपर उठकर अपनी बढ़िया सोच से किसानों, गरीबों, दलितों और दूसरे वर्गों के लिए बढ़िया काम किये हैं। मैं अपनी तरफ से हरियाणा की जनता की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसी सोच और साफ नीयत वाले आदमी को सदन में भेजा है। अध्यक्ष महोदय, वित्तमंत्री जी ने जो बजट मे सभी हैडज के लिए पैसा रखा है वह बहुत ही नेक दिल से बढिया दिल से उद्देश्यों को पूरा करने के लिए रखा है। अब से पहले की सरकारों ने अपने जो बजट सदन मे पेश किए थे और उस वक्त उन बजट् स में जो पैसा रखा जाता था उसका अधिकतर पैसा फिजूल में खर्च हो जाता था या जेबो मे चला जाता था। मैं सदन में कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से सदन मे एक ऐसा बिल

भी लाया जाना चाहिए जिसमे यह प्रावधान हो कि बजट मे जो पैसा जिस जिस मद के लिए रखा जाता है उसका पूरा प्रयोग उसी मद के लिए हो।

इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, सदन मे यह जो एक्सप्रैस हाई–वे बनाने की बात की गई है तो इस, बारे मे मैं सदन में आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब यह हाई–वे बनेगा तो उसमे मेरे एरिए के भी दो तीन गांव आएंगे और इस हाई–वे के बनने से उन गांवों मे भी हाई–वे कम हाईट की वजह से प्रोब्लम आएगी। स्पीकर सर, जहां जहां पर से यह हाई–वे निकलेगा वहां पर यही प्रोब्लम आएगी। अध्यक्ष महोदय, यह जो एक्सप्रैस हाई–वे है इसकी हाईट 12 से 13 फुट की है। अब जिन गांवों के ऊपर से यह हाई–वे निकलेगा तो वहां के लोग उस हाई–वे के नीचे से अपने ट्रैक्टर और ट्रैक्टर मे चारा और दूसरा सामान भी लेकर निकलेगे। इसकी हाईट कम होने की वजह से वहां से उनको निकलने में दिक्कत आएगी। मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इसकी हाईट को 14 से 15 फुट अभी से करने का प्रबन्ध करें। एक तो मेरी यह बात है। इसके अलावा दूसरी बात मेरी यह है कि कृषि के लिए भी काफी मुख्यमंत्री जी ने रियायतें दी हैं लेकिन एक चीज शायद उनके ध्यान में नहीं आयी है और वह यह है कि जो छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास दो एकड़ या तीन एकड़ जमीन है वह अपनी खेती का कार्य ट्रैक्टर से करवाते हैं और किराए के टयूबवैल से अपनी

खेती की सिंचाई करते हैं इस तरह से अधिकतर आमदनी का उनका हिस्सा किराए में ही चला जाता है। वे मेहनतकश किसान हैं। कुछ किसान बैलों से भी खेती करते हैं। स्पीकर सर, गाय की भी आजकल एक समस्या बनी हुई है। जो छोटा किसान है वह बैलों से खेती करता है उसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। जब बूढो की पेंशन हो सकती है तो जो छोटे किसान बैलों से खेती करते हैं उनके बैलों की पेंशन भी हो सकती है। ऐसा किया ही जाना चाहिए। अगर बैलों की पेंशन हो गई या उनको कुछ बोनस भी दे दिया गया तो छोटे किसान और भी ज्यादा संख्या में बैलो से खेती करेंगे और गाय की उपयोगिता भी बढ़ेगी तथा साथ ही साथ इस समय जो छोटा किसान किराए पर अपनी खेती का काम करवाने में जो फिजूलखर्ची करता है उसमें भी बचत आएगी। इसी तरह से हमारी सरकार ने गऊशालाओं को भी बहुत अनुदान दिया है लेकिन उस अनुदान का सही उपयोग नही हो पाता है। जिन गऊशालाओं को सरकार अनुदान देती हे उनके लिए यह कंडीशन लगायी जाए कि आप इतने इतने परसैंट दूध की गाय भी रखेंगे ताकि दूध का उत्पादन भी बढ़े और अच्छी नस्ल की गाएं भी बढ़े तथा जो इस समय गऊशालाएं आर्थिक दबाव मे चल रही हैं, उससे भी उनका दबाव हटे। इसके अलावा एक छोटी सी समस्या और मेरे हल्के की है। कहा जाता है कि हरियाणा का प्रत्येक गांव बिजली और सड़क से जुड़ा हुआ है लेकिन मेरे हल्के का एक गांव कमहेड़ा ऐसा गांव है जो आज तक किसी भी सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है। पिछली से पिछली सरकार

में जब मैं एम०एल०ए० था और मिनिस्टर था उस समय यह काम शुरू करवाया गया था लेकिन दुर्भाग्य से जब दूसरी सरकार आ गयी तो ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बन गये और उन्होने वह काम वहीं का वहीं रूकवा दिया। उसके ऐस्टीमेटस नीचे से तो ऊपर आ जाते हैं लेकिन पता नहीं बीच में ही कहां गुम हो जाते हैं। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आप उस गांव को भी सड़क से जुड़वा दें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

श्री अध्यक्षः छत्रपाल जी, आपकी भी पर्ची बोलने के लिए आयी हुई है। जबकि आप गवर्नर ऐड्रैस पर भी 22 मिनट बोल लिए हैं, बजट पर भी आप 16– 17 मिनट बोल लिए हैं, बिल पर भी आप बोल लिए हैं और मुख्यमंत्री जी की अनाउसमैन्ट पर भी आप बोल लिए हैं साथ ही हर क्यैश्चन पर भी आपने सप्लीमैट्री ले रखी है। I will advise you believe in quality not in qauntity.

प्रो० छत्तरपाल सिंहः सर, जब आपने कहा था कि एप्रोप्रिएशन बिल पर बोल लेना तब ही मैंने पर्ची आपके पास भिजवायी थी।

संसदीय सचिव (कुमारी शारदा राठौर). अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपका कि पहले आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया और अब आपने मुझे ऐप्रोप्रिएशन बिल पर अपनी बात रखने का मौका दिया है। काफी बातें तो मैं बजट पर ही बोल चुकी हूं।

मैं विशेष रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी का और फाईनेस मिनिस्टर बीरेन्द्र सिंह जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि अभी दो दिन के अंदर जो घोषणाएं की हैं वह अभूतपूर्व और बेमिसाल हैं क्योंकि दो वर्ष का कार्यकाल. इतनी छोटी अवधि होती हे कि किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी नेता के लिए, किसी भी सरकार के लिए, उसका टैस्ट लेने के लिए। मैं मुख्यमंत्री जी को और फाईनेस मिनिस्टर बीरेन्द्र सिंह जी को इसके लिए बधाई देती हूं क्योंकि दो वर्ष की अवधि में हमारी सरकार ने अपनी योग्यता साबित की है। इस सरकार की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जो एक सोच, जो एक प्रयास, जो एक विचारधारा दो वर्ष पहले मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी लेकर चले थे कि हरियाणा को नम्बर वन राज्य बनाना है उसी सोच के तहत इतने अच्छे और महत्वपूर्ण फैसले उन्होंने लिए हैं। इन फैसलों से आम आदमी का जीवन स्तर सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। जैसा हमारे वित्त मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि हमे खाली जी०डी०पी० परसैटेज पर नहीं जाना चाहिए और उसको जनमानस के विकास से जोड़ते हुए नहीं देखना चाहिए क्योंकि अभी भी हमारे ज्यादातर लोग गांवों में रहते हैं जो विकास से दूर रहते हैं। लेकिन इस साल के बजट ने और मुख्यमंत्री जी की अनूठी घोषणाओं ने यह साबित कर दिया है कि हम ढांचागत आर्थिक विकास की ओर बढ रहे हैं। हरियाणा प्रदेश आर्थिक ताकत के रूप में मजबूत हो रहा है। जिसकी चर्चा अन्य प्रदेशों में हो रही है। कृषि के लिए हमारी

सरकार ने जो फैसला लिया है और किसानों और आम आदमियों को भी राहत देने के लिए सरकार ने जो फैसले लिए हैं, इसके लिए मैं अपने क्षेत्र की तरफ से व अपने क्षेत्र के आम आदमी की तरफ से सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने आम आदमी को ऊपर उठाने के लिए विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए साहसिक कदम उठाए हैं। किसानों के लिए तीसरी बार फ्लोर रेट मे वृद्धि की है जिसने किसानों में आत्म विश्वास पैदा किया है। उन्हे फाइनैंशियल सिक्योरिटी दी है। अब छोटे से छोटा किसान भी यह नहीं कह सकता कि हमारी भूमि की कीमत बहुत कम है। पहले वे कहते थे कि हम बेरोजगार हो जाएंगे। आज हालात यह हैं कि किसानों को जो उनकी भूमि का रेट मिल रहा है उस पैसे से वे दूसरी जगहों पर भूमि भी खरीद सकते हैं और जो बचे हुए पैसे हैं उससे अपना रोजगार भी चला सकते हैं, अपना मकान और अपनी दुकान भी बना सकते हैं। हाल ही में जो ओलावृष्टि हुई उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ रुपये की सहायता राशि की घोषणा की। पांच हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से आज तक किसी सरकार ने मुआवजा राशि नहीं दी। इसी के साथ साथ आबियाना में भी काफी राहत सरकार ने प्रदान की है। फसली ऋण पर ब्याज की दर 11 प्रतिशत से घटाकर ओं प्रतिशत की है। अभी जो महत्वपूर्ण घोषणा हुई थी उसमें भी कहा था कि ओलावृष्टि से प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनमें न सिर्फ मुआवजा दिया जाएगा बल्कि सबसिडी भी दी जाएगी और जो छोटे किसान हैं और बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार के नये अवसर पैदा किए

जाएंगे। यह आम आदमी के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री जी की कितनी महान सोच है। अभी जो हरिजनों और पिछड़ें वर्गो का उनके कल्याण निगमों के ऋण का ब्याज था, वह भी एकमुश्त माफ किया है। गरीबों के लिए जो लाई–माई योजना थी, उसा भी ब्याज सरकार ने माफ किया है। कोऑपरेटिव सोसायटी के ऋणो की माफी के लिए मुख्यमंत्री महोदय ने सिरसा रैली में ही घोषणा कर दी थी। ये सभी ऐसे फैसले हैं जिनसे आम आदमियों को राहत पहुंचती है। शहरों मे हाउस टैक्स का ब्याज माफ किया है और हॉकर्स के लिए लाइसैंस फीस का एक रुपये करने की घोषणा बहुत बड़ी राहत देती हे। किसानों के लिए पहले ही 1600 करोड़ रुपये की बिजली बिलों की माफी हो चुकी है। ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन फीस सरकार ने पहले ही कम कर दी थी। गरीब किसानों के लिए और गांव में रहने वाले गरीब लोगों के लिए पीले और गुलाबी कार्ड बनाने के लिए और पेंशन के लिए सर्वे दोबारा से करवाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री जी ने की है। इन सब बातों के लिए में मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हूं। इसके साथ ही साथ मैं अपने क्षेत्र के बारे में एक दो सुझाव देना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: आप अपने सुझाव लिखकर भिजवा देना because you are near to the government.

कुमारी शारदा राठौरः अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री का अच्छे वित्तीय प्रबंधन के लिए धन्यवाद करती हूं। आपका भी धन्यवाद।

श्री सुखबीर सिंह (रोहट): अध्यक्ष महोदय, आज चारों तरफ विकास ही विकास है लेकिन हमारा जो एरिया है वह पिछले 40 वर्षो से पिछली सरकारों की उपेक्षा की वजह से उपेक्षित रहा है। वहां कोई विकास कार्य नहीं हुआ। अब कुछ विकास कार्य शुरु हुआ है लेकिन अभी भी काफी सुधार की जरूरत है। मैं अपने हल्के की कुछ समस्याएं रखना चाहता हूं। मटिण्डु से खरखौदा के लिए एक बाईपास मुख्यमंत्री जी ने मन्जूर किया था लेकिन उस का काम शुरू नहीं हुआ है जब मैं वहां से निकलता हूं तो बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती है, जाम लगा रहता है जिसकी वजह से वहां से निकलने में कई घण्टे लग जाते हैं इसलिए इस बाई–पास को बनवाया जाए। दूसरा खरखौदा में एक आई०टी०आई० बनवाई जाए। खरखौदा में लड़कों के लिए दस जमा दो का स्कूल नहीं है इसलिए दस जमा दो का स्कूल लड़कों का खरखौदा में बनाया जाये। इसी प्रकार से नाहरा से बहादुरगढ़ की रोड़ 20 फुट चौड़ी है लेकिन काफी जगह से टूटी कुटी है उस सड़क को बनवाया जाए क्योंकि पिछली सरकार के समय में उस सड़क पर लीपा पोती की गई थी। वहां पर रोजाना एक्सीडैंट होते रहते हैं। क्योंकि वहां पर काफी आवागमन होता है जिससे सरकार पर आरोप भी लगते हैं कि क्यों इस सड़क को ठीक नहीं किया जा

रहा है। एक राई से जठेड़ी की सड़क बनाई जाए। एक फरमाणा में आई०टी०आई० खोली जाए। एक फरमाणा से आवली तक सड़क बनाई जाए।

श्री अध्यक्षः सुखबीर सिंह जी, आप इस बारे मे लिखकर भिजवा देना।

श्री सुखबीर सिंहः एक वृद्धा–अवस्था पैंशन के लिए हर साल सर्व करवाना चाहिए क्योंकि गांवों में जाते हैं तो लोग लत्ते पाड़ते हैं। एक मेरे हल्के के गांव नीजामपुर माजरा को मॉडल विलेज बनाया जाए। धन्यवाद।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने वृद्धा–अवस्था पैशनके बारे मे जिक्र किया है। इसके लिए सरकार शिडयूल बना रही है ताकि हर साल सर्वे हो सके। श्री बच्चन सिंह आर्य (सफीदों): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जो बजट आदरणीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है वह बहुत ही सुन्दर है। हर बार वित्त मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के सहयोग से जो बजट पेश करते हें और बजट के अन्दर जो भी बातें कही जाती हैं वह अपने आप में अनुपम अनमोल होती हैं। विशेष तौर पर आज जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो जमीन के फ्लोर रेट में वृद्धि की है वह अपने आप में एक अनुठी बात है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जो रूटीन की बात हो क्योकि हरियाणा जब से बना है आज तक इतनी ज्यादा

उपलब्धियां कभी भी किसी भी सरकार ने हासिल नहीं की हैं और पहले की सरकार तो कभी इन उपलब्धियों के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। यह एक नीयत की बात थी कुशलता की बात थी। आज यह नहीं है कि हरियाणा में ही इसका फायदा हुआ हो बल्कि दूसरे प्रान्तों पर भी इसका असर हुआ है। जिससे वहां की जमीन के रेट भी बढ़े हैं और किसान खुशहाल हुए हैं। पानीपत के साथ लगते हुए जमुना, कराना और कान्दला तथा मुज्जफरनगर और सहारनपुर में जब हम जाते हैं तो वहां पर किसान कहता है कि किसान भी इससे खुशहाल हुए हैं। जहां पर जमीन का भाव 50 से 55 हजार रुपये प्रति बीघा हुआ करता था, आज जो तोहफा मुख्यमंत्री जी ने दिया है उससे हमारी जमीन के रेट बढ़े हैं। जिस जमीन की कीमत चार लाख रुपये प्रति एकड़ थी उस जमीन की कीमत 10– 10 लाख रुपये के आसपास हो गई है जोकि हरियाणा के लिए विशाल उपलब्धि प्राप्त करने की बात है। आज हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है और चाहे उत्तर प्रदेश के किसान हो, चाहे हिमाचल प्रदेश के किसान हों, चाहे हरियाणा के साथ लगते पंजाब के किसान, हों, चाहे राजस्थान के किसान हों, वे सभी आज हरियाणा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जीं की दाद देते हैं। चाहे वे किसी भी पार्टी को चाहने वाले किसान हैं, वे कहते हैं कि यह अपने आप में एक प्रशंसनीय बात है। हम बात किया करते थे और विचार किया करते थे कि किस प्रकार और कब हरियाणा नम्बर एक का राज्य बनेगा। मगर अब हम हृदय और ईमानदारी से शुक्रियादा करते हैं कि मुख्यमंत्री जी

की सोच को देखकर और कार्यो को देखकर कि वास्तव में हरियाणा नम्बर एक प्रदेश बनेगा। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि साथियों तुम मेरा साथ दो, मैं भी अपने हाथों को मुख्यमंत्री जी के साथ जोड़ते हुए यह कहना चाहूंगा कि साथियों तुम सभी मुख्यमंत्री जी का साथ दो क्योंकि–

'हरियाणा है बदलने वाला, मंजिल पर पहुंच जायेगा,

दीपक के लिए हठ पतंगे से मत कर, वो आग में जल जायेगा।'

अध्यक्ष महोदय, जो लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, मजिल उनकी तरफ आती है। विपक्ष के साथियों को भी मालूम है कि आज हरियाणा में चारों तरफ विकास के काम हो रहे हैं। दुनिया कहती है कि जमाना बदलता है अकसर मगर मर्द वो है जो जमाने को बदल दे। हमारे मुख्यमंत्री जी हरियाणा की तस्वीर को बदलने में लगे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, समय की कमी है मैं अपने हल्के की कुछ बातें हैं जो लिखकर भिजवा दूंगा। धन्यवाद।

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will give the reply.

वित्तमंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह): स्पीकर सर, एक तो मैं अपनी तरफ से और सभी मैबर्ज की तरफ से आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने एप्रोप्रिएशन बिल पर पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के मुताबिक समय दिया। वरना मेरा भी इस हाउस से लम्बे समय से

संबंध रहा है कि जनरल बजट पर तो बोलने का समय स्पीकर दे देते थे लेकिन एप्रोप्रिएशन बिल पर सदस्यों को इतना समय नहीं दिया जाता था जितना समय स्पीकर सर, आपने दिया हे। आपने इस पर 20 सदस्यों को लगभग 2.30 घंटे का समय बोलने के लिए दिया है। इस दौरान मैंबर्ज ने जो भी सुझाव दिये उनमें बजट के बारे में तो कम ही सुझाव हैं लेकिन उन्होंने अपने–अपने हल्कों की समस्याओं का विशेष रुप से जिक्र किया है। विशेष तौर पर जिन समस्याओं से उनके वहां के गांव के, मोहल्लों के और शहर के लोग ग्रस्त हैं उन बातों पर ज्यादा जिक्र किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यो ने जो मुद्दे उठायें हैं उनमें से जिन मुद्दो पर मैं रिप्लाई करना ठीक समझूं या जो मेरी परिधि में आते हैं उन्हीं के बारे में ही मैं चर्चा करूंगा। माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल जी ने हरियाणा की मुर्रा ब्रीड बफैलो और काऊज की हरियाणा नस्ल और शाहीवाल नस्ल के बारे में कहा कि इनके बारे मे 400 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट बनाकर केन्द्र सरकार को भेजा गया था। जिसको केन्द्र सरकार की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने कम करके 156 करोड़ रुपये कर दिया है और उसमे दूसरे प्रदेशों की भी भागीदारी कर दी हे। अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि किसानों की होल्डिंग छोटी होने की वजह से कैटल ब्रिडिंग उनका साईड बिजनस है। इस तरफ सरकार का पूरा ध्यान है कि कैटल ब्रिडिंग में हम जितनी मदद किसानों की कर सकते हैं वह करेगे। केवल किसान की बात ही नहीं है बल्कि गांवों मे जो हमारे अनुसूचित जाति के भाई हैं जिनके पास जमीन नहीं है

उनका भी रोजगार का साधन यह है कि वे छोटी सी भैंस की पाडी को दो–तीन साल तक पालते हैं और फिर उसको 20–25 हजार रुपये में बेचकर आमदनी कमाते हें। इसलिए हम कैटल ब्रिडिंग एक्सपैंडीचर की तरफ विशेष ध्यान देंगे।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, में भी इस बारे में सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमने व्हाईट कार्ड ईश किए हैं जिनके तहत प्रदेश में आज के दिन जितना दूध का उत्पादन है उसको दुगना करना है ताकि लोगों की आमदनी बढ़ सके। खासतौर पर महिलाओ और जो सोसायटीज बनी हुई हैं उनके लिए तय किया हे कि जो सोसायटी 1000 लीटर तक दूध इक्ट्ठा करेगी उसे 20 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से कमीशन दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त पशुओं के बीमें भी सरकार करवा रही है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि सरकार ने इसके लिए एक करोड़ रुपये बजट में रखे हैं। स्पीकर सर, यह बात भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि कई बार बजट के अन्दर जो प्रावधान आपको नजर आता है जैसे 10 लाख, 5 लाख या 1 करोड़ इत्यादि उस राशि का मतलब यह होता है कि हम हैड क्रिएट कर देते हैं उसके बाद उस हेड में बहुत सा पैसा केन्द्र सरकार से भी आता रहता है और जब हम बजट बनाते हैं तब वो पैसा उसके अन्दर रिफलैक्ट होता है इसी तरीके से स्पीकर सर, एक बात इन्होंने कही कि जो

डिलरशिप है जहां से ट्रैक्टर और दूसरा सामान किसान खरीदते हैं बैंकों से खास तौर पर हरियाणा लैंड डिवैल्पमैंट बैंक जो कर्जे देता है उसमें जो चेक है वो डिलर को जाता है। मैं भी आज से 23–24 साल पहले सहकारी मंत्री रहा हूं ओर हमारे सामने भी यह बात आई थी और डायरेक्ट पैसा बैंक से हमने किसानों को देना भी शुरू किया था लेकिन माफ करना हमारा एक्सीपिरियेस उस वक्त का यह था कि बहुत से पैसे का मिसयूज होता था। लेकिन फिर भी यह आज और 20–22 साल के किसान की सोच में बड़ा भारी फर्क आया है इसलिए इस बारे में भी चिन्तन किया जा सकता है। चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला ने हैल्थ के बारे में बहुत सी बातें कही और इन्होंने एक खास प्याइंट उठाया और वह ये था कि हमारे बच्चे अण्डर वेट हैं, अण्डर डवलपमैंट और स्टर्न हैं और आज इसलिए हरियाण की जो पीढ़ी है उसका कद घट रहा है, यह भी इन्होंने जिक्र किया। जो हैल्थ है वो हमारा प्राथमिकता का एरिया है और हमारा थ्रस्ट ऐरिया है। जैसा मैंने कल के अपने भाषण मे भी कहा था कि इस मद पर जितना भी पैसा हमारे प्रदेशवासियों की सेहत के लिए, उनको बिमारियो से बचाव के लिए और एक अच्छा स्वस्थ नागरिक होने का जो उनका हक है उसको कायम करने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, यह हमारा कमिटमैंट, हमारा प्रोग्राम हमारी प्राथमिकता है। एक बात और उन्होंने कही कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि जिन्होंने हरिजन वित्त निगम है और बैकवर्ड क्लासिज विकास निगम से लोन लिए हुए हैं उनको 31 जून, 2007 तक

अगर वो जमा करवायेंगे तो ब्याज और पैनल इन्ट्रैस्ट का उनको लाभ मिलेगा। श्री सुरजेवाला का यह सुझाव था कि ये बहुत गरीब लोग हैं ओर हो सकता है कि वो एक मुश्त अपना पैसा न दे सकें तो उन्होंने इसको कम्पेयर किया कि जैसे आपने बिजली के बिलों को 20 किस्तों में माफ किया कि जो आगे 20 महीने तक बिल भरेगा उसका पिछला बकाया माफ हो जायेगा। उसी तरह से इसमें भी आप 2 या 3 किस्तों में जमा करवाने की छूट दें इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि अगर वो एक किस्त में नहीं दे सकते तो दो किस्तों में भी दे देंगे तो भी माफ कर देंगे और डिटेल वर्क आऊट बाद में दे दी जायेगी। एक इन्होंने डायरेक्ट सबसिडी to farmers for power and other inputs के बारे में कहा है जैसा मैंने कहा फर्टिलाईजर्स की डायरेक्ट सबसिडी के बारे में उसी तरह भारत के जो वित्त मंत्री हैं पी० चिदम्बरम जी उन्होंने भी इस बजट स्पीच में जिक्र किया था कि किसान को जब तक डायरेक्ट सबसिडी हम नहीं देंगे उसका लाभ किसान को नहीं मिलता है। स्पीकर सर, एक बात मैं कहता हूं कि कई चीजें ऐसी हैं जो सरप्लस पैदा कर सकती हे और जिसके कारण उस सब्सिडी का जो डायरेक्ट लाभ है वो हो सकता है किसी स्टेज पर न हो। लेकिन जो किसान जिसके पास एक एकड़ या दो एकड़ जमीन है और उसमें वह उतनी ही उपज पैदा कर सकता है जो अपने घर पर ही लगे उसको इस डायरेक्ट सबसिडी से बहुत लाभ होगा। इसलिए हमने सरसों पर और कॉटन के बीज पर डायरेक्ट सबसिडी देने का प्रावधान किया है। सर, 32 हजार करोड़ से भी

ज्यादा फर्टिलाईजरज पर सबसिडी है और उस 32 हजार करोड़ में 1800 करोड़ रुपये की सबसिडी तो फर्टिलाईजरज की ट्रांसपोर्ट की है। यह कुछ एप्रेशन्ज हैं जिन पर भारत सरकार बहुत गम्भीरता से विचार कर रही हे और उनके बारे में जैसे ही फैसले होंगे उनके मुताबिक ही हम भी उन पर अमल करेंगे। स्पीकर सर, ए०सी० चौधरी साहब ने यह कहा कि बहुत से कॉलेजिज और स्कूल्स हैं जो प्राईवेट सैक्टर में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं उनकी मदद करने के लिए कोई प्रावधान किया जाए। मैंने कल अपने भाषण मे कहा था कि जो गवर्नमैंट ऐडिड प्राईवेट स्कूल्ज हैं 1300 करोड़ रुपये तो हम उन पर ही खर्च कर रहे हैं इससे ज्यादा उनकी और क्या मदद की जा सकती है। उनको 95: से ज्यादा और क्या मदद होगी। स्पीकर सर, इसके साथ ही साथ शिक्षा मन्त्री जी भी यहां बैठे हैं। बहुत से ऐसे कॉलेजिज और स्कूल्स हैं जो हमारे से तो 95 परसैंट की मदद लेते हैं लेकिन उन्होंने कुछ प्रोफैशनल कोर्सिज शुरू कर दिए जिनको सैल्फ फाईनेसिज कोर्सिज बोलते हैं। इन कोर्सिज से उनको बहुत आमदनी है और जब हम उनसे कहते हैं कि हिसाब दिखाओ तो वे कहते हैं कि यह हमारा एग्जैम्पट कर दो। कई ऐसी चीजे हैं जिनके बारे में हमें प्राईवेट स्कूल्ल्ज की मैनेजमैंट्स के साथ बैठकर विचार करके फाईनल निर्णय लेना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ तो प्राईवेट स्कूल और कॉलेजिज वाले हमसे 95 परसैंट मदद लें और दूसरी तरफ सैल्फ–फाईनैसिंग कोर्सिज उन्होंने शुरू किये हैं ओर उनका हिसाब भी हमें दिखाने

को वे तैयार नहीं हैं। इन बातो पर भी विचार करना होगा लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि जो स्कूल अच्छी शिक्षा दे रहे हैं उनको हर प्रकार का प्रोत्साहत्त देने की कोशिश करेंगे। हमने तो एजुकेशन के नॉर्म्ज ही बदल दिये हैं। 13000 से अधिक टीचर्ज की भर्तियां तो अब होंगी और शिक्षा मन्त्री जी बता रहे थे कि जब यह 13000 टीचर्ज की भर्ती हो जाएगी तो उसके बाद करीब 5000 टीचर्ज की वैकैंसीज और बन गई हैं। स्पीकर सर, हम यह चाहते हैं कि 40 बच्चो पर एक टीचर का होना जरूरी है और टीचर के पड़ाने की जो काबलियत है उसको मद्देनजर रख कर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें यह हमारा निशाना है जोकि हम हासिल करेंगे। स्पीकर सर, माननीय सदस्य श्री सोमवीर सिंह जी ने क्रैडिट कार्ड की बात कही है कि क्रैडिट कार्ड के मामले में किसानों को या कोई भी व्यक्ति जो क्रैडिट कार्ड लेता है, उसको तंग किया जाता है। स्पीकर सर, यह बात तो बिलकुल सत्य है। जब तक आप मैनेजर के blue-eyed boy न हो या बैंक के किसी कर्मचारी से आपकी सीधी मुलाकात न हो तब तक आपको क्रैडिट कार्ड नहीं मिल सकता है। मेरे पास फाईनैशियल इंस्टीच्यूट का महकमा भी है तो मुझे एस०एल०वी० की मीटिंग में जाना पड़ता है। सभी बैंकों की यह मीटिंग हर तीसरे महीने होती है। सभी बैंको का लीड बैंक पंजाब नैशनल बेंक है। मैं वहां पर जब भी बोलता हूं तो उनकी कमियां निकालता हूं इसलिए उन्होंने सोच लिया है कि इसको न ही बुलाएं तो अच्छा है क्योंकि लाईफ के जो फैक्टस हैं वह यह हैं कि क्रैडिट कार्ड बनवाने के लिए बहुत

ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं एक दिन अपने गांव में गया तो माननीय मुख्यमन्त्री और मैं दोनों साथ ही थे। एक आदमी ने मुझे जबरदस्ती पकड लिया। हमारे गांव की चौपाल के साथ मुख्य मन्त्री जी का भाषण हो रहा था और मैं साथ में खड़ा था और वहीं पर एक हमारा शैडयुल कास्ट का भाई भी खड़ा था वह मुझे कहने लगा कि सामने यह बैंक है और वहां तक चलना है। वह बैंक वहां से 50 गज के करीब होगा। वह मुझे कहने लगा कि बैंक का मैनेजर पैसे नहीं देता है जबकि मेरे सारे कागज तैयार हैं। मैंने उसी वक्त मैनेजर से बात की और पूछा कि क्या मामला है तो वह कहने लगा कि आपके गांव का जो भी व्यक्ति पैसे लेता है वापिस तो देता ही नहीं। स्पीकर सर. इस प्रकार की भी समस्याएं हैं। मैं समझता हूं कि अगर आप पैसे देते वक्त उनको तंग करोगे तो बैंको से पैसे लेते वक्त भी तंग होने के लिए मैटली तैयार रहना पड़ेगा। हमारा सामाजिक स्तर बदल रहा है हमारी मान्यताएं बदल रही हैं। अब वे हैजिटेट करते हैं इन बातों के लिए यह उनका हक भी है। जहां तक हमारे को–ऑपरेटिव संस्थानों का सम्बन्ध है, उसमें हम इस बात का पूरा ख्याल रखेगे कि उनको तंग न किया जाए और कोई खास कण्डीशन्ज तय करेंगे कि इतने दिन में ऐप्लाई करने के बाद उसको यह पैसा मिले। इस प्रकार की कोई पाबन्दी हम उन पर लगाएंगे। स्पीकर सर, माननीय सदस्य श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान जी ने एग्रीकल्चर मार्कीटिंग बोर्ड की सड़को के बारे मे बात की और उन्होंने यह कहा कि क्योंकि सारे हरियाणा में सड़कें तो अब कनैक्ट हो चुकी हैं और हर गांव

पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है अब वे रास्ते भी बनाएं जाए जहां से गन्ना या दूसरी जो फसलें हैं वह सीधी माकीट मे जाती हैं चाहे वे शूगर मिल मे जाती हैं, इन पर गौर किया जाए। ऐसा नही है कि एक ही तरफ से गांव कनैक्टिड हैं मेरे ख्याल में बहुत से गांव ऐसे है जो तीन–तीन तरफ से या चार–चार तरफ से पक्की सबको से कनेस्टिड हैं। इन्होंने अपेक्स की बात को–आप्रेटिव के अन्दर कही है। इस बारे में आपने यह बात कही कि टू–टायर सिस्टम होना चाहिए न कि थी टायर सिस्टम हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक 2300–2400 सोसाईटीज और मिनी बैंक्स थे उनको हम कम करके 600 से नीचे लाए हैं। इसमे सुधार होगा। लेकिन आपका इस विषय में जो एक मत हे वह विचारनीय है कि जो नाबार्ड से पैसा आता है वह डायेरैक्ट अपैक्स को जा सकता है ताकि बीच में जो बैंक बिचोलिए होते हैं उनका रोल खत्म किया जा सके। अब जो नाबार्ड से जो पैसा आता है वह पहले हरको बैंक में जाता है फिर सैन्ट्रल कोआप्रेटिव बैंक में जाता है और जब इस तरह से तीन चौनलों से पैसा किसान के पास जाएगा तो किसान पर साढे चार प्रतिशत और ज्यादा ब्याज का बोझ पड़ जाता है। हमारी सरकार ने कहा है कि हम ओं प्रतिशत की दर के हिसाब से किसानों को ब्याज पर पैसा देगे। स्पीकर सर, इस 7 प्रतिशत की वजह से हम पर 70 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। स्पीकर सर, बैंक ने हमसे कहा है कि आधा बोझ आप शेयर कर लो और आधा हम कर लेंगे। हमने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। खैर वह पैसा अल्टीमेटली भारत सरकार ने देना स्वीकार

कर लिया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इन बैंको मे हमारे 3700 करोड़ रुपए डिपोजिट है। मैने इनको बार बार कहा है कि जब दूसरे बैंक हमारे पैसे को कामर्शियल डील करते हैं तो आप अपने पैसे को क्यों नहीं कामर्शियल डील करते हो। आप भी उस पैसे को आगे देकर उस पर ब्याज कमाओ और किसानों को जो पैसा जाता है उसमें उनको और मदद करो। स्पीकर सर, ये सब बातें विचारनीय हैं। वर्ना पहले तो यह कह कर टाल दिया जाता था कि ये किसानों के बैंक हैं हम कहां से देगे। मेरा तो यह कहना है कि आपकी बिजनैस लाईक एक्टीवीटी है, आप कामर्शियल डिलिंग कर सकते हैं तो आपको यह करनी चाहिए। यह महकमा मुख्यमंत्री जी के पास है और जब से हमारी सरकार बनी है तब से हमारी रोज इस बारे में डिस्कशन होती है और मुझे यकीन है कि इस बारे में कोई न कोई निर्णय जरूर होगा। इसके साथ ही यहां पर ओल्ड एज पैंशन के बारे में भी बात कही गई है। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ओल्ड एज पैंशन के लिए हमारी सरकार ने आर्डर कर दिए हैं। स्पीकर सर, इसकी परसैटेज फिक्स की जाती है चाहे लेने वाले 20 प्रतिशत हों। लेकिन इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर 60 प्रतिशत के ही हैं इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं। मैं तो इसको सही मानता हूं और बाकी साथी भी इसको सही मानेंगे। अब नई पैंशन बन रही है, इस बारे में आम आदमी भी जिसकी उस 60 साल नहीं है सोशल और राजनैतिक प्रैशर डलवाता है और वह कहता है कि क्या हुआ अगर मैं 40 साल का हूं शक्ल तो मेरी 60 साल से ऊपर हो रही है। मैं यह

कहना चाहता हूं कि यह चीज भी अवाईड होनी चाहिए। जहां हम परसैटेज को नहीं चाहते हैं वहीं हमें यह भी पता हे कि पोलिटीकल कम्पलशन की वजह से कई बार इस किस्म के लोग फायदा उठाते हैं। सरकार के वक्त में तो गरीब लोगों को छोड़ कर साधन सम्पन्न लोगों को यह पैंशन दी गई। आज हम कहते हैं कि उनके नाम कटवाओ, तो न तो उसके लिए सरपंच तैयार होता है और न ही उस एरिए का एम०एल०ए० तैयार हे और न ही कोई यह कहने को तैयार है कि यह उस में छोटा है। अब इस बारे में यह कहा जाता है कि सर, पैशन बन गई है इस बात को छोड़ो, इसमे क्या रखा हे। मेरा कहना है कि हमें इस किस्म की अप्रोच खत्म करनी होगी।

स्पीकर सर, डाक्टर भारद्वाज जी ने कहा है कि यह जो दो प्रतिशत इन्सैंटिव दिया जा रहा है इसको और ज्यादा किया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, को में इस बारे में एक शेयर सुनाता हूं–

वकस थे युग बाहु बांधे, मैं खड़ा सागर किनारे।

आज लहरों का निमन्त्रण, मैं क्यों तूफां से डरूं। (विघन)

डॉक्टर साहब, करेंगे आप शान्ति रखें। स्पीकर सर, एक इन्होंने युवाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग देने के बारे मै कहा है। इस बारे में मैं इनको कहना चाहूंगा कि बड़े पैमाने पर अपग्रेडेशन

आफ स्कील का एक योजनागत तरीके से काम चल रहा है। स्पीकर सर, अमेरिका के अन्दर मेरी– लैंड मे माऊंट अरी नाम का कॉलेज है, उसमें कम्यूनिटी ऐजुकेशन यही है कि बी०ए० पास जब बच्चा कर ले ओर उसके साथ साथ लोकल कंडीशन्ज के मुताबिक यदि किसी ट्रैंड में उसको ट्रैनिंग मिल जाए ताकि उसको नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरे न खानी पड़े। स्पीकर सर, मानेसर के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पर हम भी इसकी शुरुआत कर रहे हैं और ज्यों ज्यों यह कामयाब होगा वैसे वैसे हम दूसरी जगहों पर भी इसको लेकर जाएंगे। नृपेन्द्र सिंह जी सांगवान ने सीवरेज सिस्टम को बढिया करने के लिए बात कही है। इसी तरह से शार्टेज ऑफ डाक्टर्ज की भी बात आयी। करतार देवी जी ने बता ही दिया है कि डाक्टर्ज की कमी तो है। स्पीकर सर, उन्होंने यह भी कहा कि रूरल डिवैल्पमैंट में टाईम बाउंड प्रोग्राम होने चाहिएं। यह इनकी बिलकुल ठीक बात है और इसके लिए कल हमने विस्तृत चर्चा की थी कि जो भी हमारे विकास के कार्य हैं वह अननैसेसरी डिले न हो। अर्जन सिंह जी ने कहा कि इनके यहां पर नहर के तीन पुल टूटे हुए हैं अगर इनकी रिपेयर की बात होगी तो हमारे मंत्री जी बैठे हुए हैं, इनको वे प्राथमिकता से करवाएंगे। नरेश मलिक ने भी कहा कि जो घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने उनके हल्के में की हैं उन पर काम जल्दी शुरू करवाया जाए। स्पीकर सर, इसी को मद्देनजर रखते हुए जैसा मैंने अपने बजट भाषण मे कहा था कि दो साल मे तो हमने रूप रेखा तैयार की है और अब आने वाले तीन सालों में हमारी यही थस्ट होगी कि इन

सारी बातों को हम जल्दी से जल्दी पूरा करें ताकि लोगों को अहसास हो कि हमने जो कहा है वह हमने समयबद्ध तरीके से किया भी है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः स्पीकर सर, हमारे वित्त मंत्री जी ने और नरेश मलिक ने जो कहा तो मेरे को एक मिसाल याद आ रही है। हमारे बजुर्ग नेता चौधरी लहरी सिंह के बारे आप सब जानते ही हैं। उन्होंने अपने घर पर एक सेवादार रखा हुआ था। उसको उन्होंने कहा कि जब भी कोई मेहमान आए और जब भी मैं बुलाया करूं तो 'जी' कहकर बोला कर। वह कहने लगा ठीक है। एक दिन वह बैठे हुए थे कि उनके पास कोई मेहमान आया। उनका सेवादार भैंस का चारा लेकर आ रहा था, जब उन्होंने उसको आवाज दी तो उसने 'ही' कहा 'जी' नहीं लगाया। इस पर चौधरी साहब को थोड़ा गुस्सा आया और उन्होंने उसको गुस्से में देखा तो वह बोला 'डट जा ' भरोटा रख सैन दे 'जी' भी कह दूंगा। इसलिए अभी तो शुरूआत है धीरे धीरे सब हो जाएगा चिन्ता करने की कोई बात नहीं।

श्री बीरेन्द्र सिंहः रणधीर सिंह जी, एम०एल०ए०,बरवाला ने बाई पास बनाने की बात कहीं। उन्होंने उकलाना मंडी आउटर रोड की बात भी कहीं। स्पीकर सर, जिस जिस महकमें से संबंधित ये बातें हैं हम उनको भेज देंगे। यहां पर स्कूल अपग्रेड की बात भी कही गयी है। उनके यहां पर जो भगत सिंह सोसायटी कॉलेज चला रही है उन्होने उसका भवन बनाने के लिए कहा है। इसी

तरह से निर्मल सिंह जी ने नग्गल में पी०एच०सी० की क्षमता बढ़ाने के बारे में कहा है। यह बात इनकी बिलकुल ठीक है। इसी तरह से सतविन्द्र राणा जी ने भी पी०एच०सी० बनाने के बारे में कहा है। स्पीकर सर, कई बार सी०एच०सी० बनाने की घोषणा कर दी जाती हे लेकिन उस पर काम नहीं किया जाता। अब से नहीं बल्कि पांच पांच साल पहले इनकी घोषणा हो चुकी है। एक सी०एच०सी० के लिए पांच डाक्टर्ज का स्टाफ चाहिए हालांकि पी०एच०सी० में कम डाक्टर्ज और स्टाफ की जरूरत होती है। जैसा कि हैल्थ मिनिस्टर ने बताया कि डाक्टर्ज की कमी है, पैरा मेडीकल स्टाफ की भी कमी है लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। डाक्टर्ज की भर्ती तो हो चुकी है लेकिन उनकी पोस्टिंग होना बाकी है। ज्यों ही कार्यवाही पूरी कर ली जाएगी उनको इन जगहों पर लगा दिया जाएगा। महेन्द्र प्रताप सिंह जी ने भी बहुत से सुझाव दिए हैं। इन्होने के०एम०पी० एक्सप्रेस हाई–वे के बारे में कहा कि इसके जो ऐग्जिट प्यायंट है उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि एजुकेशन सिटी, कुंडली में, रोहतक में, बहादुरगढ़ में और मेवात में जहां लैदर इंडस्ट्री हैं, इन शहरों में तो ऐग्जिंट डायंट्स का ध्यान रखा गया है लेकिन बल्लभगढ़ और फरीदाबाद को छोड़ दिया गया है। स्पीकर सर, ऐसी बात नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो के०एम०पी० एक्सप्रेस हाई–वे का सुपर स्ट्रक्चर बनाया है उसके ऐग्जिट पॉइंट दिल्ली को कनैक्ट करेंगे। चाहे वह तीन किलोमीटर का फासला हो या तीस किलोमीटर का फासला हो, उनको भी हम उसी तर्ज

पर डिवैल्प करेंगे। ताकि कंपोजिट और समृद्ध डिवैलपमैंट सारे के०एम०पी० के साथ साथ सुपर ऐक्सप्रेस–वे के साथ भी हो सके। अभी सतविन्द्र सिंह राणा ने बताया कि ग्रेन मार्किट के लिए जमीन मिल गई है। पंचायत को कंपनसेशन भी दे दिया गया है और जमीन के अधिग्रहण का काम भी पूरा हो गया है लेकिन काम अभी शुरू नहीं हुआ है। अगर कंपनसेशन दे दिया गया है और अधिग्रहण का काम भी पूरा हो गया है तो स्वाभाविक है कि काम भी शुरु होगा। स्कूल के बारे में भी उन्होंने बात कही है। राजौंद सब–माइनर बनाने के बारे में कहा है और उन्होंने स्वयं ही कहा है कि इस बारे में मंत्री महोदय से बात हो गई है। मंत्री जी से बात हो गई है तो मंत्री जी फाइनल अथौरिटी हैं और आपके मंत्री जी से दोस्ताना संबंध हैं इसलिए यह काम भी हो जाएगा। अनीता यादव जी ने आगनबाड़ी के बारे में बात कही। हर्ष कुमार ने बहुत बढ़िया बात कही है और मैं स्वयं उस बात का पक्षधर हूं। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि पहले जिनती भी सरकारें हुई उनका विजन नहीं था, या वे मुख्यमंत्री विजनरी नहीं थे, उनकी कैबिनेट में अच्छे लोग नहीं थे लेकिन एक बात कहने की जरूरत समझता हूं कि बदलते हुए युग में बदलती हुई मान्यताओं के प्रति हम पूरी तौर से सचेत हैं। हम अपने आपको विजनरी तो नहीं कहते लेकिन जो दुनिया के बढ़ते कदम टैं उनके साथ उनकी प्रगति में हम कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं ताकि हम उस दौड़ में पिछड़ न जाएं और हमारे प्रदेश का कोई नागरिक यह न कह दे कि हम प्रगति की दौड़ में पिछडकर गलती कर बैठे हैं। दुनिया

की जो विकास की दौड़ हैं उसमें हम पीछे न रह जाएं। सभी सदस्यों ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं उनका हम आदर करते हें। इसके बाद शारदा राठौर जी ने इन्फ्राक्ट्रक्चर जो मूलभूत ढांचा है उसके बारे में जिक्र किया है कि वह बड़ा वायब्रैन्ट होना चाहिए। इसी दिशा में हमारा प्रयास है। इन्होंने सही समझा है और हमारी प्राथमिकता का निशाना यही है। एक दृष्टिकोण है कि हरियाणा में अगर हम अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करेंगे जिसमें कनैक्टिविटी दिल्ली के साथ हो, दिल्ली के एयरपोर्ट के साथ कनेकिविटी हो, जो कटेनर जाते हैं उनके डिपो के साथ कनैक्टिविटी हो, जहां हम कोई भी उद्योग डिवेलप करना चाहते है उसके साथ पीने के पानी की सिंचाई की कनैक्टिविटी हो, उसके साथ इकर्मेशन टैक्नोलॉजी में चाहे टैलीफोन हो या दूसरी सुविधायें हों, उनको हम जितनी अच्छी कनैक्टिविटी दे सकेंगे उतना ही बाहर का जो सामान है, जो मल्टी नैशनल कंपनीज हैं जो बाहर के एन०आर०आईज० हैं उनकी निगाह तभी हम पर पड़ेगी। यही कारण है कि आज हमने साबित कर दिया है कि सिर्फ दिल्ली के नजदीक होने से बाहर के इन्वैस्टर्स हमारी ओर अट्रैक्ट नहीं होते बल्कि एक ऐसा ढांचा तैयार करके उनको दिया है, जो कि उनकी पसंद है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी एक डैलीगेशन बाहर से आया था। उन्होंने जब गुड़गांव की बात की तो खुद अचंभित थे कि वैस्टर्न वर्ल्ड में भी इतना अच्छा इन्फ्रालस्ट्रक्चर नहीं है जितना गुड़गांव मे डिवैलप हो रहा है। हम इन बातो पर भी सोचते हें, यह विकास तभी संभव होगा। जब इस किस्म का

ढांचा हम हरियाणा में दे सकेंगे और उस पर हम प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ–साथ सुखबीर सिंह फरमाणा ने एक बात कही कि खरखौदा मे सड़क बनानी चाहिए, दस जमा दो का स्कूल अपग्रेड करना चाहिए, बाईपास बनाना चाहिए, आई०टी०आई० बनाई जानी चाहिए। एक मटिण्डु में सड़क बनाने की बात की।

नव निर्वाचित राज्यसभा सदस्य को बधाई

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्स, आज हरियाणा से राज्यसभा के लिए न्यूली इलैक्टिड मैम्बर डा० राम प्रकाश इस सदन की वी०आई०पीज० त्रोलरी मैं मौजूद हैं। मैं पूरे सदन की तरफ से उनको राज्यसभा के लिए मैम्बर चुने जाने पर मुबारिकवाद देता हूं।

वित्त मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): सर, मैं भी सारे हाउस की तरफ से डॉ० राम प्रकाश जी को राज्यसभा के लिए एम०पी० चुने जाने पर बधाई देता हूं। इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि हरियाणा का जो कमेरा वर्ग है जो बैकवर्ड क्लास है उसके ये प्रतिनिधि है और विख्यात बुद्धिजीवी हैं इनको मैं बहुत–बहुत बधाई देता हूं।

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 2) बिल, 2007 (पुनरारम्भ)

वित्त मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर सर, बहुत से साथियों की मांग थी उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। खासतौर से सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और गुहला चीका जहां पर

ढाणियों का बड़ा रिवाज है। बहुत से लोग जिनके गांव से खेत दूर पड़ते थे उन्होंने अपने खेतों में जाकर अपने निवास स्थान बना लिए। कहीं कहीं तो एक ही किसान का परिवार रहता है और कहीं कहीं 10–20 बड़ी ढाणियां भी हैं जहां बिजली की बड़ी भारी समस्या है। यह सभी विधायको का मत है कि उन ढाणियों में बिजली पहुंचाने की सुविधा दी जाए। उसके लिए राजीव गान्धी विद्युतीकरण योजना है उसके तहत भी इस कार्यक्रम को लिया जा रहा है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि जिस तरह से आज के दिन हवा पानी बहुत जरूरी है उसी तरह से आज बिजली भी इतनी ही महत्त्वपूर्ण हो गई है। हम चाहेंगे कि हर नागरिक को चाहे वह गांव के किसी भी कार्नर में रहता हो उसको यह सभी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिएं। इसके लिए जो भी उचित कार्यवाही हो वह हम करेंगे। बच्चन सिंह आर्य जी ने जो हमारी सरकार के दो साल के क्रियाकलापों की बहुत प्रशंसा की हे और कहा है कि पिछली सरकार से बिलकुल अलग पद्धति से निर्माण और विकास की ऊंचाईयों को हम छू रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि आप सभी सदस्यो के आशीर्वाद से यह कार्यवाही करने में हम सफल होंगे। प्रो० छत्रपाल सिंह ने भी तीन –चार बातों का जिक्र किया कि इनके हल्के के वाटर चौनल रिपेयर होने चाहिएं। इस बारे में तो मुख्यमंत्री जी द्वारा पहले ही घोषणा की जा चुकी है कि इस साल और अगले साल इन दो सालो में हरियाणा के सभी चौनल को हम रिपेयर कर देंगे। जो वाटर चौनल टूटी फूटी हैं उनको भी ठीक करेंगे ताकि पानी की बचत हो सके और कन्जर्व

भी हो सके और हमारा कमाण्ड एरिया ज्यादा हो सके। मैंने अपने भाषण में भी यह कहा था कि हरियाणा की एक–एक एकड़ भूमि पर जिस पर खेत हैं हम सिंचाई के लिए पानी की सुविधा प्रदान करेंगे ताकि हरियाणा को अपना उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिले और इस उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किसानो को पानी जोकि सबसे बड़ा री मैटीरियल है उसकी अपेक्षा होनी ही चाहिए। दूसरा स्पीकर सर, उन्होंने कहा कि किनाला से दौलतपुर की सड़कें बनी हुई थी लेकिन 1992 में वे डिसकन्टीन्यू हो गई थी उनको बनाया जाए। कई जगह पर ऐसी बातें हमारे नोटिस में आई हैं कि जो प्रोजैक्टस आज से 10– 15 साल पहले बनने चाहिएं थे वो आज तक नहीं बने हैं। हम इस तरफ विशेष ध्यान देंगे कि जो पोरशन आधा बना हुआ है. वह बेकार न हो जाये और उसे पूरा बनवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी–पूरी कोशिश कर रहा हूं कि एप्रोप्रिएशन बिल पर माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे उठाये थे उन सबका मैं जवाब दे सकूं। कुछ माननीय सदस्यों ने गरीबों को प्लाट देने की बात भी कही थी। इस बारे में मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्री जी ने अनुसूचित जाति के भाईयों को राहत देने की घोषणा की थी उम्र समय मैंने मुख्यमंत्री जी से इस बारे मे जिक्र किया था। गुलाबी कार्ड, जो गरीब भाईयो को पैंशन देने बारे और जिनके पास जगह नहीं उनको प्लाट देने के बारे आदि बातों पर अभी हम विचार कर रहे हैं। ये बाते हमारे गरीब भाईयों के लिए मूलभूत जरूरतें हैं, जल्दी ही इन पर कोई न कोई निर्णय लिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, भाई राधे

श्याम शर्मा जी ने भी अपने हल्के में पीने का पानी उपलब्द करवाने के बारे में जिक्र किया था। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इनके यहां कुछ साल पहले अंडर ग्राउंड वाटर का 20–22 गांबों में सर्व करवाया था। सदन यह जानकर अचम्भित होगा कि 1200– 1200 फीट तक कहीं कोई पानी उपलव्य नहीं है। वहां सिंचाई के पानी की बात तो छोड़े पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। हम इसको प्राथमिकता पर लेंगे और वहां .के लोगों की पीने के पानी की समस्या को दूर करेंगे। अंत में मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जो एप्रोप्रियेशन नम्बर–2 बिल है उसको एक मत से पारित करें ताकि आने वाले समय में हरियाणा उन्नति के क्षेत्र में रिकार्ड कायम कर सके।

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Speaker: Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Birender Singh): Sir, **I** beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेशन (अमैंडमैन्ट) बिल, 2007

Mr. Speaker: Now, the Minister of State for Urban Development will introduce the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2007 and will also move the motion for its consideration.

शहरी विकास राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री जिन्दल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2007 प्रस्तुत करती हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करती हूं–

कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 6

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Minister of State for Urban Development will move that the Bill be passed.

शहरी विकास राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री जिन्दल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं–

कि विधेयक पारित किया जाये।

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैन्ट) बिल, 2007

Mr. Speaker: Now, the Minister of State for Urban Development will introduce the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2007 and will also move the motion for its consideration.

शहरी विकास राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री जिन्दल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2007 प्रस्तुत करती हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करती हूं –

कि हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Minister of State for Urban Development will move that the Bill be passed.

शहरी विकास राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री जिन्दल): सर, मैं प्रस्ताव करती हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा लेजिसलेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पेंशन आफ मैम्बर्ज) (अमैंडमैन्ट) बिल, 2007

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs

Minister will introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2007 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2007.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल): अध्यक्ष महोदय, जो बिल संसदीय कार्य मन्त्री जी ने सदन के पटल पर रखा और मूव किया है उसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि आप जानते हैं जो पैंशन या बैनिफिट्स मैम्बर्ज को इलैक्ट होने के बाद एडमिसिबल थे पिछले दिनों यह नियम और कानून डिस्कवालिफिकेशन के ऊपर लाग होता था वह आर०पी०एक्ट में जो डिस्थ्यालिफिकेशन हुआ करती थी उसके मायने में यह बात आया करती थी कि अगर किसी मैम्बर का इलैक्यान ही नल एण्ड वाईड हो जाता है तो यह

स्वाभाविक है कि उसको किसी तरह के कोई बैनिफिट्स या पैंशन वगैरहा नहीं मिलेगी। लेकिन कांस्टीच्यूशन के शैडयूल 10 में दूसरी पार्टी ज्वायन करने का जो प्रावधान आया जिसमें यह दिया है कि अगर कोई मैम्बर संविधान की मर्यादाओं के विपरीत किसी दूसरे दल में शामिल होता है तो उसकी मैम्बरशिप समाप्त हो जाती है। यह कानून तो सही मायने में यह है कि जो मैम्बर्ज आर०पी०ऐक्ट में डिस्कवालिफाई होते हैं उनको पैंशन या दूसरे बैनिफिट्स नहीं मिलेगें। लेकिन क्योंकि इसमें यह लिखा है "or any other law for the time being in force" जो बिल आज ये लाए हैं इन शब्दों को समाप्त किया है। उसमे कांस्टीच्यूशन के शैडयूल 10 में आज रिलीफ दिया है। अब जिन सदस्यो की सदस्यता संविधान की 10वीं sechedule की वजह से समाप्त होती है तो इस Amendment के बाद ऐसे सदस्यो को सुविधाएं तब तक प्राप्त हो सकेंगी जब तक दल बदल से पहले वे सदस्य रहे हैं। और दल बदल के उपरान्त सदस्यता समाप्त होने पर बाकी बची अवधि का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। लेकिन सदस्यता समाप्त से पहले समय का लाभ उन्हें मिलना शुरू हो जायेगा। इसकी रूह से अब शैडयूल 10 में जिनकी मैम्बरशिप समाप्त हुई थी चाहे वे पिछली विधान सभा के सदस्य थे या उससे पहले भी सदस्य थे उनको सही इन्साफ आदरणीय मुख्यमन्त्री जी ने दिया है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से उनका धन्यवाद करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि इसमें और कोई इम्बिगुअटी न रह जाए इसलिए इसको 1975 से यानि retrospective effect से ही इसको लागू किया

जाए।

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub-Clause 2 of Clause-1

Mr. Speaker: Question is—

That Sub-Clause 2 of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause 1 of Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Sub-Clause 1 of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to

move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री नरेश कुमार (बादली): अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश हैं कि सदन में जो भी बोलना चाहता है वह खुल कर बोल सकता है। मैं अपनी तरफ से और अपने सभी भाईयों की तरफ से आपके

माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सब भाईयों के जो भत्ते हैं उनको भी बढ़ाया जाए ताकि सभी भाई और ज्यादा ईमानदारी से काम कर सकें। धन्यवाद।

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि पंजाब एक्साइज (हरियाणा अमैंडमैन्ट) बिल, 2007

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, 2007 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, 2007.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill

be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to

move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

सरकारी संकल्प

(1) मैट्रो रेल के निर्माण कार्य को विनियमित करने संबंधी

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move an official resolution.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

"WHEREAS the House of the Legislature of the State of Haryana considers that it is expedient to adopt the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978), to regulate the construction of works of the metro railway up to

Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana and it is necessary to have a uniform law to regulate such construction in Delhi as well as up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana and for all matters connected therewith or ancillary or incidental thereto;

AND WHEREAS the subject-matter of the said Act is relatable to entry 13 of the State List in the Seventh Schedule to the Constitution of India;

AND WHEREAS Parliament has no power to make law for the States in this behalf except as provided in Articles 249 and 250 of the Constitution of India;

AND WHEREAS Parliament has already enacted the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978), which is operational in the National Capital Territory of Delhi;

AND WHEREAS it appears to this House to be desirable that the matters relating to construction of works of the metro railway up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana should be regulated by Parliament by Law;

Now, therefore, in pursuance of the provisions contained in clause (1) of Article 252 of the Constitution of India, this House of the Legislature of the State of Haryana, hereby resolves to adopt the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978) and also resolves that the construction of works of metro railway up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana and all matters connected therewith or ancillary or incidental thereto should be regulated by Parliament, by extending the said Act up to

Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana by making amendments therein."

Mr. Speaker: Motion moved—

"WHEREAS the House of the Legislature of the State of Haryana considers that it is expedient to adopt the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978), to regulate the construction of works of the metro railway up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana and it is necessary to have a uniform law to regulate such construction in Delhi as well as up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana and for all matters connected therewith or ancillary or incidental thereto;

AND WHEREAS the subject-matter of the said Act is relatable to entry 13 of the State List in the Seventh Schedule to the Constitution of India;

AND WHEREAS Parliament has no power to make law for the States in this behalf except as provided in Articles 249 and 250 of the Constitution of India;

AND WHEREAS Parliament has already enacted the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978), which is operational in the National Capital Territory of Delhi;

AND WHEREAS it appears to this House to be desirable that the matters relating to construction of works of the metro railway up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana should be regulated by Parliament by Law;

Now, therefore, in pursuance of the provisions

contained in clause (1) of Article 252 of the Constitution of India, this House of the Legislature of the State of Haryana, hereby resolves to adopt the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978) and also resolves that the construction of works of metro railway up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana and all matters connected therewith or ancillary or incidental thereto should be regulated by Parliament, by extending the said Act up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana by making amendments therein."

Mr. Speaker: Question is—

"WHEREAS the House of the Legislature of the State of Haryana considers that it is expedient to adopt the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978), to regulate the construction of works of the metro railway up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana and it is necessary to have a uniform law to regulate such construction in Delhi as well as up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana and for all matters connected therewith or ancillary or incidental thereto;

AND WHEREAS the subject-matter of the said Act is relatable to entry 13 of the State List in the Seventh Schedule to the Constitution of India;

AND WHEREAS Parliament has no power to make law for the States in this behalf except as provided in Articles 249 and 250 of the Constitution of India;

AND WHEREAS Parliament has already enacted the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of

1978), which is operational in the National Capital Territory of Delhi;

AND WHEREAS it appears to this House to be desirable that the matters relating to construction of works of the metro railway up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana should be regulated by Parliament by Law;

Now, therefore, in pursuance of the provisions contained in clause (1) of Article 252 of the Constitution of India, this House of the Legislature of the State of Haryana, hereby resolves to adopt the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978) and also resolves that the construction of works of metro railway up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana and all matters connected therewith or ancillary or incidental thereto should be regulated by Parliament, by extending the said Act up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana by making amendments therein."

The motion was carried.

(2) मैट्रो रेल के परिचालन तथा अनुरक्षण को विनियमित करने संबंधी

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move an official resolution.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

"WHEREAS the House of the Legislature of the State of Haryana considers that it is expedient to adopt the Delhi

Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), to regulate the operation and maintenance of the metro railway up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana and it is necessary to have a uniform law to regulate such operation and maintenance in Delhi as well as up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana and for all matters connected therewith or ancillary or incidental thereto;

AND WHEREAS the subject-matter of the said Act is relatable to entry 13 of the State List in the Seventh Schedule to the Constitution of India;

AND WHEREAS Parliament has no power to make law for the States in this behalf except as provided in Articles 249 and 250 of the Constitution of India;

AND WHEREAS Parliament has already enacted the Delhi Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), which is operational in the National Capital Territory of Delhi;

AND WHEREAS it appears to this House to be desirable that the matters relating to operation and maintenance of the metro railway up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana should be regulated by Parliament by Law;

Now, therefore, in pursuance of the provisions contained in clause (1) of Article 252 of the Constitution of India, this House of the Legislature of the State of Haryana, hereby resolves to adopt the Delhi Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002) and also resolves that the operation and maintenance of metro railway upto

Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana and all matters connected therewith or ancillary or incidental thereto should be regulated by Parliament, by extending the said Act up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana by making amendments therein.

Mr. Speaker: Motion moved—

"WHEREAS the House of the Legislature of the State of Haryana considers that it is expedient to adopt the Delhi Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), to regulate the operation and maintenance of the metro railway up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana and it is necessary to have a uniform law to regulate such operation and maintenance in Delhi as well as up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana and for all matters connected therewith or ancillary or incidental thereto;

AND WHEREAS the subject-matter of the said Act is relatable to entry 13 of the State List in the Seventh Schedule to the Constitution of India;

AND WHEREAS Parliament has no power to make law for the States in this behalf except as provided in Articles 249 and 250 of the Constitution of India;

AND WHEREAS Parliament has already enacted the Delhi Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), which is operational in the National Capital Territory of Delhi;

AND WHEREAS it appears to this House to be desirable that the matters relating to operation and

maintenance of the metro railway up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana should be regulated by Parliament by Law;

Now, therefore, in pursuance of the provisions contained in clause (1) of Article 252 of the Constitution of India, this House of the Legislature of the State of Haryana, hereby resolves to adopt the Delhi Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002) and also resolves that the operation and maintenance of metro railway upto Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana and all matters connected therewith or ancillary or incidental thereto should be regulated by Parliament, by extending the said Act up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana by making amendments therein."

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): स्पीकर सर, हरियाणा के लोगों का बरसो का ख्वाब था कि मैट्रो रेल हरियाणा में मी आए। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2000 से वर्ष 2005 तक छः वर्षो तक प्रदेश में कुछ ऐसी सरकार और उसके मुखिया रहे जिन्होंने लगातार वायदे तो अनेकों किए और गुड़गांव से करोड़ों रुपये की वसूलियां भी की गई परन्तु हरियाणा के हिस्से में किसी ने भी मैट्रो रेल कनैक्टिविटी देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। अध्यक्ष महोदय, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने सबसे पहले आकर पहला काम यह किया कि किस प्रकार से मैट्रो रेल की कनैक्टिविटी एन०सी०आर० क्षेत्र मे केवल गुड़गांव में ही नहीं दी जाए बल्कि और भी एन०सी०आर० क्षेत्रों में दी जा सके,

इस ओर भी अपना ध्यान आकर्षित किया और उसी का यह पहला चरण है जो आज इस सदन में हम एक प्रस्ताव की शक्ल में लेकर आये हैं ताकि मैट्रो रेल से संबंधित दोनों कानून हरियाणा के ऊपर भी लाग हो। मैं आपकी अनुमति से सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि यह दो सगमेन्दस पर बनायी जायेगी क्योंकि दिल्ली सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। मुख्यमंत्री जी प्रधान मंत्री जी के पास गये और दिल्ली की मुख्यमंत्री पर उनसे दवाब डलवाया क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री अपने दिल्ली के हिस्से में जिसमें कुछ हिस्सा कुतुबमीनार क्षेत्र का भी पड़ता है जो 9.2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, दिल्ली सरकार को यह इक्नोमिकली ठीक नहीं लगता था। इसलिए इस मैट्रो रेल को बनाने के लिए तैयार नहीं थी। नतीजा यह होता कि मैट्रो रेल कभी भी हरियाणा में नहीं बनती अगर अगर शायद कोई और व्यक्ति हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री होता। परन्तु चौधरी भूपेन्द्र सिंह दुल्ला ने श्रीमती शीला दीक्षित, मुख्यमंत्री दिल्ली को इस बात के लिए बाध्य किया ओर केन्द्र सरकार, प्रधान मंत्री और यू०पी०ए० की चेयरमैन श्रीमती सोनिया गान्धी से मिलकर पहले तो उन सभी को इस बात के लिए मनाया कि मैट्रो रेल हरियाणा में भी आनी चाहिए। इसमें 9.2 किलोमीटर दिल्ली का एरिया पड़ेगा जिसकी लागत 734 करोड़ रुपये आयेगी और 7.5 किलोमीटर हरियाणा का एरिया पड़ेगा जिसकी रोलिंग स्टाक को मिलाकर 688 करोड़ रुपए की लागत आयेगी। यह हरियाणा की कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने 1422 करोड़ रुपये की लागत पर

हरियाणा के लोगों को मैट्रो रेल की कनेक्टिविटी देने का जो सपना था उसको साकार करने के लिए यह एक ठोस कदम उठाया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इसमें पांच स्टेशन तो दिल्ली के पोरशन में बनाये जायेंगे और पांच स्टेशन हरियाणा के पोरशन में बनेगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय किया कि इसका जल्दी से काम शुरू हो इसलिए 25 नवम्बर 2006 को ही 141.25 करोड़ रुपये हम दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन के पास जमा करवा चुके हैं। वर्ष 2006 मे हम 5.60 करोड़ रुपये की मुफ्त जमीन उनको दे चुके हैं इसके इलावा 20 करोड़ रुपये लैंड एक्विजीशन आफिसर को दे चुके हैं। इस प्रकार से हमने वर्ष 2006 के अन्दर दिल्ली मैट्रो कारपोरेशन को 167.25 करोड़ रुपये दे चुके हैं, वर्ष 2007 केलेण्डर ईयर के लिए 141.75 करोड़ रुपये, वर्ष 2008 कैलेण्डर ईयर के लिए 141.75 करोड़ रुपये और वर्ष 2009 कैलेण्डर ईयर में भी इतनी ही राशि हम दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन को देंगे। इस प्रकार कुल 592.50 करोड़ रुपये बनते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री महोदय ने यह भी निर्णय किया है कि दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन के लिए हरियाणा के अन्दर जो स्टेट टैक्सिज हैं जैसे लैण्ड टैक्स, प्रोपर्टी टैक्स, एडवर्टाईजमेट टेक्स, इन्ट्री टैक्स, वैट, इलैक्ट्रिसिटी टैक्स इन सभी को माफ किया है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री का केवल एक ही सपना है कि मैट्रो रेल की कनेस्टिबिटी गुड़गाव तक आए। गुड़गांव और दिल्ली दोनों टिविन सीटी हैं। इसी तरह से गुड़गांव और फरीदाबाद भी टिविन सीटी हैं। आगे सरकार की यह भी सोच हे कि मैट्रो को

मानेसर और फरीदाबाद तक भी ले जाया जाये। इसके अतिरिक्त बहादुरगढ़, सोनीपत, पानीपत आदि शहरों तक भी हम मैट्रो की कनैक्टिविटी करना चाहते हैं। इसके बारे में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, दक्षिणी हरियाणा के माननीय सदस्य अपनी सीट पर बैठे– बैठे मेरी तरफ इशारे–इशारे में कह रहे हैं कि रिवाड़ी तक भी मैट्रो की कनैक्टिविटी की जाये। मैं इनको कहना चाहूंगा कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर लें इनकी बात पर भी जरूर गौर किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, यह ऐतिहासिक प्रस्ताव है यह केवल एक सरकारी प्रस्ताव नहीं है बल्कि हरियाणा की जन–आकाक्षाओ का प्रस्ताव है। यह हरियाणा को नम्बर– न, प्रांत बनाने में एक और मील का पत्थर साबित होने वाला प्रस्ताव है। यह 1422 करोड़ रुपये की परियोजना का प्रस्ताव है मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इसको एक मत से पारित किया जाये।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए एक बात और बताना चाहूंगा कि बहादुरगद और फरीदाबाद के राईट्स द्वारा डी०पी०आर० तैयार हो गये हैं। उनके ऊपर जल्दी ही कार्यवाही की जायेगी।

Mr. Speaker: Question is-

WHEREAS the House of the Legislature of the State of Haryana considers that it is expedient to adopt the Delhi Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), to regulate the operation and maintenance of the metro

railway up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana and it is necessary to have a uniform law to regulate such operation and maintenance in Delhi as well as upto Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana and for all matters connected therewith or ancillary or incidental thereto;

AND WHEREAS the subject-matter of the said Act is relatable to entry 13 of the State List in the Seventh Schedule to the Constitution of India;

AND WHEREAS Parliament has no power to make law for the States in this behalf except as provided in Articles 249 and 250 of the Constitution of India;

AND WHEREAS Parliament has already enacted the Delhi Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), which is operational in the National Capital Territory of Delhi;

AND WHEREAS it appears to this House to be desirable that the matters relating to operation and maintenance of the metro railway upto Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana should be regulated by Parliament by Law;

Now, therefore, in pursuance of the provisions contained in clause (1) of Article 252 of the Constitution of India, this House of the Legislature of the State of Haryana, hereby resolves to adopt the Delhi Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002) and also resolves that the operation and maintenance of metro railway upto Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana and all matters connected therewith or ancillary or incidental thereto should

be regulated by Parliament, by extending the said Act upto Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana by making amendments therein.

The motion was carried.

अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद

Mr. Speaker: Hon'ble Members, before adjourning the House sine die, I am highly thankful to all of you for extending your cooperation to me for smooth conducting of the proceedings of the House मैं सदन के हर सम्मानित सदस्य को इस बात की भी मुबारिकबाद देना चाहता हूं कि जो क्वालिटी और जो लैवल ऑफ डिस्कशन था वो अनपैरलल था। ऐसी बगैर आपकी तैयारी के और कोशिश के संभव नहीं हो सकता था। इसके अलावा चेयर की तरफ से कोई ऐसी बात हुई हो कि कोई सम्मानित सदस्य न बोल सका या किसी बात पर कोई गिला शिकवा हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। I am also thankful to all the officers of the State Government, Press Representatives and the officers/officials of Haryana Vidhan Sabha Secretariat for their cooperation extended to me during the present Session.

श्री एस. एस. सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय अब बजट सैशन कन्क्रलूड हो चुका है इसके लिए मैं तमाम सदस्यो की तरफ से आपको बधाई देना चाहता हूं कि जिस संयम से जिस discipline से जिस निष्पक्षता से आपने हाऊस को चलाया और इसकी प्रोसिडिंग्स में जिस प्रकार से आपने हर मैम्बर को मौका

दिया चाहे वो किसी पार्टी का भी था और टाईम की लिमिट में भी आपने रिलैक्सेशन दी और आज तो कोई टाईम लिमिट भी नहीं थी तो इसके लिए मैं आपको यह मुबारिकबाद देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आपकी अध्यक्षता में हाऊस के तमाम मैम्बर्स को आप में गहरा विश्वास है और आप इस बात के लिए मुबारिकबाद के अधिकारी हैं।

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, आपने जिस संयम और निष्पक्षता से हाऊस की कार्यवाही को चलाया है उसके लिए यह सदन आपका धन्यवादी है।

Mr. Speaker: Now the House stands adjourned sine die.

15.46 hrs.

(The Sabha then *adjourned sine die.)